खण्ड-390, अंक-9
बृहस्पतिवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(9 मार्च, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 390 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
सदन की कार्यवाही रोककर श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी के साथ घटित घटना के सम्बन्ध में चर्चा करायी जाने की मांग	3–4
प्रश्नोत्तर	5–26
श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी सदस्य विधान सभा के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने पर वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्थानान्तरण की मांग– (जारी)	26–38
जिला गाजीपुर के मरदह ब्लाक में डंडापुर से कासिमाबाद तक मार्ग को लेवल स्तर तक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	38–39
अनुसूचित जनजाति चयनोन्नति प्रक्रिया नियमावली, 1970 में संशोधन कर पृथक-पृथक् सूची बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	39–40
पद जौनपुर के विकास खण्ड सिकरारा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद मऊ की तहसील घोसी के ग्राम चक्की मूपा डोही की बंजर भूमि के अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	40–41
झांसी की गरौठा तहसील के कारवई ग्राम में जूनियर हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41
जनपद कानपुर के क्षेत्र कल्यानपुर के कानपुर पब्लिक जूनियर हाई स्कूल को स्थायी मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना	41
जनपद बलिया आदि जनपदों के ग्राम पंचायत अधिकारियों के लम्बित बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41–42
"सीक्रेट सेशन" के प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास	42–43
श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी सदस्य विधान सभा के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने पर वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्थानान्तरण की मांग	43–45
वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्यय के अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग–3 (एलोपैथी चिकित्सा) अनुदान संख्या–33–(चिकित्सा विभाग आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण अनुदान संख्या 37–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)–(स्वीकृत)	45–83
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1989 (पारित)	83–85

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 85

जनपद बांदा के सम्भाग कर्वी को एक नया जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का वक्तव्य 86–87

जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में शारदा सहायक के ठेकेदारों द्वारा फर्जी निर्मित करायी गई गूलों (कुलाबों) के निर्माण व्यय को किसानों से जबरदस्ती वसूली के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ग्राम विकास मंत्री का वक्तव्य ... 88–94

31 अक्तूबर, 1988 तक पेय जल समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या तथा इन ग्रामों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा .. 94–101

नत्थियां .. 103–121

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 9 मार्च, 1985

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	बल्देव सिंह, कैप्टेन	अलीगढ़
अजीत प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़	बहादुर सिंह, श्री	आगरा
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर	बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री	बुलन्दशहर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	भागीरथ चौधरी, श्री	झांसी
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	भृगुनाथ भट्ट, श्री	गोरखपुर
अरुण प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	मंगलदेव, श्री	गोण्डा
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
एहतिशाम वली खां, श्री	बहराइच	महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
ओसान सिंह, श्री	इटावा	महेन्द्र माटी, श्री	गाजियाबाद
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती	मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
केशरी सिंह, कर्नल	बस्ती	मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली
गुलाब सिंह श्री	देहरादून	योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा	रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
चैमन लाल चमन, श्री	सहारनपुर	रतन स्वरूप राही, श्री	बुलन्दशहर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर	राज बहादुर, श्री	जौनपुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	राम औतार मिश्र, (उर्फ ननकू) श्री	शाहजहां-पुर
निरोत्तम सिंह, श्री	बदायूं		
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
निसार हुसैन, श्री	रामपुर	रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
बलजीत सिंह, श्री	मथुरा	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई

राम सजीवन, श्री	बांदा	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
राम सागर राव, श्री	बहराइच	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली	सुरेन्द्र सिंह, श्री	गढ़वाल
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर	सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी	सैयद अली अशरफी, श्री	पीलीभीत
शोभनाथ सिंह, श्री	बिजनौर	सैयद जावेद अली सब्जपोश, श्री	गोरखपुर
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सतीश अजमानी, श्री	खीरी	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली	हितेश कुमारी, श्रीमती	बुलन्दशहर
सिकन्दर अली खां, नवाब	शाहजहांपुर	हीरा सिंह बिष्ट, श्री	देहरादून
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया		

विधान सभा

सदन की कार्यवाही रोककर श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी के साथ घटित घटना के संबंध में चर्चा कराये जाने की मांग

नत्थी "क"

श्री अध्यक्ष—

(घोर व्यवधान)

(श्री शारदानन्द अंचल, श्री बलराम यादव, श्री कमलेश पाठक, श्री पारस नाथ यादव तथा अन्य कई विरोधी पक्ष के सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे, जो व्यवधान के मध्य साफ सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री शारदानन्द अंचल—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह जो बोल रहे हैं, यह लिखा नहीं जायगा।

(घोर व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के बाद आप अपनी बात कह लीजिएगा।

(घोर व्यवधान)

मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं.....(व्यवधान)

आप नहीं चाहते हैं, आप प्रश्नकाल नहीं चाहते हैं ?

श्री शारदा नन्द अंचल—

मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप गंभीरता से इसको सुनें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शारदानन्द अंचल--

मान्यवर, यह अधिकारियों के हाथों में खेलने वाली सरकार और पुलिस की रिपोर्ट पर चलने वाली सरकार इसने कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसे गंभीर मसले पर आज चर्चा कराई जाय सदन की कार्यवाही को रोककर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

राम आसरे जी, शून्यकाल में व्यवस्था कहां उठती है?

श्री शारदानन्द अंचल--

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर अराजकता पैदा हो गयी है। ऐसी स्थिति में हमारा सदन चलाना बिल्कुल अवैध लगता है सदन के चलने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय विधायकों के साथ इस प्रकार की घटना हो जाती है। मान्यवर, विधायक के ऊपर हुये अत्याचार पर यहां सुना जाना चाहिए। मान्यवर, हमें इंगित करें हम जायं, लेकिन हम चलने नहीं देंगे जब तक हरीश जी के साथ हुए दुर्व्यवहार पर गम्भीरता से विचार नहीं किया जायेगा जब तक आपकी पीठ से कोई व्यवस्था नहीं दी जायेगी।

(व्यवधान)

मान्यवर, पूरे प्रदेश में आज विधायक मजाक का विषय बन गया है पूरे प्रदेश के अन्दर लोग कहते हैं कि विधायकों का अपमान होता है और सदन में चर्चा होती है और चर्चा के बाद मामला खत्म हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न का समय आपका ही है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो प्रश्न कल खड़ा हुआ था और जिस प्रश्न के चलते यहां पर विधान सभा का चलना मुश्किल हो गया था, एक गंभीर समस्या थी।

(व्यवधान)

मान्यवर, उनके व्यक्तित्व से हम सब अवगत हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय लेंगे या नहीं?

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को 12-20 तक स्थगित करता हूं, आप नहीं चाहते हैं तो ठीक है।

(इस समय 11 बजकर 7 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।)

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 9 मार्च, 1989 ई0

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सरकार द्वारा साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने जाने हेतु उपायों की जानकारी की मांग

**1—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत वर्तमान में क्या है? वर्तमान साक्षरता प्रतिशत को बढ़ाने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी, बख्शी)—

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत 27.16 है।

वर्तमान साक्षरता प्रतिशत को बढ़ाने हेतु 15–35 वय वर्ग के प्रौढ़ों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति तथा निर्बल वर्ग के छात्रों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

बालिकाओं को कक्षा–12 तक शुल्क मुक्ति प्रदान कर दी गयी है तथा बालकों के लिये निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कक्षा–6 से बढ़ाकर अब कक्षा–8 तक की जा रही है।

उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण प्रसार शिक्षक संघ द्वारा प्रेषित मांग–पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

**2—श्री रत्न आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवार कल्याण प्रसार शिक्षक संघ उ0 प्र0, द्वारा प्रेषित 17 सूत्रीय मांग पत्र निदेशक परिवार कल्याण उ0 प्र0 की संस्तुति के साथ जुलाई, 1988 में शासन को भेजा गया है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त मांग पत्र पर कार्यवाही न होने के कारण संघ द्वारा आन्दोलन का नोटिस दिया गया है? यदि हां, तो आन्दोलन न हो, इसके लिए तत्काल मांग पत्र पर कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे?

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

जी हां।

इस पर संघ के पदाधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया है तथा विभिन्न मांगों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नोटिस तो दिया गया था किन्तु विचार विमर्श के उपरान्त संघ द्वारा आन्दोलन का नोटिस वापस ले लिया गया है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 29(4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

* 1 श्री रघुवीर दयाल वर्मा तथा श्री सूर्य प्रताप शाही—

[7वें गुरुवार के लिए स्थगित]

राजकीय जनविश्लेषक द्वारा औषधि निरीक्षकों से प्राप्त औषधियों के विश्लेषण में विलम्ब होने के कारणों को दूर करने हेतु उपायों की जानकारी

* 2—श्री हर्ष वर्धन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय जनविश्लेषक द्वारा औषधि निरीक्षकों से परीक्षण हेतु प्राप्त होने वाली औषधियों के विश्लेषण (परीक्षण) में अत्यधिक विलम्ब होता है ? यदि हां, तो इसके क्या करण है ? क्या यह सही है कि राजकीय जनविश्लेषक द्वारा अभी तक 1984 तक प्राप्त औषधियों का ही विश्लेषण हुआ है ? यदि हां, तो औषधि विश्लेषण सुचारू रूप से होने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

औषधि विश्लेषण सुचारू रूप से सम्पादित किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं—

(क) राज्यस्तरीय लखनऊ प्रयोगशाला का परिवर्धन, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण ।

(ख) वाराणसी में एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला की स्थापना की गई है ।

(ग) मेरठ में भी एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला निर्माणाधीन है ।

* 3—श्री राम आसरे वर्मा—

[7वें गुरुवार के लिए स्थगित]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आयोजित परीक्षा में अनुसूचित जाति का आरक्षण

* 1—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 1988 को की प्रवर वर्ग सहायक/अवर वर्ग सहायक पद हेतु कोई साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या इस परीक्षा में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु कोई आरक्षण था ? यदि हां, तो उक्त वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा कितने पद भरे गये ? उक्त साक्षात्कार/परीक्षा हेतु गठित चयन समिति में कोई अनुसूचित जाति का अधिकारी मनोनीत था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

जी हां। अवर वर्ग सहायक पद हेतु अनुसूचित जाति के लिये 2 पद आरक्षित थे। इस वर्ग का कोई उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण प्रश्नगत पदों को अग्रेणीत किया गया, प्रवर वर्ग सहायक पद हेतु कोई पद आरक्षित नहीं था ।

जी नहीं। इस मामले की छानबीन की जा रही है ।

* 2--श्री मैनेजर सिंह--

(7वें गुरुवार के लिए स्थगित)

प्रदेश के आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण

* 3--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि अक्तूबर, 1987 में प्रदेश के आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालयों में नियुक्ति हेतु एक हजार चार सौ पदों के लिए साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो क्या इस हेतु स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 5 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण था? क्या यह सत्य है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षित लगभग 70 स्थानों के लिए मात्र 32 अभ्यर्थी ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे फिर भी उन्हें चयनित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

वांछित सूचना अभी प्रतीक्षित है ।

पशुपालन विभाग में कुक्कुट निरीक्षकों की संख्या तथा अस्थायी नियुक्ति

*4--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पशुपालन विभाग में कुक्कुट निरीक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उसमें से कितने स्थायी और कितने अस्थाय हैं ? क्या यह सत्य है कि स्थायी पदों की जगह पर अस्थायी नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सच है कि कुक्कुट निरीक्षकों के पद इस विभाग में सहायक संवर्ग के हैं ? यदि हां, तो इनके रिक्त पदों पर पदोन्नति से न भरकर कनिष्ठ लोगों से काम लिये जाने के क्या कारण हैं ?

दुग्ध विकास, पशुधन एवं मत्स्य पालन मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग (नलकूप) में कृषि स्नातकों को टी0 एण्ड बी0 योजना में किसान सहायक के पद पर नियुक्ति

*5--श्री इकबाल अहमद--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग (नलकूप) में 1972 व 1973 में कृषि स्नातकों को "कृषि प्रसार निरीक्षक" के पद पर नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी ? टी0एण्ड बी0 योजना में किसान, सहायक पद पर कुछ लोगों की नियुक्तियां किस आधार पर की गई हैं ? क्या 1972 व 73 में नियुक्त कर्मचारियों में से, 1973 में टी0एण्ड बी0 योजना में नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्त कर लिया गया है तथा 1972 के कुछ कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के विरुद्ध विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ? शेष बचे कृषि स्नातकों को किसान सहायक पद पर कब तक नियुक्त कर लिया जायेगा ?

कृषि मंत्री (डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल)--

जी हां ।

सिंचाई विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक के पदों पर नियुक्त किये गये कृषि स्नातकों की संख्या 846 थी ।

निर्धारित आयु सीमा से छूट प्राप्त होने के पश्चात् सिंचाई विभाग की ज्येष्ठता सूची के क्रम में उनकी नियुक्तियां की गयी थीं ।

जी नहीं । वर्ष 1972 का कोई ऐसा कृषि स्नातक कर्मचारी जिसे निर्धारित आयु सीमा से छूट प्रदान की गयी हो, नियुक्ति हेतु अवशिष्ट नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

कृषि प्रसार निरीक्षकों को अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3 के उपलब्ध रिक्तियों के 25 प्रतिशत पदों पर सम्प्रति नियुक्त करने के शासन के आदेश हैं ।

[गुरुवार, दिनांक 9 मार्च, 1989 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद उन्नाव में स्थित कारखानों से फैलने वाले प्रदूषण से नागरिकों को बचाने की कार्यवाही

*1—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

1—क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव शहर के चारों ओर 15 किमी0 की परिधि में दो दर्जन कारखानों के प्रदूषण के कारण गैस रिसाव, जल प्रदूषण से सिंगरौसी, रौतापुर, महदिनया, जालिमखेड़ा, घोसी, सरैया आदि गांवों के हजारों लोग विकलांग हो गये हैं तथा 15 हजार की आबादी वाले गांव सिंगरौसी के पास 24 घंटे तेजाब की गंध उठती है जिससे नागरिकों का जीवन खतरे में है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी नहीं, इन ग्रामों में कोई व्यक्ति कारखानों के प्रदूषण के कारण गैस रिसाव अथवा जल प्रदूषण से विकलांग नहीं हुआ है ।

तेजाब की गंध सिंगरौली (सिंगरौसी) ग्राम के पास आती है पर उसमें सल्फर-डाई-आक्साइड की मात्रा इतनी कम है कि वह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं पाई गई ।

कारखानों के प्रदूषण के कारण गैस रिसाव, जल प्रदूषण तथा तेजाब की गंध की रोकथाम के लिये समुचित व्यवस्था जल संस्थान, उन्नाव तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुनिश्चित की जा रही है ।

प्रदेश में अरहर की अच्छी उपज के लिए किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध कराने की योजना

*2—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अरहर की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में अच्छे बीजों की व्यवस्था किये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक किसानों को अच्छे बीजों को उपलब्ध करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी हां । प्रदेश में अरहर उत्पादन बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम व विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत अरहर हेतु चयनित जनपदों में प्रमाणित बीज वितरण की योजना कार्यान्वित की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में फसल बीमा योजना का लागू किया जाना

*3—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में फसल बीमा योजना किन–किन जनपदों में लागू की गई है ? इसके क्या परिणाम अब तक सामने आये हैं ? आगामी सत्र वर्ष 1989–90 में यह योजना

किन-किन जिलों में और लागू की जा रही है ? क्या जनपद फर्रुखाबाद भी इसमें शामिल है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

फसल बीमा योजना प्रदेश के सभी जनपदों में लागू थी किन्तु वर्तमान वर्ष 1988–89 में यह योजना लागू नहीं है ।

परिणाम के रूप में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वे सभी कृषक क्षति की दशा में लाभान्वित होते हैं जिन्होंने बैंकों से अल्पकालीन कृषि ऋण प्राप्त किया है । यह योजना कृषकों के लिए लाभप्रद नहीं रही है ।

योजना को वर्ष 1989–90 में लागू करने का कोई प्रकरण प्रदेश शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*4—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

[6वें गुरुवार के लिए स्थगित]

*5—श्री राम आसरे वर्मा—

[7वें गुरुवार के लिए स्थगित]

आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय, उ0 प्र0 में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

*6—श्री मैनेजर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय, उ0 प्र0 व उ के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ष 1984 से ही अनेक व्यक्ति दैनिक वेतन भोगी लिपिक के पद पर सेवारत हैं ? क्या यह सच है कि निदेशालय द्वारा 1984 से अब तक अनेक सीधी नियमित भर्ती कर ली गई हैं, किन्तु दैनिक वेतन भोगी लिपिकों को नियमित नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो 1984 से सेवारत दैनिक वेतनभोगी लिपिकों को नियमित न किये जाने का क्या कारण है तथा उन्हें कब तक नियमित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*7—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

राजकीय चिकित्सालयों में अति निर्धन रोगियों के लिए सुविधाएं

*8—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालयों और जनपदीय चिकित्सालयों में अति निर्धन तथा निराश्रित रोगियों के नि:शुल्क उपचार और चिकित्सा की क्या व्यवस्था है और ऐसे रोगियों को कौन सी सुविधायें सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अति निर्धन और निराश्रित की परिभाषा क्या है और इसके निर्धारण का आधार क्या है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे रोगियों के लिए अन्तरंग वार्डों में अलग व्यवस्था की गई है

वहां पंखे, सफाई, गद्दों का घोर अभाव रहता है और भोजन भी घटिया स्तर का दिया जाता है ? यदि हां, तो इस स्तर को सुधारने और प्रदत्त सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

राजकीय चिकित्सालयों में अति निर्धन तथा निराश्रित रोगियों के उपचार हेतु कुल शैय्याओं की 30 प्रतिशत शैय्यायें आरक्षित हैं। इन शैय्याओं के रोगियों को समस्त चिकित्सा सुविधायें भोजन तथा दवाइयां आदि निःशुल्क दी जाती हैं।

शासनादेश के अनुसार संबंधित चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक सभी परिस्थितियों व अभिलेख यदि उपलब्ध हों, को देखकर स्वयं यह निर्णय लेंगे कि अमुक रोगी अति निर्धन/निराश्रित की श्रेणी में आता है।

जी नहीं। अति निर्धन/निराश्रित रोगियों को जनरल वार्ड में ही शैय्याओं की व्यवस्था रहती है। भोजन निर्धारित माप के अनुसार स्वच्छ एवं पौष्टिक दिया जाता है।

शेष प्रश्न नहीं उठता है।

*9—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

[7वें गुरुवार के लिए स्थगित)]

जनपद आगरा में कृषि मण्डी समिति द्वारा आर्थिक वृद्धि

*10—श्री विजय सिंह राणा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 की तुलना में वर्ष 1987-88 की आय में कृषि उत्पादन मण्डी समिति, आगरा ने कोई वृद्धि दिखाई है ? यदि हां तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए किस अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया गया है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

वर्ष 1986-87 की अपेक्षा वर्ष 1987-88 में 13,10,179.67 रु0 की वृद्धि हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या तथा संपूर्ण आबादी को चिकित्सा सुविधा

*11—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं और कितने प्रतिशत आबादी उनकी परिधि में आती है ? क्या सन् दो हजार तक पूरे प्रदेश की आबादी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

वर्तमान में प्रदेश में 2476 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। वर्ष 1981 की ग्रामीण जनसंख्या की 82.20 प्रतिशत आबादी उनकी परिधि में आती है। सन् दो हजार तक "सबके लिये स्वास्थ्य" का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में निहित है।

प्रदेश में जनपदवार प्रमाणित गेहूं बीज का वितरण तथा जनपद बुलन्दशहर को बीज उत्पादन हेतु आरक्षित जनपद घोषित करने की मांग

*12—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रबी 1988–89 में गेहूं की बुआई हेतु कितने मीट्रिक टन उन्नतशील बीज प्रान्त के प्रत्येक जनपद में कृषकों को उपलब्ध कराया गया ? क्या मंत्री जी गेहूं के उन्नतिशील बीज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु एवं प्रान्त को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर करने हेतु जनपद बुलन्दशहर को बीज उत्पादन के लिए आरक्षित जनपद घोषित करके तराई बीज निगम एवं एन0 एस0 सी0 द्वारा कृषकों को बीज उत्पादन के लिए पंजीकृत कराकर एक सीड एन्ड प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना लखावटी कृषि महाविद्यालय, जनपद बुलन्दशहर के मध्य क्षेत्र में करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी हां। रबी 88–89 में कृषकों में वितरण हेतु प्रदेश के शीर्षस्थ संस्थाओं द्वारा 277370 क्विंटल गेहूं का प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया गया। बीज उपलब्धता का जनपदवार विवरण संलग्न है।

बुलन्दशहर जनपद को उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम तथा राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन योजना में ले लिया गया है। लखावटी कृषि महाविद्यालय में सीड प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ——103——पर)

उद्यान विभाग द्वारा पहाड़ी क्षेत्र के लिए दवाइयों की खरीदारी को स्वीकृति

*13—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 86–87 में उद्यान विभाग द्वारा करीब 2 करोड़ धनराशि की दवाइयां पहाड़ी क्षेत्र के लिए खरीदी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ये दवाइयां शासन को स्वीकृति के समरूप क्रय न करके स्वीकृति के विपरीत दूसरे नाम की दवाइयां खरीदी गई थी ? यदि हां, तो उक्त दवाइयों को बगैर स्वीकृति क्रय करने में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये ? शासन ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना

*14—श्री गंगाराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के गुणों, इस चिकित्सा से राज्य कोषागार पर पड़ने वाले सबसे कम व्ययभार, जनता की मांग आदि पर उदारतापूर्वक विचार करते हुये सरकार राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना को वरीयता देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी नहीं । राष्ट्रीय घोषित नीति "2000 ईसवी तक सबके लिये स्वास्थ्य" को कार्य स्वरूप देने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों को आवश्यकतानुसार जिला योजनान्तर्गत प्रोत्साहित एवं लागू किया जा रहा है । अतएव होम्योपैथिक पद्धति के चिकित्सालयों को स्थापित करने में वरीयता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

फसल बीमा योजना की रूप रेखा की जानकारी

*15--श्री राज किशोर सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फसल बीमा के सम्बन्ध में कोई नयी योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

केन्द्र द्वारा पुरोनिवारित फसल बीमा योजना प्रदेश में गत वर्ष तक चलाई जा रही थी । वर्तमान में योजना में संशोधन भारत सरकार के विचाराधीन है ।

प्रकरण भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन होने के कारण योजना की रूप-रेखा का विवरण देना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में गर्भस्थ शिशु के लिंग जांच प्रक्रिया पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

*16--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि गर्भस्थ शिशु के लिंग जांच की क्रिया पर, प्रदेश में राष्ट्र हित और मानव हित में रोक लगाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी नहीं ।

गर्भस्थ शिशु के लिंग जांच की क्रिया के दुरुपयोग पर पूरे देश में प्रतिबन्ध लगाने के विषय में भारत सरकार के स्तर पर विचार किया जा रहा है ।

लखनऊ शहर में कार्यरत स्टाफ नर्सों के वेतन को पुनरीक्षित किये जाने की मांग

*17--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर में कुछ ऐसी स्टाफ नर्सें कार्यरत हैं, जो वर्ष 1965 से 65 रु0 मूल वेतन पा रही हैं ? यदि हां, तो तीन-तीन वेतन आयोगों की रिपोर्ट लागू होने के बाद भी उनके वेतन का पुनरीक्षण न किये जाने का क्या कारण है ? सेवा निवृत्त होने जा रही इन नर्सों के प्रकरण पर शासन कब तक निर्णय लेकर उनके वेतन का पुनरीक्षण एवं अवशेषों का भुगतान करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी नहीं । सम्प्रति किसी स्टाफ नर्स को 65 रुपये मूल वेतन नहीं दिया जा रहा है । प्रश्न नहीं उठता ।

जूनियर एवं अप्रशिक्षित नर्सों, जिन्हें 65 रुपये मासिक वेतन मिलता था, को 470 रुपये पुनरीक्षित वेतन, महंगाई तथा अन्य अनुदेय भत्तों सहित, दिनांक 1 जुलाई, 1987 से स्वीकृत

किये जाने के आदेश दिनांक 30 अक्तूबर, 1987 को निर्गत किये गये थे। वेतनादि की अवशेष देय धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निरीक्षण शुल्क में वृद्धि किये जाने की शिकायत

*18—श्री बदन सिंह—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय बीज निगम एन0 एस0 सी0 के प्रोग्राम लेने वाले कृषकों से राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था 60 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति हेक्टेयर निरीक्षण शुल्क सन् 1987 से वसूलती है ? यदि हां, तो इस निरीक्षण शुल्क वृद्धि का क्या कारण है ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में स्थित विशुनपुर कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

*19—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी स्थित विशुनपुर कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र सहित शिकायती पत्र, जिसकी प्राप्ति उनके पत्र संख्या 760/बी0आई0पी0-कृ0मंत्री-1988, दिनांक 1 दिसम्बर, 1988 द्वारा स्वीकार की गई है, पर जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच में क्या निष्कर्ष निकला और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी हां।

जांच की कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई।

प्रदेश के एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने का प्रस्ताव

*20—श्री केसराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में कितने प्रोफेसर अथवा उससे उच्चतर स्तर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अधिकारी हैं ? क्या इन लोगों से अतिरिक्त निदेशक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु विकल्प मांगा गया ? यदि हां, तो कितने अधिकारियों ने सहमति दी ? यदि प्रोफेसर या उससे उच्च स्तर के अधिकारी नहीं हैं तो विकल्प मांगने का औचित्य क्या है ? क्या उक्त पदों हेतु प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा से उक्त वर्ग एवं स्तर के अधिकारी लेते हुये अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करते हुये, उन्हें अधिष्ठान देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्रोफेसर एवं उससे उच्चतर स्तर के पांच अधिकारी पिछड़ी जाति के हैं।

अतिरिक्त निदेशक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण का कोई पद नहीं है। प्रोफेसर-सह-संयुक्त निदेशक के एक रिक्त पद हेतु विभिन्न मेडिकल कालेजों में कार्यरत समस्त प्रोफेसरों से, जिनमें आरक्षित वर्ग के अधिकारी भी सम्मिलित हैं, प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे।

केवल 4 प्रोफेसरों ने उक्त पद हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया ।

वर्तमान में पिछड़े वर्ग के 5 प्रोफेसर कार्यरत हैं, परन्तु उनमें से किसी ने भी इस पद हेतु प्रार्थना-पत्र नहीं दिया ।

रिक्त पद का पदनाम प्रोफेसर-इन-संयुक्त निदेशक है और इसके लिये शिक्षक संवर्ग के प्रोफेसर पद धारक ही उपयुक्त हैं । अतः प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग से किसी अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मेरठ के विकास खण्ड खेकड़ा, गांव रटौल को फल पट्टी घोषित करने का प्रस्ताव

1—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के विकास खण्ड, खेकड़ा के गांव रटौल को फलपट्टी घोषित किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक फलपट्टी घोषित कर दी जायेगी ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जिलाधिकारी, मेरठ से इस प्रकार का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जो परीक्षण करने पर उचित नहीं पाया गया, और संशोधित प्रस्ताव मांगा गया । संशोधित प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

ऐसे प्रस्तावों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है ।

जनपद जौनपुर में किसान कोल्ड स्टोरेज, उसरहट्टा, शाहगंज के विरुद्ध जिलाधिकारी को ज्ञापन

2—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद ब्लाक बरसारी के अंतर्गत स्थित ग्राम सभा रतनपुर, पो0 बरसारी के श्री शोभाराम चौधरी व अन्य कृषकों द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 1988 को जिलाधिकारी जौनपुर को एक ज्ञापन किसान कोल्ड स्टोरेज, उसरहट्टा, शाहगंज, जिला जौनपुर द्वारा सम्बन्धित किसानों की जमा 2079 बोरा आलू की निकासी नीलामी न करके खुद बेचकर हड़प लिये जाने सम्बन्धित किया है ? यदि हां, तो क्या ज्ञापन में अंकित समस्त मांगों की जांच करते हुये सम्बन्धित किसानों को आलू का मूल्य भुगतान कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी0 हां ।

ज्ञापन में अंकित सभी मांगों की जांच करायी गयी । अभी तक आलू मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया है ।

शीतगृह स्वामी द्वारा की गई अनियमितता के विरुद्ध पुलिस स्टेशन, शाहगंज, जनपद जौनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है ।

3—श्री हर्षवर्धन—

[6वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 164 के अन्तर्गत स्थनान्तरित]

जनपद मथुरा में स्थित महिला चिकित्सालय, वृन्दावन को अनुदान देने के संबंध में प्रश्न कर्त्ता के पत्र पर कार्यवाही

4—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी में है कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 8 दिसम्बर, 1988 को महिला चिकित्सालय, वृन्दावन (मथुरा) को अनुदान देने के संबंध में एक पत्र दिया था? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां, संस्था को नियमानुसार अनुदान दिये जाने पर विचार किया जा रहा है।

राजकीय कृषि बीज भण्डार, छपिया (गोरखपुर) के पैंतीस बोरे उर्वरक स्टाक की सैम्पलिंग लखनऊ निदेशालय द्वारा किये जाने की शिकायत

5—श्री विष्णु देव—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 145 के उत्तर के तारतम्य में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है वह 125 बोरी उर्वरक के अवमानक होने से संबंधित है जब कि प्रश्नगत शिकायती पत्र 35 बोरे डी0 ए0 पी0 उर्वरक में मिलावट करने से संबंधित है? इस प्रकार दोनों मामले, दो भिन्न मामले हैं? यदि हां, तो क्या उक्त 35 बोरे स्टाक की सैम्पलिंग अविलम्ब करायेंगे तथा अपराधी को संरक्षण देने वाले जिला लखाकार (कृषि) के विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जी नहीं। यह दोनों मामले एक ही हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

6—श्री विष्णु देव—

(7वें गुरुवार के लिये स्थगित)

जनपद फर्रुखाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसरैन में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा

7—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसरैन के निर्माण पर कुल कितना धन व्यय किया गया? क्या उसमें कर्मचारियों हेतु आवासों का निर्माण भी कराया गया है? यदि हां, तो किस-किस पद के कर्मचारियों हेतु आवास सुविधा अब तक उपलब्ध कराई गयी है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

8—श्री हारिका प्रसाद—

(7वें गुरुवार के लिये स्थगित)

जनपद बस्ती के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरियावां के डाक्टर मस्त सिंह द्वारा संपादित नसबन्दी केसेज का विवरण

9--श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा अधिकारी डा0 मस्त सिंह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरियावां, जनपद बस्ती द्वारा वर्ष 1988-89 में कितने पुरुष एवं महिला नसबन्दी केसेज संपादित किये गये, उन सभी संपादित महिला पुरुष नसबन्दी केसेज के नाम पते क्या हैं तथा उनके प्रेरक कौन-कौन हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बस्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरियावां के पुरस्कृत कर्मचारियों के कार्य का सत्यापन कराये जाने की मांग

10--श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरियावां, जनपद बस्ती के कर्मचारियों को व्यक्तिगत नसबन्दी उपलब्धि वर्ष 1987-88 की क्या-क्या है और किन-किन कर्मचारियों को नसबन्दी उपलब्धि हेतु पुरस्कृत किया गया है? उ पुरस्कृत कर्मचारियों के नसबन्दी केसेज का मौतिक सत्यापन कराया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है।

11--श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ--

(7वें गुरुवार के लिये स्थगित)

जनपद हरदोई के किसानों को उर्वरक अनुदान देने के नाम पर किये गये भारी घपलों की शिकायत

12--श्री राज किशोर सिंह--

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1985-86 में जनपद हरदोई के किसानों को उर्वरक अनुदान देने के नाम पर किये गये भारी घपलों के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षण सं0-5692, दिनांक 4 नवम्बर, 1986 के प्रस्तर सं0 12 के अन्तिम पैरा के अनुसार 200 टन यूरिया उर्वरक जो कानपुर से हरदोई लाना दिखाया गया है लगभग सभी स्टाक कानपुर में ही रोक कर इसका दुरुपयोग कर लिया गया तथा ढुलाई का बिल प्रस्तुत करके आहरण कर लिया गया है एवं फर्जी वितरण धनराशि का समायोजन कर सम्बन्धित मात्रा को प्रायः हड़प लिया गया है ? क्या माननीय मंत्री जी आशिंक उठाई गयी शंका की जांच काश्तकारों की सूची के आधार पर विशेष अनुसंधान शाखा कृषि से म यंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

13-14--श्री राज किशोर सिंह--

(7वें गुरुवार के लिये स्थगित)

15—श्री धनराज यादव—

(6वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न सं0 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

16—श्री धनराज यादव—

(दिनांक 2 मार्च, 1989 को अतारांकित प्रश्न सं0 19 द्वारा उत्तरित)

जनपद गोण्डा, विकास खण्ड हरैया सतघरवा में ग्राम सभा मथुरा बाजार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के नव निर्माण में हुई अनियमितता की शिकायत

17—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा, विकास खण्ड हरैया सतघरवा में ग्राम सभा मथुरा बाजार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के नव-निर्माण का कार्य वर्ष 1986-87 में कराया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नव-निर्मित भवन की छतें, दीवालें, फ्लोर व प्लास्टर सब खराब हो चुके हैं ? क्या पुनः भवन को सक्षम स्तर तक निर्माण के लिये तत्कालीन व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

टाण्डा, जनपद फैजाबाद में साकेत कोल्ड स्टोर में सड़े हुये आलू का मुआवजा आलू उत्पादकों को भुगतान करने की मांग

18—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद, टाण्डा में साकेत कोल्ड स्टोर में आलू उत्पादकों द्वारा रखा 30 हजार बोरा आलू सड़ गया है ? यदि हां, तो उक्त कोल्ड स्टोर में किन-किन आलू उत्पादकों को कितनी-कितनी मात्रा में आलू सड़ा है ? क्या उक्त सड़े हुये आलू का मुआवजा बाजार भाव पर शीतगृह मालिकों द्वारा भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

जनपद फैजाबाद के साकेत कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्टरी टाण्डा में वर्ष 1988 में भण्डारणकर्ताओं का 26,244.58 कुन्टल आलू क्षतिग्रस्त हो गया है ।

इसकी सूची अत्यन्त विस्तीर्ण है, जिसे माननीय सदस्य मेरे कक्ष में देख सकते हैं ।

जी नहीं ।

लाइसेंसिंग अधिकारी (जिला अधिकारी, फैजाबाद) ने भण्डारणकर्ताओं को प्रतिकर भुगतान किये जाने के छः आदेश क्रमशः दिनांक 25 नवम्बर, 1988, 29 नवम्बर, 1988 तथा तीन आदेश दिनांक 21 दिसम्बर, 1988 को तथा एक आदेश 12 जनवरी, 1989 को जारी किया । दिनांक 12 जनवरी, 1989 के आदेश को छोड़कर अन्य सभी आदेशों के विरुद्ध शीतगृह स्वामी ने उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज अधिकरण में दो अपील दायर कर दी, जिन पर अधिकरण ने कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया । लाइसेन्सधारी द्वारा प्रतिकर का भुगतान न किये जाने के कारण लाइसेंसिंग अधिकारी ने दिनांक 24 फरवरी, 1989 को वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया । इस वसूली प्रमाण-पत्र के विरुद्ध स्थगन प्राप्त करने हेतु लाइसेन्सधारी ने उक्त अधिकरण में प्रार्थना-पत्र दिया है, जिस पर सुनवाई 4 मार्च, 1989 को हुई और अगली तिथि दिनांक 8 मार्च 1989 निर्धारित है ।

जनपद गोरखपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला

19—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर ने इस जनपद के कार्यालय में एक दर्जन लोगों की नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो बिना पद विज्ञापित कराये एवं उचित साक्षात्कार लिये इस प्रकार की अवैध नियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध विभाग क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा गोरखपुर जनपद के कार्यालय में विभागीय मृतक कर्मचारियों के 13 आश्रितों की नियुक्तियां की गयी हैं । इसके लिये पद विज्ञापन एवं साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है । अतः मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

श्री दया शंकर लाल, परियोजना अधिकारी (कृषि), गोरखपुर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

20—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दयाशंकर लाल, परियोजना अधिकारी (कृषि), गोरखपुर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने उनके इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद, एक शिकायती पत्र देकर खुली जांच की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

माननीय विधायक का कथित शिकायती-पत्र प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मछलीशहर, जौनपुर के डा0 के0डी0 सिंह, प्रभारी चिकित्सा धिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की मांग

21—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 मई, 1988 जो प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र के डा0 के0 डी0 सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी, मछलीशहर, जौनपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच कब एवं किस अधिकारी से कराई गई एवं जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डा0 के0डी0 सिंह कब से कब तक प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, मछलीशहर, जौनपुर में रहे तथा कितनी बार स्थानान्तरण आदेश किया गया तथा किन कारणों से स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये और क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिनांक 25 मई, 1988 को भेजा जा चुका है ।

पत्र पर कृत कार्यवाही एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में वांछित सूचना प्रतीक्षित है ।

कृषि विभाग में क्षेत्र यांत्रिक पदों के लिए आयोजित की गई परीक्षा का परीक्षा फल न घोषित किया जाना

22—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कृषि विभाग में पहले से विज्ञापित क्षेत्र यांत्रिक पदों के लिये 22 मार्च, 1987 को परीक्षा आयोजित की गयी थी, जिसका न तो परीक्षाफल घोषित किया गया और न ही सम्बन्धित अभ्यर्थियों की फीस ही वापस की गयी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करने वाली बन्द फार्मेसियों को पुनः चालू किये जाने की मांग

23—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण की कितनी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी फार्मेसी हैं ? इनमें कितनी कार्य कर रही हैं तथा कितनी बन्द पड़ी हैं ? फार्मेसी बन्द रहने के क्या कारण हैं ? इन बन्द फार्मेसियों को वर्ष 1986–87 तथा 1987–88 में चलाने के लिये कितनी धनराशि के उपकरण तथा अन्य सामान दिये गये ? सामान/उपकरण दिये जाने के बावजूद फार्मेसी का कार्य प्रारम्भ न करने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? इनके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है तथा ये बन्द फार्मेसी कब तक कार्य करना शुरू कर देंगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

वांछित सूचना अभी प्रतीक्षित है ।

जनपद फैजाबाद में अयोध्या मेले के लिये नियुक्त मेला स्वास्थ्य अधिकारी, डा0 रामचन्द्र को पुनः मेला स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किये जाने की शिकायत

24—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में वर्ष 1986 में अयोध्या मेले के लिये डा0 रामचन्द्र मेला स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त हुये थे जिन पर मेला बजट के धन में भारी हेर-फेर का आरोप लगाया गया था जिसके आधार पर वे निलम्बित कर दिये गये थे और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, श्री लोकपति त्रिपाठी ने उक्त मामले में कार्यवाही हेतु अपर निदेशक को दिनांक 9 सितम्बर, 1987 को अपने आदेश संख्या आ0 सं0–2420–ई/21–9 द्वारा निर्देशित किया था ? क्या यह सत्य है कि उन्हीं डा0 राम चन्द्र को 1988 में पुनः अयोध्या मेले का मेला स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और वर्ष 1986 में डा0 रामचन्द्र के विरुद्ध लगाये आरोपों के लिये उन्हें क्या दण्ड दिया गया था ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

डा0 रामचन्द्र को वर्ष 1986 में अयोध्या मेला के लिए मेला स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया गया था। डा0 रामचन्द्र को निलम्बित नहीं किया गया था। तत्कालीन माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी जी द्वारा अपर निदेशक, फैजाबाद मण्डल को संदर्भित पत्र कार्यवाही हेतु लिखा गया था। जांचोपरान्त डा0 रामचन्द्र के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुआ।

डा0 राम चन्द्र को मेला कार्य के लिये निर्दिष्ट पूर्व अधिकारी की अस्वस्थता के कारण और वरिष्ठतम् उप मुख्य चिकित्साधिकारी होने के नाते वर्ष 1988 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद द्वारा मेले का अतिरिक्त चार्ज दिया गया।

चूंकि डा0 राम चन्द्र के विरुद्ध कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गयी अतः इन्हें दण्डित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील सदर के ग्राम भाकलपुर के स्व0 डा0 कृष्ण मुरारी चौबे के आश्रितों को बकाये का भुगतान न किये जाने की शिकायत

25—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्ना खां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम भाकलपुर, पोस्ट, परगना व तहसील सदर, जिला गोण्डा निवासी डाक्टर कृष्ण मुरारी चौबे, खरहिया लखीमपुर खीरी स्थित होम्योपैथिक चिकित्सा सेन्टर में कार्यरत थे, का स्वर्गवास वर्ष 1987 में सेवा काल में हो गया था ? यदि हां, तो मृतक के आश्रितों को पेंशन, बीमा तथा अन्य वांछित धनराशि भुगतान न किये जाने के क्या कारण है ? उक्त भुगतान कब तक कर दिये जायेंगे।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

अभी सूचना प्रतीक्षित है।

जनपद गोरखपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपराइच पर कार्यरत दाइयों को स्थायी किये जाने की मांग

26—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपराइच पर श्री मती धनपती पत्नी श्री हुसैनी एवं श्रीमती अमरावती पत्नी श्री राम बदन 1972 से प्रशिक्षण प्राप्त कर अस्थायी दाई पर 15 वर्षों से अधिक 50 रुपया प्रति माह वेतन पर कार्यरत हैं जबकि सरकारी नीति के अनुसार उनका नियमितीकरण हो जाना चाहिये था ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों दाइयों को स्थायी कर, वेतन वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहांगीरगंज, जनपद फैजाबाद की अटेन्डेन्ट मिडवाइफ श्रीमती विद्यावती गौड़ के वेतन निर्धारण एरियर का भुगतान का मामला

27—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती विद्यावती गौड़, अटेन्डेन्ट मिडवाइफ, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, जहांगीरगंज, फैजाबाद के "वेतन निर्धारण एरियर" वर्ष 1979 से 1985 तक का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इनका भुगतान कब तक कर दिया जायगा ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त विद्यावती गौड़ का माह मई एवं जून

1968 का वेतन भुगतान की अधिकारियों/कर्मचारियों की उदासीनता के कारण अभी तक नहीं हो सका है ? यदि हां, तो इसमें दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा वेतन भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी नहीं ।

श्रीमती गौड़ के बीच-बीच में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण भुगतान सम्भव नहीं हो पाया है । अवशेष वेतन के भुगतान हेतु नियमतः बिल का भी आडिट आवश्यक है ।

प्रसंगत अवधि में श्रीमती विद्यावती गौड़ के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण वेतन भुगतान सम्भव नहीं था ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बलिया में विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थानान्तरण रोके जाने का मामला

28—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो 10 वर्ष से अधिक समय से एक स्थान पर कार्यरत हैं और उसमें कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनका स्थानान्तरण आदेश कई बार निरस्त किया गया है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जनपद बलिया के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 449 स्वास्थ्य कर्मी पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हैं ।

इनमें से दो व्यक्तियों के स्थानान्तरण आदेश एक-एक बार निरस्त किये गये हैं।

बफर गोदाम निरीक्षक, बहराइच द्वारा बीज मण्डार का चार्ज न देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानकारी

29—श्री अशोक बाजपेयी तथा श्री मूल चन्द्र—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि बफर गोदाम निरीक्षक, बहराइच, बीज मण्डार, बहराइच सदर का प्रभार अनधिकृत रूप से सात वर्ष से अपने पास रखे हुये हैं ? क्या यह सत्य है कि चार्ज देने के आदेश की अवहेलना कर चार्ज नहीं दे रहे हैं ? चार्ज कब तक ही जायेगा तथा आदेश की अवहेलना के लिए क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के कतिपय जनपदों हेतु यूरिया की आपूर्ति की मात्रा

30—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1986-87 में अलीगढ़, एटा, मथुरा, गोरखपुर, बलिया तथा मिर्जापुर में खरीफ एवं रबी की फसलों के दौरान यूरिया खाद का कुल कितना वितरण कृषकों को किया गया ? उक्त यूरिया के आपूर्ति से संबंधित जनपदों में किन-किन

स्रोतों से सरकार द्वारा करायी गयी और सम्बन्धित स्रोतों ने कृषकों को इन जनपदों में यूरिया की वास्तविक आपूर्ति किस मात्रा में की ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

राजकीय आयुर्वेदिक कालजों में वैयक्तिक सहायकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

31—श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में वैयक्तिक सहायकों के कुल कितने पद रिक्त हैं तथा क्या यह पद लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत है ? यदि हां, तो अभी तक इन पदों पर आयोग के माध्यम से नियुक्ति न कराये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त पदों पर आयोग के माध्यम से नियमित नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

वांछित सूचना अभी प्रतीक्षित है ।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के लिए स्वीकृत धनराशि का आहरण न करने के सम्बन्ध में शिकायत

32—श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1985–86 में शासनादेश संख्या 4674/सेक–9–पांच––48–84, दिनांक 31 मार्च, 1986 के द्वारा 25 लाख रुपये की धनराशि शासन द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ को स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विद्यालय के प्रशासक की लापरवाही के कारण उक्त धनराशि का आहरण नहीं हो सका ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

जी हां ।

सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं कैशियर की चरित्र पंजिकाओं में विपरीत प्रविष्टि अंकित कर दी गई है और वैयक्तिक सहायक को चेतावनी दी गई है ।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, बांदा में फार्मेसी कार्य हेतु मशीनें खरीदने के पश्चात् भी कार्य का आरम्भ न किये जाने की शिकायत

33—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा में वर्ष 1986–87 में फार्मेसी कार्य प्रारम्भ करने के लिए मशीनें तथा सामान खरीदा गया था ? यदि हां, तो मशीनों तथा सामान का मूल्य क्या था ? इसके लिए शासन से कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी ? क्या यह सही है कि अभी तक फार्मेसी का कार्य प्रारम्भ न किये जाने के कारण मशीनें एवं सामान खराब हो गये हैं ? यदि हां, तो अभी तक फार्मेसी का कार्य प्रारम्भ न करने की किसकी जिम्मेदारी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा इतनी कीमती मशीनें एवं सामान अभी तक रखे रहने से कालेज का कितना नुकसान हुआ ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

वांछित सूचना अभी प्रतीक्षित है ।

जनपद लखनऊ के तकमील उत्तिब कालेज के छात्रों के लिये छात्रावासों का निर्माण कराये जाने की मांग

34—श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तकमील उत्तिब कालेज, लखनऊ के छात्र-छात्रावास की क्षमता प्रवेश क्षमता के अनुकूल नहीं है एवं छात्र-छात्रावास का पूर्ण अभाव है ? यदि हां, तो क्या छात्रावासों का तुरन्त निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर छात्रावासों का निर्माण आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में कराये जाने का प्रयास किया जायेगा ।

जनपद लखनऊ के तकमील उत्तिब के भवन के जीर्णोद्धार की योजना की जानकारी

35—श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तकमील उत्तिब कालेज, लखनऊ के भवन के जीर्णोद्धार की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां, उक्त कालेज के भवनों के निर्माण की योजना विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत सम्प्रति भूमि क्रय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालयों का अनुपात

36—श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालयों का अनुपात 80:20 रखने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो क्या इस अनुपात में चिकित्सालय/औषधालय स्थापित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस समय प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालयों की संख्या कितनी है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना जिला योजना का अंग है । जिला योजना में धन उपलब्ध कराये जाने तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समितियों की संस्तुतियां प्राप्त होने पर ही स्थापना की स्वीकृतियां निर्गत की जाती हैं । प्रदेश में इस समय 1877 आयुर्वेदिक एवं 183 यूनानी राजकीय चिकित्सालय/औषधालय कार्यरत हैं ।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालयों में नियुक्त आशुलिपिकों से अधिष्ठान का कार्य लिये जाने की शिकायत

37—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालयों में नियुक्त आशुलिपिकों से अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य लिये जा रहे हैं ? इनसे इस तरह के कार्य लिये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना अभी प्रतीक्षित है । सूचना प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद हरदोई के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों पर खर्च की गई धनराशि का विवरण

38—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा वर्ष 1987-88 के दौरान मरम्मत एवं निर्माण कार्यों पर क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई और मरम्मत तथा निर्माण कार्यों का विवरण क्या है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

वर्ष 1987-88 के दौरान मरम्मत एवं निर्माण कार्यों पर क्रमशः रु0 1,62,745.75 तथा रुपये 1,28,002.20 व्यय किया गया । विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 105 पर)

जनपद बांदा में आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा के प्राचार्य डाक्टर गुप्ता के कार्यकाल में मरीजों की संख्या में कमी

39—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा (बांदा) में जब से प्राचार्य डा0 गुप्ता ने कार्यभार ग्रहण किया तो मरीज संख्या बहुत कम हुई तथा कालेज के छात्रा की कक्षायें भी बहुत कम लगी हैं ? यदि नहीं, तो मई, 1985 से मई, 1986 तक के तथा मई, 1986 से 15 जनवरी, 1987 तक मरीजों की तुलनात्मक संख्या का विवरण क्या है तथा मई, 1986 से 15 जनवरी, 1987 तक कितनी कक्षायें छात्रों की लगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

वांछित सूचना अभी प्रतीक्षित है ।

कृषि निदेशालय में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाना

40—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति किये जाने विषयक उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव का पत्र संख्या 377/12-9—1303-83, दिनांक 2 मई, 1986 , कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को मिला है ? यदि हां, तो वर्ष 1986 से लेकर अब तक किन-किन महीनों में कितने दैनिक कर्मचारी नियमित किये गये हैं कितने कर्मचारी नियमित होने के लिये शेष हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दिनांक 2 मई, 1986 को निदेशालय में कितने दैनिक वेतन कर्मचारी थे ? शासन के आदेश के बावजूद अब तक सभी कर्मचारियों को नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र के नव निर्मित भवनों को विभाग को हस्तांतरण करना

41—श्री मित्रसेन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में कितने ऐसे उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र या उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनके भवन निर्मित होने के अवशूद भी अभी तक विभाग को हस्तगत नहीं किये गये हैं जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में असुविधा और कठिनाई हो रही है? इस उदासीनता के लिए कौन लोग दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जनपद फैजाबाद में दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा दो उपकेन्द्र निर्मित हो चुके हैं किन्तु कतिपय कमियों के कारण इनका हस्तान्तरण विभाग को नहीं हुआ है। संबंधित निर्माण इकाइयां इसके लिये उत्तरदायी हैं। निर्माण इकाइयों द्वारा कमियों को पूरा कर हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बस्ती में बमंती अस्पताल तथा महिला चिकित्सालय में पदों का सृजन

42—श्री सुखपाल पण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अस्पताल, बमंती तथा महिला चिकित्सालय, बस्ती में कौन कौन पद सृजित हैं? मानक के अनुसार कितने पद सृजित होने चाहिए? क्या सरकार मानक के अनुसार पद सृजित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जिला चिकित्सालय, बस्ती तथा महिला चिकित्सालय, बस्ती में सृजित पदों की संख्या तथा मानक के अनुसार पदों की संख्या की सूची संलग्न है।

चिकित्सालयों में पदों आदि का सृजन जिला योजना के अन्तर्गत किया जाता है। जिले से जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा मानक के अनुसार अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में आवश्यक परिव्यय जुटाने के पश्चात् पदों के सृजन पर तथा समय विचार किया जायगा।

(देखिये सप्तमी 'ग' आगे पृष्ठ 107 पर)

कृषि निदेशालय में कार्यरत दैनिक श्रमिकों का नियमितीकरण

43—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय में कार्यरत दैनिक श्रमिकों के नियमतीकरण से संबंधित आदेश राज्य मंत्री कृषि के पत्र संख्या 1645/एस0 एम0 ए0 बी0 अ ई0 प्रो0-84, दिनांक 26 जून, 1984 द्वारा उप सचिव कृषि अनुभाग-9 को दिया गया है? यदि हां, तो क्या उप सचिव ने कृषि निदेशक को अपने पत्र संख्या एम-24/12 (9)—84-1303-84, दिनांक 11 जुलाई, 1984 के द्वारा राज्य मंत्री जी के आदेशों के अनुपालन हेतु पुनः लिखा है? यदि हां, तो आदेशों का पालन न करने के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गयी है?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

44—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ मेडिकल कालेज सहित प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में लैब टेक्नीशियन के लगभग बीस-बीस पद वर्षों से रिक्त चल रहे हैं ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या वर्ष 1988 में प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले कई लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति अब तक इन पदों पर की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन पदों पर नियुक्ति हेतु कुछ आवेदन-पत्र इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा नवम्बर, 1988 में भेजे गये थे ? यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं । मेडिकल कालेज, लखनऊ में वर्ष 1988 से लैब टेक्नीशियन के 17 पद, मेडिकल कालेज, कानपुर में वर्ष 1980 से 1 पद तथा मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 2 पद रिक्त चल रहे हैं । मेडिकल कालेज, लखनऊ के लैब अटेन्डेन्ट के पद पर कार्य करने वाले टेक्नीशियनों द्वारा लैब टेक्नीशियन के पद पर पदोन्नति हेतु माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका वर्ष 1988 में दायर की गई । उक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

इसके अलावा अपेक्षित शैक्षिक योग्यता एवं अर्हतायुक्त अभ्यर्थी भी उपलब्ध नहीं है ।

जी हां । प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा नियमानुसार नियुक्ति-पत्र निर्गत किये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(12 बज कर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई) ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी सदस्य विधान सभा के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने पर वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्थानान्तरण की मांग

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, कल सदन में, माननीय हरीश जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, इसके बारे में माननीय सदन के अन्दर जो चर्चा हुई, उसके विषय में मान्यवर, सदन में कल विपक्ष के लोगों ने ही नहीं बल्कि सत्तापक्ष के लोगों ने भी अपना आक्रोश व्यक्त किया और उस पर माननीय गृह मंत्री आयीं और उनकी बात सवेरे बड़े तक चली गयी और इस सदन के माननीय सदस्य के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उनको पीटा गया, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा और गृह मंत्री जी चली गयीं और आज पता चला कि अस्वस्थता का बहाना लेकर सदन में उपस्थित नहीं हैं । हमारा कहना यह है कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, सदन के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा और आप नहीं देखेंगे कि तो मैं समझता हूं कि इस सदन की गरिमा नहीं रह जायगी ।

इसलिये मैं आपके विवेक को जागरूक करना चाहता हूं, इसलिये करना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के लोगों की मांग है कि जो भी एस0 एस0 पी0 ने दुर्व्यवहार किया, जिला बनारस की पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार हरीश जी के साथ किया गया, उसके सम्बन्ध में कहना है कि सत्तापक्ष के लोगों का कहना है कि एस0 एस0 पी0 की कोई गलती नहीं है, मेरा कहना है कि गलती इसलिये है कि माननीय हरीश जी ऐसे संजीदा व्यक्ति हैं, और जो हमारे सदन के पुराने सदस्य हैं और जो जनता शासन काल में मंत्रिमण्डल में कैबिनेट स्तर के मंत्री भी रह चुके हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, छः तारीख को उनके साथ जो अपमानजनक दुर्व्यवहार किया गया, तो छः तारीख के

बाद एस0 एस0 पी0 के संज्ञान में यह घटना आयी तो उसकी कार्यवाही क्यों नहीं की और उन पुलिस कर्मियों को तत्काल निलम्बित क्यों नहीं किया ? केवल दो सिपाहियों को लाइन हाजिर करना समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन उनको दण्डित करने की भावना उसमें नहीं थी। एक गलती यह कि किसी को निलम्बित नहीं किया और किसी को कोई दण्ड नहीं दिया। कल सदन में माननीय सदस्य आये और यह बात सामने आयी, उसके बाद शासन की ओर से आदेश हुआ कि इन्सपेक्टर दोषी था और जो सिपाही थे, उनको निलम्बित किया गया। दूसरे यह कहना है कि एस0 एस0 पी0 ने, जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गयी थी, जिसमें माननीय सदस्य का उद्गम हुआ, उनका कर्तव्य था कि इस घटना से माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी को अवगत करते। लेकिन कल गृह मंत्री ने पूरी तरह से अनभिज्ञता जाहिर की तो गृहमंत्री और मुख्य मंत्री को अवगत न कराना दूसरी सबसे बड़ी गलती है।

मेरा सबसे बड़ा आरोप है कि जब माननीय सदन चल रहा है तो उनका उत्तरदायित्व था कि सदन को इससे अवगत कराते। अवगत नहीं कराया और तीसरे हर जिले में एस0 एस0 पी0 पुलिस का मुखिया होता है, इस नाते वहां कोई गलती करता है, किसी थाने में सब इन्सपेक्टर द्वारा कोई हत्या हो जाती है तो एस0 ओ0 को सस्पेन्ड होना पड़ता है, इस तरह से मेरा आपसे कहना है कि यहां के एस0 एस0 पी0 ने एक नहीं तीन-तीन गलतियां की हैं और इसका पूरा जवाब यह दे दिया कि दो सिपाहियों को निलम्बित कर दिया, इन्सपेक्टर को निलम्बित कर दिया। यह समस्या का समाधान नहीं है।

मुझे तो यह कहना है कि सदन की पार्लियामेंटरी पद्धति रही है कि सदन के अन्दर माननीय मंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा देकर सदन की गरिमा को बढ़ाया और मंत्री पद की गरिमा को रखा। आज तो मांग यह थी, बेहतर होता कि वह अस्वस्थता का बहाना कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी इस्तीफा देकर, सारे सदन को आश्वस्त करते, मिसाल कायम करते। लोग समझते कि माननीय गृह मंत्री ने अपने अधिकारी कर्मचारी की गलती की वजह से अपनी उस जिम्मेदारी को लिया और इस्तीफा दिया। माननीया गृह मंत्री जी इस्तीफा नहीं दे सकती हैं माननीय मुख्य मंत्री का कर्तव्य है, उस एस0 एस0 पी0 ने एक नहीं, तीन गल्तियां की हैं, उसे देखें, आये दिन इस तरह की घटनायें हो रही हैं, सत्ता पक्ष के लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है। सदन के सामने ही माननीय हरदेव जी के साथ घटना हुई। केवल माननीय मुख्य मंत्री जी माफी मांग लें। खेद प्रकट कर दें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। माननीय बलजीत जी जो मथुरा के विधायक हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया शासन के सदस्य ने दुर्व्यवहार किया उनकी मौजूदगी में हुआ, माननीय समरपाल सिंह ने माफी मांग ली, माननीय मुख्य मंत्री ने खेद प्रकट किया। माफी मांगने का स्तर इतना गिरा रहे हैं, इससे हम लोगों के घावों पर मलहम नहीं लगता है, सदन के सदस्यों की गरिमा सुरक्षित नहीं हो पा रही है। डा0 रजनीकान्त दत्त के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वह मामला यहां उठा था। रंभ लक्षण जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, आश्वासन दिया गया कि सी0 ओ0 को हटायेंगे, आज तक उस सी0 ओ0 को हटाया नहीं गया। सभी माननीय सदस्यों के मन में चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों इस घटना को लेकर आक्रोश था, जो वह किया गया, यह निहायत शर्मनाक है। इनकी नौकरशाही, मुख्य मंत्री और वर्तमान शासन के बूते से बाहर है। इस तरह की जो पुनरावृत्ति होती है इसका अंजाम क्या होगा ? मंत्री भी पिटेंगे। मंत्री लोग जो इनके संरक्षण की बात कर रहे हैं, उनके पीटने का नम्बर आयेगा। माननीय आप अपना स्वविवेक जागृत करेंगे और शासन को निर्देशित कीजिये। माननीय उस एस0 एस0 पी0 ने जिसने कोई कार्यवाही नहीं की, जो माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मलहम लगाने की कोशिश नहीं की ताकि ऐसी पुनरावृत्ति न हो, उनको जब तक हटाया नहीं जाता वहां से, समस्या का कोई

विकल्प नहीं है । मान्यवर, हम सस्पेंशन की ही मांग कर रहे हैं, केवल कह रहे हैं उस एस० एस० पी० के लिये कि उन्हें उस जिले से हटाया जाय, अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाय । नहीं तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय हरीश जी के साथ दुर्व्यवहार को लेकर कल सदन की कार्यवाही रुकी रही और कल आपस में बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका । मान्यवर, इस तरह के दुर्व्यवहार की कड़ी एक के बाद एक करके जुड़ती चली जा रही है । हरीश जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वह मुद्दा तो सोचने का है ही साथ ही यह जो एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी जुड़ती चली जा रही है यह मुद्दा भी सोचने का है ।

मान्यवर, एस० एस० पी० जिसकी वजह से शासन तक को जानकारी नहीं मिल पायी एक वरिष्ठ माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार हुआ, एस० एस० पी० दोषी ठहरता है । सिपाही दोषी है उसको तो चौराहे पर खड़ा करके फांसी लगा देंगे लेकिन एक बड़ा अधिकारी दोषी साबित होता है तो उस पर उंगली उठाने के लिये तैयार नहीं है । आज एस० एस० पी० की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी हो गयी है कि सदन की प्रतिष्ठा उसके आगे कोई मायने नहीं रख रही है । मान्यवर, एस० एस० पी० की प्रतिष्ठा बड़ी रहेगी या सदन की प्रतिष्ठा? इसका निर्णय कब तक होगा दुर्व्यवहार की कड़ी एक के बाद एक करके जुड़ती चली जा रही है इसके बारे में सदन को कोई स्थायी हल सोचना होगा । इसके हल के लिये एक सदन की स्थायी समिति बना दी जाय । जो मामले विशेषाधिकार समिति के योग्य नहीं होते हैं विधायकों के साथ दुर्व्यवहार के सिलसिले में वह समिति उन कार्यों को देखा करे, उसके बारे में वह अपनी रिपोर्ट दिया करे और उसी के हिसाब से कार्यवाही सुनिश्चित हो । इस समिति का फायदा एक तो हरीश जी का प्रकरण अलग है और दूसरा इस समय के माध्यम से हम लोग इस तरह के प्रकरणों के स्थायी हल की तरफ बढ़ सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल और श्री राम आसरे वर्मा जी ने जो बातें यहां पर कहीं हैं, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं । मान्यवर, मुद्दा केवल एक है कि हरीश जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, मान्यवर उससे हम बहुत दुखी हैं और सभी माननीय सदस्य दुखी हैं । यह मामला उस समय बलाइमेक्स पर पहुंचा, जब अनेक माननीय सदस्यों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार और निन्दनीय घटनाओं की कड़ी में एक मामला और बढ़ गया । इसमें सरकार के प्रवक्ताओं ने भी पुलिस को दोषी माना, लेकिन दोषी मानने के बाद भी आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । चाहे राम लखन प्रसाद जी को अपमानित किया गया, चाहे सरदार सिंह की बात हो । ऐसे न जाने कितने मामले हैं, जब पुलिस द्वारा माननीय विधायकों के साथ दुर्व्यवहार और अपमानजनक घटना घटी है तब सरकार की तरफ से तमाम आश्वासन दिये गये लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया हमारी सिर्फ यह मांग है कि एस० एस० पी० का स्थानान्तरण होना चाहिए । यह बात मैंने कल भी कही थी । इस घटना की पूरी जिम्मेदारी, पूरी गलती, पूरा दोष एस० एस० पी० का ही है । अगर सरकार कहती है कि एस० एस० पी० की जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर यह सिद्ध हो जाता है कि पूरा गृह विभाग पंगु और बिल्कुल प्रभावहीन हो गया है, इसके लिये मैं तीन तर्क देना चाहता हूं ।

माननीय हरीश जी के साथ घटना घटी और पूरे शहर में लोगों को इसकी जानकारी हो गयी तो एस० एस० पी० को भी जानकारी हुयी होगी, लेकिन उसके द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही करने का प्रयास नहीं किया गया । उसके बाद समाचारपत्रों में भी अगले दिन सारा मामला निकल गया और

माननीय हरीश जी की लोकप्रियता इतनी अधिक है, कि आस-पास के तमाम गांव और स्थानों से लोगों की भीड़ आकर इनके दरवाजे पर इकट्ठा होने लगी, तब इस प्रभाव को देखकर एस0 एस0 पी0 थोड़े क्रियाशील हुये और दो सिपाहियों को लाइन हाजिर किया जब कि अल्फा टू से निकले हुये इंस्पेक्टर को तत्काल निलम्बित किया जाना चाहिये था, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। एस0 एस0 पी0 को इस घटना की जानकारी शासन को भी देनी चाहिये थी, लेकिन शासन को भी इसकी जानकारी नहीं दी गयी।

मैं अपना दूसरा तर्क भी देना चाहता हूं। मान्यवर, आपके पास माननीय हरीश जी का टेलीग्राम आ गया था और जिसमें यह लिखा था कि माननीय हरीश जी बड़े दुख में, बड़े मानसिक क्लेश में हैं और इसलिये आदरणीय सदन में नहीं आ पा रहे हैं। आपने उसे कृपापूर्वक गृह विभाग के पास भेज दिया। उसके बाद 7 तारीख को सभी को इसकी जानकारी मिल गयी, लेकिन गृह विभाग ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। उसका फर्ज था कि वह वहां से इसकी जानकारी करते, लेकिन कोई जानकारी नहीं की गयी, जबकि सदन चल रहा था और सदन के चलते हुये भी गृह विभाग के किसी अधिकारी ने न तो जानकारी देने का प्रयास किया, न संसदीय कार्य मंत्री को इसकी जानकारी दी गयी, न मुख्य मंत्री को इस घटना की जानकारी दी गयी, और न ही गृह मंत्री को इस घटना की जानकारी मिली।

इसका तीसरा सन्दर्भ भी है। कल यह घटना प्रदेश के सभी अखबारों में निकल गयी और प्रदेश की समस्त जनता ने इसको पढ़ लिया, उसके बाद भी आप स्वयं इस सरकार की संवेदनहीनता को देख रहे हैं। गृह मंत्री को इसकी जानकारी तब मिली जब माननीय सदस्य अपना रोष प्रकट कर रहे थे, इसलिये हमारी सिर्फ यह मांग है और इसमें किसी दल का कोई सवाल नहीं है इस पूरी घटना के लिये जिम्मेदार एस0 एस0 पी0 हैं और उन्हें प्रतीक के रूप में दंड देना अत्यन्त आवश्यक है। मेरी मांग है कि उनको वहां से हटा दिया जाय, ट्रांसफर कर दिया जाय। सरकार कहती है कि हम जांच करेंगे और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम माफी मांगेंगे तो इससे पुलिस बल का गन्दा हौसला और बढ़ जायेगा और इससे साबित होता है कि वह एस0 एस0 पी0 की गलती स्वीकार करते हैं। मान्यवर, समय का तकाजा है और आज संसदीय परम्पराओं की रक्षा का सवाल आपके सामने है। कभी-कभी ऐसे क्षण आते हैं जब इधर या उधर का भेद समाप्त हो जाता है और इस समय भी यही सवाल है, माननीय विधायक के सम्मान का और माननीय विधायकों की रक्षा का।

लेकिन मान्यवर, मुझे आपसे भी शिकायत है, आपसे मेरा मतलब है, माननीय अध्यक्ष पीठ से। मुझे अभी जानकारी मिली है और मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि आपके कक्ष में पुलिस का दरोगा विराजमान हैं, क्या वह आपकी अनुमति से आये हैं? मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसा दुस्साह कैसे किया गया और एक दरोगा को कमरे में कैसे बिठाया गया? मुझे लगता है कि आज जब विधायक अपनी बात पर बल देने के लिये साहसी कदम उठायेंगे, तो एक-एक विधायक की खोपड़ी तोड़कर उन्हें यहां से बाहर निकाला जायेगा। आपको हाउस गार्ड्स दिये गये हैं और इसलिये आपको कोई अधिकार नहीं है, इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि आप द्वारा परिसर में पुलिस तैनात किया जाय इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं और कहना चाहता हूं कि इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है, हम अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। हम सदन की कार्यवाही में भाग लेना चाहते हैं, और यह भी चाहते हैं कि यह सदन सम्मानपूर्वक चले। लेकिन कल जिस तरह से बिना चर्चा कराये बजट पास करा लिया गया और माननीय अधिष्ठाता आ गये, तब हमारे माननीय सदस्य उन्हें समझाने के लिये गये, तो इस तरह एक साथ एक लाइन में बजट पास कराया गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज तक के इतिहास में संसदीय परम्पराओं को तोड़कर कल जिस तरह का अभिनव का प्रयोग यहां किया गया, वैसा उदाहरण इस संसदीय इतिहास में दूसरा नहीं हुआ है और एक उत्तेजना का क्षण आया है। नाटक भी होता है और उसकी औपचारिकता भी निभानी होती है तो एक-एक मद करके पढ़ा जाता है, भले ही हम उस शोर में न सुन पायें। लेकिन एक अभूतपूर्व व घिनौना काम आपने कल किया है जो संसदीय परिपाटी के लिए एक कलंक है। हम भी चाहते हैं कि सदन शान्ति से चले। अब उत्तेजना को समाप्त करने का एक ही रास्ता है और हम उसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रतीक स्वरूप,

आज विधायकों के सम्मान को जो खतरा हो गया है, उसके लिए आवश्यक है कि आप एस० एस० पी० बनारस को तत्काल वहां से ट्रांसफर कर दें। अन्त में मैं एक बात बहुत अफसोस के साथ कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। कि 12-20 बजे तक के लिए हाउस स्थगित हो गया है और फिर वही प्रकरण चलेगा, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी व गृह मंत्री जी को यहां पर उपस्थित रहना चाहिये था, परन्तु वे यहां पर नहीं हैं। एक गृह राज्य मंत्री [×××] यहां पर हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी व गृह मंत्री जी यहां पर उपस्थित होते तो बात होती। माननीय नेता विरोधी दल व माननीय श्री राम आसरे वर्मा जी ने जो बात कही है, मैं उसपर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि एस० एस० पी० बनारस को वहां से तत्काल हटाया जाये।

श्री शारदा नन्द अंचल—

मान्यवर, आज जो मामला यहां पर रखा गया है, बहुत ही गम्भीर व दुखद है। विधायकों के सम्मान के प्रति आज संदेह की स्थिति पैदा हो गई है। पूरे प्रदेश में जबसे यह मालूम हुआ है कि श्री हरीश जी जैसे नेता के साथ पुलिस ने ऐसा व्यवहार किया, जो एक भूतपूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अभी तक उसपर कार्यवाही नहीं हुयी तो पूरे प्रदेश के अन्दर पुलिस के जो गन्दे लोग हैं, उनके हौसले बुलन्द हो गये हैं। इससे पूर्व में भी घटनायें इस प्रकार की हो गई हैं। घटना के बाद सदन में औपचारिक रूप से मंत्री जी यह कह देते हैं कि हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने जा रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जायेगा, लेकिन अन्त में उन दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इससे यह स्वाभाविक है कि इस प्रकार की घटनायें बढ़ेंगी। आज यह ठोस निर्णय हो जाना चाहिए कि आखिर इस प्रकार की घटनायें माननीय विधायकों के साथ होती रहेंगी और सरकार के इस प्रकार के बयान आते रहेंगे कि हम कार्यवाही करने जा रहे हैं और क्या सदन में की गई घोषणाओं का इसी प्रकार पालन होता रहेगा, क्या इसी प्रकार माननीय विधायकों के सम्मान को ठेस पहुंचाया जाता रहेगा ? इसलिये मान्यवर, आज आपकी पीठ से इस पर कोई ठोस निर्णय हो जाना चाहिये और इस मामले पर आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिये तथा एस० एस० पी० को वहां से तत्काल हटा दिया जाना चाहिये साथ ही उसको प्रतिकूल प्रविष्टि भी कर दी जानी चाहिये ताकि दूसरे अधिकारी भी समझें कि विधायकों के सम्मान को इस तरह से ठेस नहीं पहुंचायी जानी चाहिये। जब तक गृह मंत्री जी की तरफ से इस मामले पर कोई ठोस उत्तर नहीं आ जाता, यह सदन अशान्त व रोषमय रहेगा। आज हम विधायकों के सम्मान के सामने कोई और चीज बर्दास्त नहीं करेंगे।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, हमारे अन्य विधायकों को भी आप सुन लें। मामला बहुत गम्भीर है।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, सदन में जिस प्रकार की चर्चा हो रही है, वह काण्ड बहुत ही दुखद है, गम्भीर है और मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक ऐसा प्रकरण है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। माननीय हरीश जी के साथ जो भी दुखद काण्ड हुआ है, उससे इस समूचे सम्मानित सदन की गरिमा को आघात पहुंचा है, सभी माननीय सदस्यों के सम्मान को आघात पहुंचा है। मुझे विश्वास है कि इतने गम्भीर विषय पर जब हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो कोई भी पक्ष अथवा विपक्ष के नाते से विचार न करके सम्पूर्ण सदन की गरिमा कैसे बनी रहे, इस माननीय सदन के सदस्यों का सम्मान कैसे सुरक्षित बना रह सके, इसकी चिन्ता करेंगे। मैं दो-तीन बातें कहने के लिये खड़ा हुआ हूं।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय हरीश जी जैसे वरिष्ठ, शालीन, अति संयत भाषा का प्रयोग करने वाले इतने वरिष्ठ सदस्य के साथ अगर पुलिस दुर्व्यवहार कर सकती है, उनकी जिन्दगी भर की कमाई उनकी इज्जत पर हाथ उठा सकती है तो हमको सोचना होगा कि किसी की भी इज्जत सुरक्षित रह पायेगी या नहीं । हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, क्या विधायिका की कोई गरिमा बचेगी ? क्या फिर छोटे से छोटा कर्मचारी विधायकों को बेइज्जती नहीं करेगा ? अगर सरकार ने इस सारे काण्ड को गम्भीरता से नहीं लिया और लीपा-पोती करने की कोशिश की तो इसका दुष्परिणाम यह निकलेगा कि आज हरीश जी के साथ हुआ है, वही कल दर्जनों विधायकों के साथ होगा चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उनको अपमान का सामना करना पड़ेगा पुलिस के अफसर जब यह जान जायेंगे कि इतने शालीन व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकते हैं, इतनी नीचाई तक जा सकते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी की भी इज्जत सुरक्षित रह पायेगी । मैं जानता हूं कि प्रत्येक के साथ सख्त कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हुआ करता है, लेकिन अगर उदाहरण स्वरूप एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ उसकी लापरवाही के लिये शासन सख्त कार्यवाही कर दे, तो सैकड़ों हजारों अधिकारियों, कर्मचारियों के कान खड़े हो जाते हैं कि सलीके से व्यवहार करोगे तो ठीक होगा नहीं तो सजा भुगतनी पड़ेगी । क्या सरकार इसके लिये तैयार है ? अगर नहीं तो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सरकार का कोई कन्ट्रोल नहीं रह जायेगा । मैं तो इस नियम और नीति का मानने वाला हूं कि अगर निचले स्तर के किसी कर्मचारी ने गलत व्यवहार किया है तो भले ही चाहे उच्च अधिकारी उसमें प्रत्यक्ष रूप से संलग्न न पाया जाय तो भी कहीं न कहीं एक्जेम्पलरी एक्शन लेने से, अपने अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी के आचरण के लिये उच्च अधिकारी को भी सजा दे दी जाय तो मेरा विश्वास है कि प्रदेश के सभी उच्च अधिकारी जागरूक रहेंगे कि अधीनस्थ कर्मचारी ठीक से काम करें । तभी अनुशासन आ पायगा और तभी ठीक से शासन चल पायगा । यहां की स्थिति भिन्न है, यहां तो एस० एस० पी० कछुवार भी है ।

हरीश जी के साथ दुर्घटना हो गयी, एस० एस० पी० को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये थी, उसने नहीं की । इससे कहीं बड़ी उत्तेजना पैदा हो सकती थी, मैं तो बनारस के लोगों की शालीनता और धैर्य की दाद देना चाहता हूं कि उन्होंने थाने का घेराव नहीं किया । क्या शान्तिप्रिय नागरिकों के धीरज की इतनी सख्त परीक्षा ली जायगी, कि नागरिक उस परीक्षा में फेल हो जायं ? क्यों नहीं कोई कार्यवाही तत्काल की गयी ? क्यों सस्पेण्ड नहीं किया गया ? बन की आग की तरह खबर पहुंच गयी तब वहीं जाकर उनके कान पर जूं रेंगी ? तब जाकर उसको लाइन जाहिर किया गया ? शासन को इस बात की इत्तिला नहीं है, आखिर तमाशा क्या बना रखा है ? यह आग प्रदेश में जब फैलेगी तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बड़ा उग्र रूप धारण करेगी । यह केवल वाराणसी में ही नहीं बल्कि यह हर जिले में फैलेगी और तब हम इसको बुझा नहीं पायेंगे । आज हरीश जी को बन्दूक के कुन्दे से मारा गया है, मैं समझता हूं कि यह बन्दूक का कुन्दा हरीश जी के सीने पर नहीं बल्कि यह बन्दूक का कुन्दा लोकतंत्र के सीने पर मारा गया है । लोकतंत्र की रक्षा के लिये हमें जहां तक जाना पड़ेगा, हम जायेंगे ।

मैंने सभी के भाषण सुने, किसी ने नहीं कहा कि इस एस० एस० पी० को सस्पेण्ड करके बरखास्त कर दें । सम्पूर्ण सरकार पंगु बनी बैठी हुई है । मैं शासन में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि आपकी जो गल्तियां हैं, जनता के सामने हैं अगर आपने इसके लिये समुचित कदम उठाया तो जनता समझेगी कि आपने सही समय पर ठीक से कदम उठाया है । इससे अनुशासन बनेगा, प्रशासन चलेगा, शासन में आपकी धाक जमेगी । यह मैं समझता हूं कि सब जगह न तो मुख्य मंत्री जा सकते हैं और न गृह मंत्री ही जा सकती है, लेकिन शासन करने वाले का एक इकबाल होता है । आप इतना सा काम नहीं कर सकते हैं कि एक एस० एस० पी० का ट्रान्सफर कर दें ? मैं समझता हूं कि इससे शासन का इकबाल गिरेगा ।

मैं फिर से बड़े पुरजोर शब्दों में मांग करना चाहता हूं कि जैसा कि अभी हमारे अन्य साथियों ने जैसे कि नेता विरोधी दल ने, माननीय वर्मा जी तथा माननीय गुप्ता जी ने कहा है, मैं उनकी

[illegible] सदन इसका है कि उनके [illegible] सदन के सामने लाया जाय। मेरी इसे और को उन्हें [illegible] अपने विचार को [illegible] सदन के सामने [illegible] इसे [illegible] नहीं [illegible] गया तो [illegible] परिणाम [illegible] सामने [illegible] होगा।

दूसरा [illegible] प्रश्न मेरा और विपक्ष का नहीं बल्कि यह प्रत्येक विधायक के सम्मान का प्रश्न है आदरणीय सदस्य हों और चाहे उस [illegible] के सदस्य हों। डॉक्टर बत्रा के साथ जो [illegible] हुआ है [illegible] उसको भी [illegible] लिया था और अपने [illegible] श्री के साथ जो हादसा हुआ है [illegible] हम भी इस [illegible] से [illegible] हैं। हमें [illegible] नहीं [illegible] है कि पुलिस [illegible] से [illegible] विधायकों के साथ [illegible] व्यवहार करें। आज [illegible] है कि [illegible] राजनीति से ऊपर उठ के, [illegible] से भी [illegible] हैं और [illegible] हैं, [illegible] हैं और [illegible] हैं, इस पर [illegible] जिस [illegible] और [illegible] की [illegible] हैं उसे पूरा करेंगे। यह एक उदाहरण बन जायेगा, यह एग्जेम्पलेरी [illegible] होगी कि एक मंत्रीगण अधिकारी द्वारा किसी सम्मानित [illegible] जिलेवार उसका वरिष्ठ अधिकारी भी होता है। उनकी केवल यह जिम्मेदारी नहीं होती है कि वह [illegible] में बैठ कर शराब पिये और अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मनमानी करने दे। उसे [illegible] होना चाहिये कि अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की गयी गलती की सजा इसे भी मिल सकती है।

माननीय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा, सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग कर ही [illegible] हूं कि [illegible] और विपक्ष भेद-भाव भुला कर दलगत राजनीति से ऊपर उठिये और आज जो प्रश्न सामने आ गया है इस सम्बन्ध एक मत से इसे आवाज उठाइये। मैं तो सभी कहता हूं कि मुझे आश्चर्य होता है कि एस० एस० पी० के केवल ट्रांसफर की बात ही कही जा रही है। कोई ऐसी बात तो कही नहीं जा रही है कि बादल उससे कट जायेंगे। अगर वह एस० एस० पी० बनारस में नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं एस० एस० पी० ही बन कर रहेगा, कहीं [illegible] रहेगा या उससे कम रैंक पर तो रहेगा नहीं, इसमें क्या परेशानी है, आखिर माननीय सदस्यों की भावनाओं की कहीं पर तो कद्र होगी या नहीं? माननीय, मैं जानता हूं कि ऐसी स्थिति में माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां रहना चाहिये था, गृह मंत्री जी को रहना चाहिए था, लेकिन सरकार के कुछ लोग बैठे हैं, जो बराबर के जवाब देते हैं, इसलिये मैं आगे कुछ नहीं कहता, लेकिन इतना अवश्य चाहता हूं कि इस मामले को पूरी गंभीरता से लें और विचार कर सरकार इस सदन में आज ही घोषणा करें कि बनारस से उस एस० एस० पी० को हटा दिया गया है, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय कुछ दिनों से इधर बराबर ऐसी घटनाएं हो रहीं जिससे सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों का सम्मान दिन पर दिन गिर रहा है और श्रीमन्, एक धारणा सी बनती जा रही है, कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी विधायकों के साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार करते हैं और जब सदन में इस बात की चर्चा होती है तो प्रशासन की तरफ उन्हें दंडित करने की प्रक्रिया अमल में न लाये जाने के कारण नतीजा यह निकल रहा है कि रोजाना इन जन-प्रतिनिधियों के अपमान की भावना बढ़ती जा रही है और ऐसी घटनाएं आये दिन प्रकाश में आ रही हैं, और जन-प्रतिनिधियों की इज्जत लूटी जा रही है, अभी कुछ दिन पहले भी एक आई० ए० एस० के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसी ही घटना घटी, लेकिन कोई कार्यवाही इस मामले में भी नहीं की गयी, लेकिन शासन की ओर से कोई प्रक्रिया कार्यवाही के नाम पर अमल में नहीं लायी गयी, जिसका यह नतीजा माननीय, आये दिन देखने को मिल रहा है और एक के बाद दूसरी घटनाएं घटती चली

जा रही हैं। इसलिये श्रीमन्, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि शासन को कोई मौलिक सिद्धान्त बनाने चाहिये जिससे इनके बीच और हमारे बीच एक सीमा रेखा बनी रहे। आचार संहिता की बात यहां पर बड़े जोरों से लाई जा रही है, जिस आचार संहिता की आप बात करते हैं उसके पालन में यदि जो लोग दोषी हैं, उनके प्रति कार्यवाही करने में शासन सक्षम नहीं है, तो इस संहिता की बात करना कहां तक उचित होगा? माननीय हरीश जी के साथ यह घटना हुयी, हालांकि इस मामले की समुचित जिम्मेदारी एस0 एस0 पी0 की थी, मात्र उसे हटाए जाने की बात की जा रही है, मांग की जा रही है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब वर्मा जी आसन ग्रहण करें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें, बहुत बातें इस पर हो गयी हैं.....(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने के कारण घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, (शोर के दौरान) बजट को पास करने की जो प्रक्रिया आज कल अपनाई जा रही है, वह मान्यवर, कहां तक उचित है, जनता भी इसे देख रही है और भ्रष्टाचार पर किसी रूप में पर्दा डाला जा रहा है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की आज आवश्यकता है.....

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए इस सदन की पवित्रता किसी मन्दिर से कम नहीं होती है और परम्पराएं दोनों तरफ से चलती हैं और ऐसा अहम मामला यहां पर विचारणीय है, ऐसे अवसर, पर भी यहां पर न तो माननीय मुख्य मंत्री जी हैं और न ही माननीय गृह मंत्री जी मान्यवर, इससे बड़ी गंभीर और आवश्यक बात और भी कोई होगी, जिस समय यह लोग यहां पर होंगे.....

(घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

क्या यही औपचारिकता है?.....

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, जिनका मैं समझता हूं कि सामूहिक उत्तरदायित्व है, और न ही यहां पर कोई दिक्कत किसी प्रकार की हो रही है.....(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्बार रिजवी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य माननीय नेताओं ने अपने-अपने विचार रखे.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्री को पहले सुन लें फिर वर्मा जी आपको भी सुन लूंगा।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

व्यवस्था का प्रश्न है, भाषण नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री सत्य पाल सिंह—

माननीय वर्मा जी वरिष्ठ सदस्य हैं । अगर संसदीय कार्य मंत्री जी के बोलने के पहले आप उनको सुन लें तो क्या हो जायगा ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

वर्मा जी, उनके बाद बोलने के लिये राजी हो गये हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, एक तो हमारी आपत्ति है कि जब इतना गंभीर मसला है, जो हमारे और आपके सम्मान का विषय है और कल से इसी विषय को लेकर हाउस निलम्बित हो रहा है और इतना बड़ा विषय है तो मेरी पहली आपत्ति यह है कि आप की पीठ से हमें संरक्षण नहीं मिल रहा है और लेकिन जो आपका निर्देश होगा वह हम शिरोधार्य करेंगे । लेकिन यह बड़ी दुख की बात है कि जब विधायकों के सम्मान का प्रश्न है, जिस समुदाय के आप भी हैं, लेकिन इस समय न मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं और न ही गृह मंत्री जी ही उपस्थित हैं । जो सरकार का अगुआ है वही मौजूद नहीं है । गृह मंत्री जी मौजूद नहीं है

[× × ×]

यह हरीश जी का ही मामला नहीं है बल्कि इस तरह के मामले सन् 1985 से हो रहे हैं और सरकार उनको नजरदांज करती है । मेरा आपसे और सरकारी पक्ष से अनुरोध है कि उनके अन्दर आम सम्मान है या नहीं जन प्रतिनिधि जब इस तरह से पुलिस के लोगों से अपमानित होंगे तो जनता का क्या होगा ? संसदीय कार्य मंत्री जी वरिष्ठ मंत्री हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वह भी इसी स्थान से चुनकर आते हैं जहां से हम लोग आते हैं और जब इस तरह का मामला आता है तो उनको ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिय । जब गलती साबित हो जाये तो उन्हें कार्यवाही करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिये । कल हरीश जी ने रो-रो कर कहा है, लेकिन एस० एस० पी० के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । एस० एस० पी० ने जिस प्रकार से माफी मांगी उससे वह संतुष्ट नहीं हुए । तो जो अधिकारी हैं उनका मनोबल अगर इसी प्रकार से बढ़ता जायेगा तो यही स्थिति हमारी और आपकी भी होगी । जब प्रशासन और लोक तंत्र आमने-सामने होगा तो आप किसको प्राथमिकता देंगे ? यह प्रश्न आज हमारे सामने है आपको इस पर निर्णय करना होगा और हिम्मत के साथ निर्णय करना होगा कि आप प्रशासन को अधिक प्राथमिकता देंगे या लोकतंत्र को अधिक प्राथमिकता देंगे । डर करके लोकतंत्र की परम्पराओं और मान्यताओं का परिचालन नहीं किया जा सकता है अगर आप भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देंगे तो जनता आपके मुंह पर थप्पड़ मारेगी अब वह समय आ गया है । इसलिये आप से अनुरोध है कि आप उनके खिलाफ कार्यवाही करें, लोकतंत्र की रक्षा करें और इस सदन की रक्षा करना आपका दायित्व है और आपको अधिकार है कि आप कोई भी निर्देश दे सकते हैं । माननीय हरीश जी कल यहां पर रो-रो कर कह रहे थे । अगर आप उनकी बात को विश्वसनीयता से मानते हैं तो अविलम्ब उस एस० एस० पी० का वहां से तबादला करा दें अन्यथा यह माना जायेगा कि आप भी इस सदन का संचालन ठीक से नहीं कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्मार रिजवी—

उपाध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने कल भी निवेदन किया था और आज भी मैं व्यक्तिगत रूप से और जो सरकार का, इस पक्ष का और मैं समझता हूं कि पूरे सदन का यह दृष्टिकोण है उससे मैं अपने आपको भी सम्बद्ध करता हूं। जहां तक माननीय विधायक की इज्जत, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा का प्रश्न है उसमें यहां पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। मान्यवर, प्रश्न यहां पर यह है कि माननीय नेता विरोध पक्ष तथा अन्य नेतागण ने जो सारी बातें कहीं, जिन पर कल से चर्चा हो रही है, उन्होंने कहा कि सरकार ने इस सिलसिले में कुछ नहीं किया। कल से यहां पर इस बात पर विचार और चर्चा हो रही है और जिस समय से माननीय हरीश जी ने अपनी दुर्घटना का जिक्र किया, मैं समझता हूं कि तब से यहां पर जो पक्ष और विपक्ष का बैरियर था, वह हट गया। हम सब लोगों ने मिलकर उनके साथ सहानुभूति प्रकट की और सरकार ने तत्परता से कार्यवाही की। जिन दो व्यक्तियों का जिक्र माननीय हरीश जी ने अपने पत्र में किया था और एक इन्सपेक्टर की बात कही थी इन तीनों के सिलम्बन के आदेश दे दिये गये हैं .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुन लीजिये।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो प्रजातन्त्र और लोकतंत्र की बात करते हैं तो उन्हें और हमें थोड़ा सा यह भी सोचना चाहिये कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो फन्डामेन्टल प्रिंसपल है कि दूसरे की बात सुनेंगे और अपनी बात कहेंगे। मान्यवर, फांसी के मुल्जिम की भी बात सुनी जाती है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि अगर कोई मैं गलत बात कहूं तो मुझे बाद में टोक दें लेकिन मुझे अपनी बात निवेदन करने दी जाय।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, यह विषय को समझ नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुन लीजिये।

श्री अम्मार रिजवी—

क्योंकि यह बहुत गम्भीर विषय है इस वजह से मैं बारी साहब की बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं।

श्री शारदा प्रताप—

मंत्री जी नैतिकता के कटघरे में खड़े हैं।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि दो कांस्टेबिल और एक इन्सपेक्टर या सब-इन्सपेक्टर को या उन्हें सस्पेण्ड कर दिया गया। चौथी बात यह थी कि एस0 एस0 पी0 के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई? माननीय गृह मंत्री जी आज अस्वस्थ हैं। मुझे बड़ा खेद है कि आज वह बीमार हैं। नेता विरोधी दल ने कहा कि वह आज जानबूझ कर नहीं आयी हैं। ऐसी बात नहीं

है। वह बीमार हैं और घर पर हैं। ... (व्यवधान) आपने एक बार एस0 एस0 पी0 के बारे में कहा...

श्री शारदा प्रताप—

मुख्य मंत्री जी कहीं नहीं आये? ... (व्यवधान)

श्री अम्बार रिजवी—

माननीय मुख्य मंत्री जी का अभी यहां पर वक्तव्य हुआ था। माननीय, मेरी बात यही थी कि एस0 एस0 पी0 के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई? इसके बारे में अभी तक जो स्थिति थी वह यह है कि जो सूचना मेरठ में मिलने के बाद, यहां सूचना देर में पहुंची और उसे यहां पर कन्फर्म नहीं किया गया, यह निश्चित रूप से तभी नहीं हो पाया था। मान्यवर, हम जब इस सदन में बैठते हैं जो 13 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है, वहीं पर हमसे यह भी आशा की जाती है कि किसी के साथ अन्याय न हो। यहां पर हम न्याय करने बैठते हैं तो वह व्यक्ति जो यहां पर मौजूद न हो उसी तरह से बोलने का मौका न मिले तो हम लोगों का कर्तव्य है कि उसके बारे में पता लगायें, जिस व्यक्ति के कार्य देर हुई है या कन्फ्यूजन हुआ है और महत्वपूर्ण घटना की सूचना शासन में नहीं मिली है उसका पता लगाना कि ऐसा और उस व्यक्ति को हम प्रताड़ित करेंगे या (कुछ कहेंगे) जो भी उचित होगा वह करेंगे। तो इसका निश्चय करने के लिये सीनियर बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर से उसकी जांच करायेंगे। अब आप यह बतायें यह फैसला सदन को भी करना है और दूसरे लोगों को भी करना है कि सरकार की लापरवाही कहां पर रही है? यहां पर सूचना आने पर तथा सारी बातें आने पर दो आदमियों को सस्पेण्ड कर दिया। हमें माननीय हरीश जी ने अपने पत्र में केवल दो लोगों के नाम कहे और फिर यहां पर तीसरे की बात कही तो तीसरे को भी सस्पेण्ड किया। फिर यह कहा गया कि देर से सूचना पहुंची है तो उस प्रकरण की जांच सीनियर मेम्बर बोर्ड आफ रेवेन्यू से कराई जा रही है। तो यह कहना कि सरकार माननीय विधायकों का सम्मान नहीं करती है कहां तक उचित है? जहां-जहां भी ऐसे मौके आये हैं सरकार ने पूरी तत्परता से कार्यवाही की है और करती रहेगी (व्यवधान) मेरा अनुरोध है माननीय नेतागण, माननीय नेता विरोधीदल तथा माननीय हरीश जी से भी है, माननीय हरीश जी भी दिल की गहराई से समझ रहे हैं कि जितनी कार्यवाही हुई है सही हुई है। मेरा अनुरोध है कि आज भी कल की तरह महत्वपूर्ण बजट है, अब इस पर चर्चा समाप्त करें और इस प्रकरण को समाप्त करें (व्यवधान) जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, इससे ज्यादा कहने की गुंजाइश नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब शान्ति रखें में 301 की सूचना लेता हूं। (व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लीजिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़ी आसानी के साथ कह दिया कि उन्होंने सूचना भेजने में देरी की इसकी जांच करायेंगे? लेकिन मेरी बात पर एक शब्द भी नहीं कहा मैंने कहा कि जब हरीश जी वहां गये और उनके साथ जब दुर्व्यवहार हुआ तो उनके अंगरक्षक ने बार-बार कहा कि यह विधायक जी हैं कोई परवाह नहीं की यह सीनियर विधायक हैं वहां के निवासी हैं तो इन सारी परिस्थितियों के बावजूद एस0 एस0 पी0 द्वारा उन दो सिपाहियों को केवल लाइन हाजिर करना क्या पर्याप्त है क्या यह लापरवाही नहीं है जब एक विधायक का कालर पकड़ लिया हो और उसे खींचा हो उसके बाद आपके प्रशासनिक अधिकारी ने लापरवाही बरती एस0 एस0 पी0 ने उन्हें सिलसिलेवार कर दिया होता तो शायद यह दुर्व्यवहार, जो आज यहां पर सदन में हो रहा है, कभी न चलता। आपने इतने संगीन अपराधों में महज लाइन हाजिर किया तो उसके ऊपर आपका कोई अंकुश नहीं है। (व्यवधान) पूरा सिस्टम खराब चल रहा है इसलिये यह मामला यहीं उठ गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, कितनी इस पर चर्चा होगी ?

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी—

माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद मौका दूंगा। उसी समय तय हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

कब तक यह चलेगा ? अब इस पर चर्चा में आगे नहीं चलाऊंगा।

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी ने गृह सचिव के पास सूचना भेज दी, तो उन्होंने कौन सी कार्यवाही की ? (व्यवधान) क्या वह दोषी नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब बातें हो चुकी हैं। (व्यवधान) अब मैं 3 बजे की सूचना ले रहा हूं। (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। आपकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है, तब से अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई (व्यवधान) क्यों करायें ? अब अपने स्थान पर बैठ जाइये। (व्यवधान) आपकी बात नहीं सुनूंगा मैं नहीं देता हूं। आप लोग बैठ जायं। 301 की सूचनायें ले रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी—

मान्यवर, यह हरीश जी का प्रश्न नहीं है बल्कि सदन में बैठे हुये प्रत्येक माननीय सदस्य का प्रश्न है। आप इस सदन के अधिकारों का संरक्षण करते हैं। आपके सम्मुख यह घटना चल रही है। इस सदन के और हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है, इस प्रकार यह संस्था नहीं रहेगी तो हम किस जन अधिकार सुरक्षा के लिये यहां चुन कर आते हैं ? डा0 रजनीकान्त वत्स, का प्रश्न है या श्री हरीश जी का, जब ऐसे सुरक्षा अधिकारियों को अपराधों की श्रेणी में गिना जायेगा तो इस सदन में आना ही अवमानना का प्रश्न बन जायेगा। जो समाज के पहरेदार हैं [illegible] का पालन हो रहा है, जोर उसके लिये हम [illegible] ठहराये जा रहे हैं। यह कोई गड़बड़ करेंगे तो अखबार में छप जायेगा लेकिन अधिकारी अच्छी करेंगे तो कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

इसलिये आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब सदन में एक बहुत बड़े जनमत ने चुन कर हम लोगों को भेजा है तो [illegible] कि उनको सुरक्षा देंगे। [illegible] का डंडा हम पर नहीं बल्कि जिस जनता ने चुन कर हमें भेजा है उस पर चलता है। इसलिये आप निर्णय व्यक्तिगत के पक्ष में न कर बल्कि निर्णय आपको पीठ से होना चाहिये। हम न गन, न बिस्की, न प्रशासन की बात का समर्थन करते हैं और न श्री हरीश जी एवं डा0 रजनी कान्त वत्स की बात करते हैं बल्कि हम चाहते हैं कि आपकी पीठ से ऐसा निर्णय हो, चाहे सारे प्रवेश द्वार बन्द करने पड़ें, [illegible] और गलतफहमियां पैदा हो, लेकिन यह पता है कि आचार संहिता क्या है, उसके बाद उस आचार संहिता का पालन नहीं होता है तो इस सदन को आचार संहिता को जो तोड़ दें। हम समाज के अधिकारों के पहरेदार हैं लेकिन पहरेदार आज मारे जा रहे हैं, तो एस0 एस0 पी0 की बर्खास्तगी का क्या औचित्य है ? सिपाही गरीब और छोटा कर्मचारी होता है [illegible] द्वारा किया गया होगा लेकिन जिस अधिकारी पर जनमत की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखी गयी है वह जिम्मेदारी नहीं होगा तो किस पर जिम्मेदारी आयेगी ? इसलिये आपकी पीठ से निर्णय होना चाहिये। इस सदन में 4–5 दिन बजट पर चर्चा नहीं हो सकी, चर्चा बीत गयी किन्तु एक चर्चा

हमारे अधिकारी की आचार संहिता की चर्चा यहां होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पीठ से ऐसा निर्णय लें कि जो सदन का इतिहास बनाये।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव रखा है कि दीर्घाओं को खाली करके प्रोटोकाल के बारे में बहस करायें, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आप चाहें तो इस पर वोट करा लें।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास—

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। संसदीय कार्य मंत्री ने सफाई दे दी है लेकिन मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि मिर्जापुर जिले की माननीया महिला सदस्या, बेगम साहिबा, बैठी हैं वह दो महीने से पुलिस के आतंक के कारण, एस0 एस0 पी0 के डर से मिर्जापुर नहीं जा रही हैं इसका क्या कारण है? बतायें? दो महीने से नहीं जा रही हैं, जनवरी से नहीं जा रही हैं, अपने यहां। वहां पर कल खड़ी थी, कहने लगी मुझे अपनी बात आज 'कहने का मौका नहीं दिया गया, मैं भी इस संबंध में अपनी बात कहना चाहती थीं। मैंने पूछा बेगम साहब क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं दो महीने से मिर्जापुर नहीं गई हूं, मुझे पुलिस अधिकारी से भारी खतरा है, जान से मार डाले जाने का खतरा है .....

(कुछ सदस्यों द्वारा मंत्री जी के पीछे बैठी बेगम साहिबा को बोलने दीजिए, रोकिये मत कहने पर एंव सर्वश्री शारदा प्रताप, विजय सिंह राणा, डा0 अच्युतानन्द तिवारी आदि अनेक सदस्यों के सदन के फ्लोर पर आ जाने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

बड़ी अव्यवस्था फैली है, मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 1 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

जिला गाजीपुर के मरदह ब्लाक में डंडापुर से कासिमाबाद तक के मार्ग लेपन स्तर तक बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत सात सूचनायें स्वीकार की गई हैं। सारी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं वह इस प्रकार हैं। पहली सूचना श्री चन्द्र सेन की है। इन्होंने जिला गाजीपुर की मरदह ब्लाक में डंडापुर से कासिमाबाद तक के मार्ग को लेपन स्तर तक बनाए जाने के संबंध में सूचना दी है। दूसरी सूचना श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की है। इन्होंने अनुसूचित जनजाति चयनोन्नति प्रक्रिया नियमावली, 1970 में संशोधन कर पृथक्-पृथक् सूची बनाये जाने के संबंध में सूचना दी है। तीसरी सूचना श्री पारसनाथ यादव की है। इन्होंने जनपद झांसी के विकास

(व्यवधान)

खंड सिकरारा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अभिग्रहीत भूमि का प्रतिकर न दिये जाने के संबंध में सूचना दी है। चौथी सूचना श्री विष्णु देव की है। इन्होंने जनपद सऊ को तहसील बोसी के ग्राम चक्की मूसा डोही ग्राम की बंजर भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में सूचना दी है। पांचवीं सूचना कुंवर मानवेन्द्र सिंह की है। इन्होंने जनपद झांसी की गरौठा तहसील के ककरवई ग्राम में जूनियर हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में सूचना दी है। छठी सूचना श्री राम नारायण पाठक की है। इन्होंने जनपद कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र के कानपुर पब्लिक जूनियर हाई स्कूल को स्थायी मान्यता दिये जाने के संबंध में सूचना दी है।

सातवीं सूचना श्रीमती विजय लक्ष्मी की है। इन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारियों के लम्बित बिलों के संबंध में सूचना दी है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र सेन—

[माननीय, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व की जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मरदह में डंडापुर से इंवोर खंजुरगांव होते हुए कासिमाबाद मार्ग (लम्बाई 9 किलो०) को लेपन स्तर तक बनाने के लिए आकृष्ट करता हूं यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मिट्टी, पुलिया और खड़ंजे स्तर तक बनायी गयी है। इस मार्ग के कई हजार जनता को आने जाने की सुविधायें हैं। इस सड़क को लेपन स्तर तक बनाने के लिए वहां के कई हजार कृषकों तथा अन्य लोगों ने धरना एवं प्रदर्शन किया लेकिन अभी तक यह सड़क नहीं बनी। इसलिये वहां के लोगों में काफी क्षोभ है।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित कर उपरोक्त सड़क निर्माण लेपन स्तर तक करवाने का कष्ट करें। जिससे वहां की हजारों की जनता को इस सड़क से सुविधा मिल सके।]

अनुसूचित जनजाति चयनोन्नति प्रक्रिया नियमावली, 1970 में संशोधन कर पृथक्-पृथक् सूची बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

[माननीय, मैं अनुसूचित जाति के आरक्षण में की जाने वाली धांधलियों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है। सरकार ने शासनादेश संख्या 15/25/73-रा० ए० की०, दिनांक 10 मई, 1976 द्वारा यह आदेश निर्गत किये थे कि सभी सेवा पदों संबंधी नियमावलियों में आरक्षण संबंधी एवं विशेष नियम "अपवाद" का समावेश कर दिया जायेगा, ताकि आरक्षण आदेशों से पूर्व के नियमों का उन पर कोई प्रभाव न पड़े।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परन्तु राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ने ही सर्वप्रथम इस आदेश का उल्लंघन किया है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श उपलब्धि (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अब तक उक्त आदेश नियम का समावेश नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप 1970 के बाद पूर्णतः निष्प्रभावी हो गया है और 1983 से आज तक इसका आरक्षण अनुसूचित के किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है, क्योंकि इस नियमावली के नियम 8 में संशोधन किये ही पात्रता सूची बनाई जा रही है, जब कि 8 मार्च, 1973 के आरक्षण आदेश का तभी अर्थ है जब अनुसूचित जाति एवं जनजाति की पात्रता सूची की आड़ से बनाई जाये।

मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि उपलब्धि (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के आरक्षण आदेश से पहले के नियम 8 में संशोधन करके सामान्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति की पृथक्-पृथक् सूचियां बनाने का आदेश अविलम्ब निर्गत किये जाये।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सिकरारा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारसनाथ यादव—

[मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोकहित एवं किसानों से संबंधित विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनपद जौनपुर, विकास खण्ड सिकरारा में, सिकरा बरईपार से बेलवार मार्ग जिसका निर्माण सन् 1960 में हुआ था तथा भूमि अधिग्रहित की गयी थी उसमें कुछ लोगों को सन् 81 में मुआवजा दिया गया तथा लगभग 12 एकड़ भूमि की श्रीमती दुलराजी पत्नी श्री बच्चई रामपाल पुत्र श्री मथुरा राम यादव आदि की है। अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया।

अतः आप के माध्यम से शासन से अनुरोध है कि तत्काल जांच कराके उपरोक्त भूमि का मुआवजा दिलवाने की कृपा करें।]

जनपद मऊ की तहसील घोसी के ग्राम बनकी मूंसा डोही का बंजर भूमि के अवैध कब्जे के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय देव—

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मऊ की तहसील घोसी के ग्राम बनकी मूंसा डोही की करीब 300 एकड़ बंजर भूमि दूसरे जनपदों के दो जबरदस्त परिवारों द्वारा हड़पे जाने तथा ग्राम प्रधान द्वारा उसकी बेदखली संबंधी आवेदन-पत्र देने पर हड़पे हुए जमीनदार व्यक्तियों के आतंक से पैमाइश तथा बेदखली संबंधी सारी कार्यवाही ठप हो जाने से उत्पन्न स्थिति को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। ग्राम बनकी मूंसा डोही की करीब 300 एकड़ बंजर भूमि दूसरे जनपदों के दो जबरदस्त परिवारों द्वारा संरक्षण विवाद बताकर हड़प लिया गया है। ग्राम प्रधान द्वारा बार-बार अधिकार पत्र देने पर संबंधित कर्मचारियों द्वारा पैमाइश की कार्यवाही प्रारम्भ हुयी थी परन्तु उक्त दोनों जबरदस्त परिवारों के आतंक से तथा स्थानीय पुलिस द्वारा सहयोग न प्राप्त होने से पैमाइश का कार्य रोक दिया गया है तथा ग्राम प्रधान की जान से खत्म करने के लिए उसका पीछा किया जा रहा है जिससे ग्राम की जनता में भय एवं आतंक का वातावरण पैदा हो गया है।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर पुलिस की देख रेख में तत्काल पैमाइश कराने तथा अवैध कब्जा हटवाने की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी की गरौठा तहसील के ककरवई ग्राम में जूनियर हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[मान्यवर, झांसी जिले की सबसे पिछड़ी तहसील गरौठा के दूरवर्ती ग्राम ककरवई में जूनियर हाई स्कूल की अत्यन्त आवश्यकता है। ककरवई क्षेत्र में करीब बीस ग्राम आते हैं जहां के छात्रों को कक्षा 8 पास करने के बाद बीस से चालीस किलो मीटर दूर तक कक्षा नौ में प्रवेश लेने हेतु जाना पड़ता है। ककरवई क्षेत्र में लगभग सात जूनियर पास होकर कक्षा नौ में प्रवेश योग्य होते हैं जिनमें से आधे से अधिक हाई स्कूल हैं जिनसे प्रतिवर्ष लगभग 200 छात्र आर्थिक कठिनाई के कारण अपने-अपने ग्राम से अधिक दूर रहकर पढ़ाई नहीं कर पाते और ग्राम में मजदूरी करने को बाध्य होते हैं। इस कारण क्षेत्र के लोगों में अपने बच्चों को हाई स्कूल की शिक्षा न दिला पाने के कारण अत्यधिक कुन्ठा, रोष व क्षोभ व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन से आवश्यक कार्यवाही कर गरौठा तहसील के सबसे पिछड़े क्षेत्र के मध्य में स्थित ग्राम ककरवई में राजकीय हाई स्कूल अतिशीघ्र खोले जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कानपुर के क्षेत्र कल्यानपुर के कानपुर पब्लिक जूनियर हाई स्कूल को स्थाई मान्यता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर० एन० पाठक—

[मान्यवर, आपके समक्ष अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नियम 301 के अन्तर्गत प्रस्तुत करता हूं :—

प्रश्न यह है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र कल्यानपुर में कानपुर पब्लिक जूनियर हाई स्कूल विगत 20 वर्षों से स्थायी मान्यता प्राप्त चल रहा है। इस विद्यालय को हाई स्कूल की मान्यता के संबंध में 1986 में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जो सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर चुका है। इसका कोई आर्थिक बोझ सरकार पर नहीं है दिनांक 11 जुलाई, 1988 को इलाहाबाद बोर्ड ने मान्यता प्रदान कर दी है और प्रशासन की स्वीकृति के लिए लखनऊ भेज दिया था इलाहाबाद बोर्ड की मान्यता के बाद कक्षा 9 में बच्चों का प्रवेश लिया जा चुका है जिसकी परीक्षा नवम्बर माह में होगी। इस संबंध में शासन से मान्यता भेजने में रुपया मांगा गया है जिसे प्रबन्धक ने देने पर असमर्थता व्यक्त की है और मान्यता नहीं दी जा रही है। जिससे कक्षा 9 के विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकार में पड़ गया है।

मैं चाहूंगा कि इसकी सरकार द्वारा मान्यता अविलम्ब भेज दिया जाय।]

जनपद बलिया आदि जनपदों के ग्राम पंचायत अधिकारियों के लम्बित बिलों के भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय लक्ष्मी—

[मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि ग्राम पंचायत अधिकारियों के क्षेत्रों के बिल वर्ष 1988 से निदेशालय, पंचायत राज, लखनऊ के अनियमित आदेश पर जिला पंचायत राज

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकारी के कार्यालय में लम्बित पड़े हैं जिससे ग्राम पंचायत राज अधिकारियों में भारी असन्तोष और आक्रोश व्याप्त है।

उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत राज अधिकारी काफी परेशान हैं, जिससे उनकी सेवा पर वजन पड़ रहा है।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि जनपद बलिया आदि जनपदों के ग्राम पंचायत राज अधिकारियों के लम्बित बिलों का भुगतान कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करती हूं।]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ?

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 300 में जो दिया है उसके बारे में कहें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

नियम 300 बाद में होगा पहले आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कुछ नहीं सुनूंगा।

सीक्रेट सेशन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस समय आदरणीय सदन में माननीय सदस्य अवस्थी जी ने एक प्रस्ताव पेश किया इसको कैमरा सेशन सीक्रेट सेशन ही जाना चाहिये। लोक सभा में जो यही व्यवस्था है हमारे यहां ऐसी व्यवस्था नहीं है। माननीय तिवारी जी ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव तो तब आता है जब मेरी अनुमति हो जाये, मैंने कोई अनुमति नहीं दी। आप नियम 300 पर बोलें। नियम 311 में कोई अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

या तो मान्यवर, आप उसे अग्राह्य कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई प्रस्ताव मेरे सामने नहीं आया। आप नियम 300 पर बोलें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

सदन की कार्यवाही तो सब आगे बढ़ेगी जब बोलेंगे माननीय अवस्थी जी ने एक बात कही है उससे हम सभी सहमत हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नियम 300 की सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

(डाक्टर दिनेश जौहरी, श्री अच्युतानंद तिवारी आदि सदस्यों के पत्थर पर आकर बैठ जाने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या–7 की सभी सूचनायें अस्वीकार करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

और सदन को तीन बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

इस समय 1 बजकर 33 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिये स्थगित कर दिया ।

3 बजे डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है ।

3 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है ।

4 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी, सदस्य विधान सभा के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने पर वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्थानान्तरण की मांग (क्रमागत)

नेता विरोधीदल (श्री सत्य पाल सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, हरीश जी के साथ में बनारस में एक दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में जो सदन में गम्भीरता से चर्चा चल रही थी और उस समय हमारे सभी दलों के माननीय नेताओं ने, माननीय सदस्यों ने यह अनुरोध किया था कि यहां सत्ता और विपक्ष का प्रश्न नहीं है आज सदन और सदन के सदस्यों की गरिमा का प्रश्न है इसपर हम लोग राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर चर्चा करें तो उस समय आपने देखा कि माननीय सुरेन्द्र नाथ अवस्थी जो सत्तापक्ष के हैं उन्होंने इस बात को महसूस किया और उन्होंने कहा इस बात के लिये कि माननीय हरीश जी के साथ जो व्यवहार किया गया है वह निहायत निन्दनीय है, इस पर आपत्ति है ? तो उस समय संसदीय कार्य मंत्री उनको बुलाकर ताड़ना देने लगे, तो मान्यवर, सुरेन्द्र नाथ जी ने जब एक बात सुझाव की कही, त्रुटिगत, मतभेद से हटकर बात कही तो उस पर यह ताड़ना देना यह विषय का कारण बना ।

हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है कि यहां पर जो भी चर्चा हो चुकी है उसको मैं दुबारा दोहराना मुनासिब नहीं समझता हूं मैं इतना कहना चाहता हूं कि बनारस के अन्दर जो दुर्व्यवहार किया गया पुलिस अधीक्षक ने अपने स्तर से, इस तरह वरिष्ठ सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया तो उसका यह कर्तव्य था कि उन पुलिस के सिपाहियों को इंसपेक्टर को निलम्बित करना चाहिये था लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया । यह लापरवाही की जो उनको नहीं करनी चाहिये थी । उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी के लिये इसकी कोई सूचना भी नहीं दी है, माननीय सदस्य के साथ किसी पुलिस अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया हो, यह उनकी लापरवाही

का परिचायक है इसलिये मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस समय माननीय [illegible] जो सदन में मौजूद नहीं थे इसलिये मैं आपके माध्यम से पुनः दोहराना चाहता हूं कि इसमें दलवादिता से कार्य न करें। विधायक के सम्मान के लिये उनकी कार्यवाही स्पष्ट रूप से जाहिर होती है, उस बनारस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तत्काल स्थानान्तरित करें। मैं यह नहीं मांग करता हूं कि उनको निलम्बित करें, उनको सजा देने की बात नहीं हो रही है इसलिये मैं कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर केवल माननीय विधायक ही नहीं [illegible] इज्जत सुरक्षित नहीं रह गयी है। इसलिये मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि उस एस0एस0पी0 को बनारस से तुरन्त हटाया जाय।

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, पहले तो मैं क्षमाप्रार्थी हूं कि मैं इस सदन की आज्ञा से जो शासन के संदर्भ में दूसरे आवश्यक प्रकरण हैं, उनको निभाने के संदर्भ में इस सदन की सेवा में अब तक उपस्थित नहीं हो सका मैं, उसके लिये क्षमा चाहता हूं। कई ऐसे आजकल संदर्भ चल रहे हैं जिनके कारण मुझे यह अधिकार ही नहीं है कि मैं इस सदन की सेवा और आज्ञा के अनुरूप उन कार्यों को निभाने का प्रयास करूं। मैं माननीय सदन का आभारी हूं, माननीय विरोधी दल के नेता, सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि इस दुखित काल के निर्णय में जितना बड़ा सहयोग पहले भी मिलता रहा है, आज भी मिलेगा और भविष्य में भी मिलता रहेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। श्रीमन्, मुझे बहुत ही दुख हुआ जो घटना वाराणसी में घटित हुई और जो हमारे, जिस प्रकार हमने से ही वरिष्ठतम सदस्य, सदन निज सर्वजन हिताय के लिये जो व्यवहार, जो दुर्व्यवहार हुआ इसके सिलसिले में जानता हूं कि वे शिकायत करने के आदी नहीं हैं, मगर कोई छोटी मोटी घटना होती तो शायद वह उसका उल्लेख भी नहीं करते। लेकिन जैसा कि वरिष्ठ सदस्य को शिवरात्रि के दिन वहां पर भीड़ भाड़ में और पहचानने के बाद भी कठिनाई हुई, जो नहीं होनी चाहिये थी, मुझे इसका बड़ा खेद है।

श्रीमन्, मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मेरा व्यक्तिगत, आज से नहीं पहले से ही या हमेशा यह पूरा प्रयास रहा है और रहेगा कि इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य और प्रत्येक सांसद के लोकतांत्रिक आचरण और मर्यादा, सद्व्यवहार अभिकारिकों और कर्मचारिकों को करना चाहिये वही होगा और होना चाहिये।

(मेजों की थपथपाहट)

यह लोकतंत्र की भूल होती है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम सहमत हों, न हों, लेकिन हम उनसे दुर्व्यवहार करें, यह जनतंत्र की मूल स्थिति है और यह देश, दल या दल से परे है। कभी-कभी जो चूक या भूल हो जाती है, उनके लिये कार्यवाही होनी चाहिये, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है बहुत जगह हमारे देश में यह बात नहीं मानी जा रही है। यह प्रदेश का ही प्रश्न नहीं है, प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेशों में घटनायें होती हैं, वहां भी हम यही देखते हैं। हमें इस आधार से सहमत होना चाहिये, इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, इसमें संदेह नहीं है। जहां तक इस सदन के सदस्यों के अधिकारों, कर्तव्यों और विशेषाधिकार का प्रश्न है, हम सब एक हैं। मुझे जो कुछ कार्यवाही इस बीच यहां पर हुई, मेरी अनुपस्थिति में, कल से इससे जो कार्यवाही हुई, उसके बारे में मैंने संक्षेप में जानकारी प्राप्त की। जो मुझे अनौपचारिक सूत्रों से और इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने बताना उचित समझा, उससे मैं अवगत हुआ। मैं माननीय सदस्य सबसे पहले श्री से विचार विमर्श करते हुये सभी लोगों से, इस सदन को, मैं पहले से जानता हूं, यह भी जानता हूं कि वे सत्यवादी हैं, सत्य से परे नहीं हैं। मैं विपक्ष के नेता का सहयोग और समर्थन चाहता हूं। जनतंत्र की मांग है कि सर्वसम्मति बने, सभी की तरफ से चलो इस बात को मानता हूं जो आपने कहा है। इसके बाद सदन स्थगित हुआ।

श्रीमन, मुझे जांच में बताया गया कि हमारी सहयोगिनी सम्मानित [illegible] ने जांच के आदेश दिये हैं सीनियर बोर्ड आफ रेवेन्यू से मैंने टेलीफोन द्वारा बात की कि कितनी जांच हुई, तो बताया गया कि ए 30 ए 30 पी 0, वाराणसी सम्मानित सदस्य हरीश जी के पास उनके घर गये थे और उनसे क्षमा याचना की थी और माफी मांगी। माफी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मांगी, सार्वजनिक रूप से नहीं मांगी, लेकिन लोगों को पता चल गया। मैं जानता हूं कि माफी मांगने के बाद सम्मानित हरीशजी ऐसे नहीं हैं कि उनको क्षमा न करते, लेकिन ऐसा लगता है कि यह क्षमा याचना मा0 हरीश जी को अनुकूल न लगी हो। तो मैं 2-3 बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। पहले मैं चूंकि इसमें हरीश जी को कष्ट हुआ, इसलिये मैं स्वयं खेद प्रकाश करता हूं कि ऐसा हुआ जिससे कि उनको मार्मिक कष्ट हुआ, मुझे स्वयं इस बात का खेद है। हमारे शासन में होते हुए किसी भी विधायक को, खास तौर पर ऐसे वरिष्ठ विधायक को कष्ट पहुंचे, क्लेश पहुंचे, ऐसी घटना के लिये मुझे स्वयं कष्ट है।

हमने यह भी निर्णय लिया है कि सीनियर बोर्ड आफ रेवेन्यू से इन्क्वायरी शुरू हो गयी है। हम 10 दिन के अन्दर हरीशजी की भावना के अनुरूप कार्यवाही करेंगे। हमने सदन की भावना के अनुरूप सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण के विषय में निर्णय ले लिया। मुझे स्वयं कष्ट है। इस प्रकार के संदर्भ न उठें, यह हमारा प्रयास होगा। मैं शासन की ओर से सभी अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि विधायकों और सांसदों के सम्मान का विशेष ध्यान रखें, ताकि किसी प्रकार से, जो हमारे सम्मानित विधायक और सांसद हैं, उनकी गरिमा बनी रहे, ठेस न लगे। ये आदेश हम प्रसारित करेंगे। इस प्रकार की जो बातें सुनने में आ रही हैं, मुझे आशा है कि इस प्रकार के अकेडम पर हम कार्यवाही कर सकेंगे और पुनः ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। मेरा यह भी आग्रह है, जैसा कि मा0 नेता विरोधी दल ने कहा, हमारी जो कार्यवाही है, चलती रहनी चाहिये। करोड़ों लोगों की निगाहें हमारे इस सदन की ओर हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा स्थानीय निकाय के चुनाव हो चुके हैं। जो कार्यवाही यहां पर होगी, प्रकाशित होगी और उसका असर वहां पर भी पड़ेगा। दूसरी ओर मर्यादा रही है, उसका पालन होगा। अत्यन्त विनम्रतापूर्वक, दृढ़ता पूर्वक इस संकल्प को दोहराने की धृष्टता करता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की मर्यादा, गरिमा को बनाये रखने के लिये, विशेष रूप से हरीश जी जैसे वरिष्ठ सदस्य की गरिमा को बनाये रखने के लिये, जो हमसे हो सकेगा, अवश्य करेंगे। श्रीमन्, मैं सदन की सेवा में अर्पित हूं। सभी से आग्रह करूंगा कि आगे कार्यवाही बढ़ायें।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान

संख्या 32—चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा), अनुदान संख्या 33—

चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान

संख्या 34—चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा), अनुदान

संख्या 35—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या 36—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या 37—

चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री मोती नाथ दीक्षित)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32—चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले पारिश्रमिकों की चुकाने के लिये आयुष्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,24,22,61,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जावे।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय, हम लोगों की सूचना का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

पहले ही अस्वीकार कर दी गयी थी ।

(श्री बैनी प्रसाद वर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

वर्मा जी बैठें, पहले ही अस्वीकार कर दी गयी । कल दुबारा देनी पड़ेगी ।

श्री. गोपी नाथ दीक्षित—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,88,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

माननीय, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,18,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

माननीय, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,16,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

माननीय, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,03,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

माननीय, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,53,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

माननीय, मैं सम्मानित सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस बजट को प्रस्तुत करने की मुझे अनुमति दी, अवसर प्रदान किया है । माननीय, जीवन में सबसे बड़ी प्रकृति की उपलब्धि मनुष्य है और मनुष्य की रक्षा का भार जिस विभाग पर है उस विभाग के सम्बन्ध में जो धन स्वीकृत करने के लिये हमने प्रार्थना की है सम्भवतः सम्मानित सदस्यगण विशेषकर हमारे विपक्ष के साथी इसमें और बढ़ोत्तरी करने का सुझाव, प्रस्ताव करेंगे । इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता बदलने की सबसे पहली आवश्यकता है ।

स्वास्थ्य विभाग को जितनी धनराशि स्वीकृत होनी चाहिये, उससे बहुत कम होने के कारण बहुत सी आवश्यक चीजों को उपलब्ध करना कठिन हो रहा है और आपके सुझावों के अनुरूप

कार्य करने में कठिनाई हो रही है । सन् 2000 तक जो हमारा संकल्प प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का है, उसकी पूर्ति के लिये उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पतालों के विस्तार करने की आवश्यकता है । इस समय हमारे प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में 3 हजार और मैदानी क्षेत्र में 5 हजार की आबादी पर एक उपकेन्द्र खोलने की व्यवस्था है । सन् 1988 के अन्त तक 20153 उपकेन्द्र, 2476 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 142 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं । चालू वर्ष 1988-89 में 1500 उपकेन्द्र, 502 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 42 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य था, जिसकी स्थापना की कार्यवाही तेजी के साथ हो रही है ।

माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 1989-90 के लिये 559 उपकेन्द्र, 519 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 31 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य है । इस प्रकार हमारे प्रदेश में वर्ष 1990 तक 22,212 उपकेन्द्र, 3497 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 215 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हो जायेंगे । श्रीमन मुझे यह सूचना देते हुये अत्यन्त प्रसन्नता है कि जो सन् 2000 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य को हमारा स्वास्थ्य विभाग 10 वर्ष पूर्व ही पूर्ण का प्रयास करेगा । श्रीमन, इस समय हमारे जिला चिकित्सालयों को सुदृढ़ करने की अत्यन्त आवश्यकता है और इस हेतु जिन जिला चिकित्सालयों में जनरेटर नहीं हैं वहां जनरेटर उपलब्ध कराये जा रहे हैं । इस प्रकार पांच स्थानों बेहरिया, बांदा, सीतापुर, गाजीपुर तथा फतेहपुर में हृदय रोग चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जा रही हैं । इसके अतिरिक्त दो स्थानों टिहरी और देहरादून में आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है । जिन जिला मुख्यालयों पर 10 लाख से कम आबादी है, वहां 500 शय्या वाले अस्पताल भी स्थापित किये जायेंगे और 5 लाख से अधिक तथा 10 लाख से कम आबादी वाले नगरों में 300 शय्या वाले अस्पताल भी खोले जायेंगे । इसी प्रकार जहां आबादी 2 लाख से अधिक और 5 लाख से कम है, वहां भी 200 शय्या वाले अस्पताल खोलने का काम विभिन्न चरणों में लिये जाने का निर्णय किया गया है । श्रीमान्, जिन मण्डलों में मेडिकल कालेज नहीं है वहां पर पर्वतीय क्षेत्र में 300 तथा मैदानी क्षेत्र में 500 शैय्याओं वाले अस्पताल खोले जाने का लक्ष्य है और इसके अन्तर्गत फैजाबाद में 500 शैय्याओं वाली अस्पताल, मुरादाबाद में 300 शैय्या वाला बरेली में 200 शैय्याओं वाला, गढ़वाल के श्रीनगर में 200 शैय्याओं वाला तथा कुमायूं मण्डल में अल्मोड़ा में 200 शैय्याओं वाला अस्पताल खोला जाना प्रस्तावित है । इस समय मुरादाबाद का अस्पताल अन्तिम चरण में है । श्रीनगर का अस्पताल मार्च, 1989 तक तैयार हो जायगा और अल्मोड़ा का अस्पताल तैयार हो चुका है तथा उद्घाटन होना है । इसी प्रकार बरेली में अस्पताल बनाने हेतु भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और फैजाबाद में अस्पताल बनाने हेतु भूमि प्राप्त कर ली गयी है ।

श्रीमन्, पी0 पी0 आई0 जो आधुनिक सुविधाओं से लैस एरिया का प्रथम तथा विश्व का पांचवें नम्बर का संस्थान बताया जा रहा है, उसको स्थापना का काम तीन चरणों में किया जायगा इसका प्रथम चरण 1989-90 तक पूरा कर लिया जायेगा । इसके बाद दूसरा चरण सन् 2000 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है । इस पूरे संस्थान पर लगभग 204 करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान है । इस संस्थान हेतु जापान सरकार से अब तक अनुदान के रूप में 32 करोड़ रुपये के उपकरण प्राप्त हुये हैं इसके अतिरिक्त 14 करोड़ रुपये के उपकरण अन्य देशों से आयात किये गये हैं । इस प्रथम चरण में 600 शैय्यायें स्थापित की जायेंगी और इस संस्थान के लिये अगले वर्ष के लिये प्रदेश शासन की तरफ से 20 करोड़ रुपये लगाने की व्यवस्था की जा रही है वर्तमान में 108 शैय्याओं का एक चिकित्सालय क्रियाशील है और चालू वर्ष में 150 शैय्याओं वाला एक अस्पताल भी बनाया जायगा ।

श्रीमन्, इस संस्थान के लिये 15 करोड़ रुपये के उपकरण जापान सरकार से प्राप्त करने के और प्रयास किये जा रहे हैं । श्रीमान्, सन् 1981 तक जहां 1 लाख की आबादी पर 4.91

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे, वह अब बढ़कर 1988-89 में 7.4 हो गये हैं । इसी तरह जहां 1908 लोगों पर एक रोगी शैय्या थी, वह अब 1,570 लोगों पर रोगी शैय्या हो गयी है । इस समय प्रदेश में 48,746 शैय्यायें हैं और इनको बढ़ाकर 1989-90 में 2,937 किया जाने का कथन किया जा रहा है ।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

श्रीमन्, सन् 1981 में हमारे प्रदेश में 4630 व्यक्तियों पर एक डाक्टर था, परन्तु अब हम 3,750 व्यक्तियों पर एक डाक्टर को नियुक्ति करने जा रहे हैं । दवाइयों पर अधिक खर्च होने के कारण 1981 में जो 5.47 रोगी पर खर्च होता था अब उसे 1988-89 में बढ़ कर हमने 10.91 कर दिया है और ग्रामीण अंचलों में हमने इस धनराशि को 5.47 से बढ़ कर 6.82 कर दिया है । 1981 में जहां प्रति व्यक्ति आय 12 दशमलव कुछ थी उसे हमने बढ़ कर 35.57 परिवार कल्याण के कार्यक्रमों में कर दिया है । इसका परिणाम यह हुआ कि 1951 और 1961 के बीच में जहां आयु सीमा 38.9 थी वह बढ़कर अब 51 हो गई है । मृत्यु दर जो 1941 व 1951 के बीच 27 थी अब वह घटकर 14.7 रह गई है ।

माननीय, शिशुओं की मृत्यु दर के बारे में समय-समय पर चिन्ता प्रकट की गई है । 1978 में यह संख्या 177 थी जो अब 132 रह गई है । डाक्टरों की कमी भी हमारे यहां एक बहुत बड़ी समस्या रही है । डाक्टरों के ग्रामीण अंचलों व पर्वतीय अंचलों में न जाने के कारण जो सुविधा मिलनी चाहिये थी, वह नहीं मिल पाती थी, इसलिये अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि जो डाक्टर दो वर्ष तक गांवों में सेवा का काम नहीं करेगा, उसकी प्रोन्नति रोक दी जायेगी और जो नये डाक्टर भर्ती किये जा रहे हैं, एम0 बी0 बी0 एस0 के प्रवेश के दौरान, उनसे एक बांड भरवाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि 5 वर्ष तक गांवों में जो सेवा नहीं करेंगे, उन्हें 2 लाख रुपये नकद ट्रेजरी में जमा करना होगा । इस समय एलोपैथी में 2,270 पुरुष डाक्टर हैं और 646 महिला डाक्टर हैं, 63 पद रिक्त हैं डेन्टल के । इनको भरने के लिये लोक सेवा आयोग से विलम्ब होने के कारण इन पर तदर्थ नियुक्तियां करने की व्यवस्था की जा रही है महिला डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिये अंशकालिक डाक्टरों को नियुक्ति की जा रही है ।

माननीय, पर्वतीय क्षेत्र, बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल क्षेत्रों में अंशकालिक डाक्टर नियुक्त किये जा रहे हैं । श्रीमन्, इस समय 799 प्रोन्नति के पदों को सृजित किया गया है । 50 परसेन्ट इसे वर्ष और 50 परसेन्ट अगले वर्ष पूरे कर लिये जायेंगे । डाक्टरों का गांवों में न जाने का एक कारण यह था कि वहां पर उनको भवनों की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती थी, इसलिये अष्टम वित्त आयोग ने 1988-89 के लिये 23 करोड़ रुपये दिये हैं, जिससे से 1,360 भवनों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है । प्रदेश में 2880 आवासीय भवनों की कमी है, अब तक 2,980 भवन बन गये, बन चुके हैं । 1680 लाख रुपये उप केन्द्रों पर, 526 लाख रुपये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर और 863 लाख रुपये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के लिये आवंटित किये जा चुके हैं । संसाधनों के अनुरूप भवनों के निर्माण की गति को बढ़ाने के लिये हमारे यहां अधीक्षण अभियन्ता की नियुक्ति की गई है और इस पर भी विचार किया जा रहा है कि इसकी गति में और अधिक तेजी लाने के लिये स्वास्थ्य विभाग में एक निर्माण निगम के गठन के बारे में भी सोचा है । आप और हम सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि मेडिकल कालेजों की स्थिति बहुत अच्छी और बहुत सुदृढ़ होनी चाहिये ।

हमारे प्रदेश में जो 7 मेडिकल कालेज हैं और 939 सीटें हैं, 924 पर लगे हैं । मेडिकल कालेजों में साज-सज्जा उपकरण की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, ताकि वह उन मेडिकल कालेजों में जो कमी हो, उसको तुरन्त चिन्हित करें और उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाय ।

झांसी, गोरखपुर और मेरठ के मेडिकल कालेज अभी शैशव अवस्था में हैं, बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, इसलिये उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश आने के बाद कोरम

। सफल कार्यवाही की जायगी । इन मेडिकल कालेजों में कुछ विशेष सुविधायें इस वर्ष प्रदान की जा रही हैं । कानपुर में डा० मुरारी लाल चेस्ट अस्पताल को 78 शैय्याओं वाले अस्पताल में बदला जायगा । गोरखपुर मेडिकल कालेज में "आई वार्ड" की स्थापना की जायगी, इलाहाबाद मेडिकल कालेज में एक एक्सट्रा इकाई, झांसी में आइसोलेशन वार्ड, लखनऊ में ब्लड बैंक का सुदृढ़ीकरण, मेरठ में 200 शैय्या वाला वार्ड नव-निर्मित किया गया, जहां पर कोबाल्ट यूनिट को स्थापना की जायगी ।

राष्ट्रीय कार्यक्रम—मस्तिष्क ज्वर एक वर्ष बहुत बड़ी समस्या और चुनौती की बीमारी रही है । इससे 4,485 व्यक्ति ग्रसित हुये जिसमें से 1,400 लोगों की मृत्यु हो गयी । मस्तिष्क ज्वर पर काबू पाने के लिये उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी तत्परता से काम किया । दवाओं का छिड़काव, सफाई की व्यवस्था की । केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्वयं तीन बार प्रभावित क्षेत्रों में गये । भारत सरकार की सहायता से गोरखपुर में रीजनल रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है । प्रदेश सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार ने इस मस्तिष्क ज्वर को विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत रख लिया है । वर्ष 1989-90 में प्रदेश सरकार ने इसकी रोकथाम के लिये 21 करोड़ 66 लाख रु० का प्रावधान किया है । मुझे पूरा विश्वास है कि आई० सी० एम० आर० के तत्वाधान में मलेरिया रिसर्च सेन्टर, उसके प्रचार सेन्टर द्वारा पर्चे जारी किये गये हैं कि बिना औषधियों के मच्छरों से कैसे बचा जाय, इस पर वे और भी अनुसंधान कर रहे हैं ।

नेत्र शरीर में महत्वपूर्ण अंग है । इसकी सुरक्षा का कार्य बहुत तेजी से होना चाहिये । नेत्र विभाग ने वर्ष 1986-87 में 2 लाख 25 हजार, 1987-88 में 2 लाख 15 हजार तथा 1988-89 में 1 लाख 88 हजार आपरेशन किये गये हैं । उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का यह संकल्प है कि सन् 2000 तक अन्धता को घटाकर 1.4 से लेकर 0.3 कर दिया जाय । सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नेत्र चिकित्सकों को नियुक्ति कर दी गयी है ।

कुष्ठ रोग भी बहुत कष्टकारक है । इसके निदान के लिये, एक हजार की आबादी पर 5.27 व्यक्ति ग्रसित हो रहे हैं ।

इस समय हमारे प्रदेश में लगभग सात लाख कुष्ठ रोगी हैं जिनके लिये चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है उत्तर प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग ने संकल्प किया है कि सन् 2000 तक कुष्ठ रोग से प्रदेश को मुक्त कर दिया जायगा और लाख रुपया रोगियों पर अभी खर्च किये जा रहे हैं । कुष्ठ रोग पर और हमारे प्रदेश में 79 कुष्ठ रोग इकाई की स्थापना कर दी गयी है ।

मान्यवर, इसी तरह से घेंघा की बीमारी भी हमारे प्रदेश में पूर्वांचल में होती है । इसकी रोक-थाम के लिये आयोडीन नमक के वितरण को सुनिश्चित किया जा रहा है और इसकी रोक-थाम के लिये एक समन्वय समिति का भी गठन किया जा रहा है जो कि इसके रोक-थाम के लिये परामर्श देती रहेगी ।

मान्यवर, क्षय रोग भी इसी प्रकार से है । क्षय रोग मनुष्य के जीवन में बहुत भयंकर बीमारी मानी जाती है । बनारस और देहरादून में क्षय रोग के रोक-थाम के लिये जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं जहां पर कीमोथरेपी के द्वारा रोगियों का इलाज कराया जायगा । इसकी सीमा में 14 जनपद लिये गये हैं और 10 जनपद ट्राइबल योजना में और लिये जा रहे हैं ।

इसी तरह से कैंसर भी बहुत ही भयानक बीमारी है जो कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में मनुष्यों को ग्रसित किये हुए है । इसके लिये कानपुर में कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा चुकी है । इसको प्रभावी बनाने के लिये कैंसर बोर्ड का गठन किया गया है । अर्ली डिटेक्शन के लिये

15-15 लाख रु0 आगरा, झांसी, मेरठ, गोरखपुर आदि जिलों को दिये गये हैं। कैंसर की रोक के लिये पान-मसाले के डिब्बे पर आदेश दिये गये हैं कि चेतावनी दी जाय ताकि लोग उससे खबरदार हो जायं और पान-मसाले का इस्तेमाल खतरनाक समझें।

मान्यवर, एड्स बीमारी के लिये भी एक सेल का गठन किया गया है जो कि आई0सी0एम0 आर0 की मदद से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा तिब्बिया में सेल का गठन किया गया है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम हमारे प्रदेश के लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो कि अब आम्रिक कार्यक्रम भी हो गया है। हमारे देश के बाहर पड़ोसी देशों में परिवार कल्याण कार्यक्रम बहुत रुचि के साथ अपनाया जा रहा है। हां, हमारे प्रदेश में कहीं-कहीं इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है, इसके कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम जिस गति से चलना चाहिये, उस गति से नहीं चल रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को भारत सरकार के समीक्षक दल ने निरन्तर तीन वर्षों तक उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान पर माना है और प्रति वर्ष ढाई करोड़ रुपया का पुरस्कार प्रदान किया है। इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें अभी और सुधार की आवश्यकता है। हमारे मित्रों ने भी कभी-कभी फर्जी नामों का जिक्र किया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वे उन्हें फर्जी केस के बजाय अनियमित कहें तो अधिक उपयुक्त होगा। फर्जी का तात्पर्य यह समझा जायेगा कि उपचार हुआ ही नहीं, केवल नाम ही लिख दिया गया।

श्रीमन्, इस प्रकार इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है और इस संबंध में कड़े निर्देश भी दिये जा रहे हैं कि लक्ष्य की पूर्ति हो या न हो, लेकिन किसी प्रकार की फर्जी कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। यदि फर्जी कार्यवाही करने वाले के संबंध में सम्मानित सदस्य सूचना देंगे, उसके प्रति कठोर कार्यवाही की जायेगी और उसे दण्ड दिया जायेगा। एक तरफ परिवार कल्याण कार्यक्रम परिवार को सीमित करने के लिये तथा उसे स्वस्थ्य रखने के लिये इसका लक्ष्य है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग का यह भी संकल्प है कि जो भी शिशु (बच्चा) है वह स्वस्थ्य हो। इसके लिए प्रत्येक गर्भवती माताओं को टिटनेस का टीका लगाया जाय। गर्भ में बालक को किसी प्रकार की बीमारी न होने पावे इसके लिये 40 लाख गर्भवती माताओं को टीके लगाये जा रहे हैं। चालीस लाख ऐसे शिशु, जो कि एक वर्ष के अन्दर के हैं उनको भी टीका लगाया गया है। श्रीमन्, हमारा विश्वास है कि हमारे सभी साथी परिवार कल्याण कार्यक्रम को सब मिल कर इसमें सहयोग करेंगे। ताकि यह सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों का एक जन आन्दोलन बन जाए और इसमें सभी वर्गों के, सभी पक्षों के, सभी दलों और सभी विचारधाराओं के लोगों का पूरा पूरा सहयोग मिले क्योंकि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है।

मान्यवर आयुर्वेदिक चिकित्सा भी हमारे प्रदेश व देश की प्राचीन पद्धति है और यह ऐसी प्राचीन पद्धति है शल्य चिकित्सा का भी काफी स्थान रहा है, आप सभी को याद होगा कि जब लक्ष्मण जी के बाण लगा तो उस समय हनुमान जी सुमरु पर्वत गये और उस पर्वत को ही उठाकर ले आए और इस प्रकार से शल्य चिकित्सा के रूप में उन जड़ी-बूटियों द्वारा ही लक्ष्मण जी का घाव भरा गया है, तो श्रीमन् इस प्राचीन पद्धति की अवहेलना यह उत्तर प्रदेश सरकार कदापि नहीं कर सकती है। इसीलिए इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है, वर्ष 1988-89 में 70 आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले गये थे और अब इस वर्ष ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 65 औषधालयों की स्थापना और की जायेगी।

पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी-बूटी संस्थान को 17 करोड़ रु0 की लागत से स्थापित किया जा रहा है, जिससे पर्वतों पर होने वाली जड़ी-बूटियों का अच्छा उपयोग हो सके और मान्यवर, यही नहीं भारत सरकार की ओर से आयुर्वेदिक औषधि संस्थान की स्थापना सुनिश्चित कर ली गयी है। 25 करोड़ रु0 की लागत से इसकी स्थापना की जायेगी जिसके लिए 30 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हो गयी है। जिससे काफी तादाद में उत्तर प्रदेश के लोगों को दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी और उससे पूरा-पूरा लाभ मिल सकेगा। इसी प्रकार से तिब्बिया कालेज के भवन के लिए 25

लाख रुपयों का अनुदान दिया गया है और इसी प्रकार से श्रीमन्, आयुर्वेदिक शिक्षा पद्धति के उत्थान के लिए 25 लाख रु0 का प्राविधान किया जा रहा है और गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष भी 1.77 लाख रु0 आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था के लिए व्यय किया गया है और इसी प्रकार से माननीय, इसके अन्तर्गत 703 पदों को सृजित किया गया है उत्तर प्रदेश के लिए, जिनकी पूर्ति शीघ्र ही पूरे उत्तर प्रदेश में करा ही जायेगी।

श्रीमान, अब होम्योपैथिक चिकित्सा को भी बहुत अधिक लोग लोकप्रिय मानने लगे हैं, इसका कारण यह है कि यह दवाएं अधिकतर बहुत सस्ती होती हैं और इनका प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं होता है। इसलिए होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए 909 चिकित्सालय हमारे पहले से कार्यरत हैं और अगले वर्ष 88-89 में 75 नये चिकित्सालय और खोले जायेंगे।

इस सम्बन्ध में माननीय, आप सभी लोगों को यह सुनकर और प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक होम्योपैथिक ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना कर दी है, जिसमें दवाओं का अनुसंधान किया जायेगा, इसके अतिरिक्त भी होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना की जा रही है, ताकि हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ती व अच्छी से अच्छी दवाएं उपलब्ध हो सकें।

अभी माननीय, हमारे यहां होम्योपैथिक अस्पतालों में 400 डाक्टरों की कमी है इस ओर हमारी ओर से तदर्थ नियुक्तियों का प्रयास यथाशीघ्र होगा। इसके अलावा भी माननीय दो तीन बातें और निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के इन अस्पतालों में लगने वाला 2 रु0 पंजीकरण शुल्क को हटाकर मात्र एक रुपया कर दिया गया है। यही नहीं माननीय, विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में 126 करोड़ रु0 की लागत से एक प्रशिक्षण परियोजना का प्रारम्भ सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसमें पत्रकारों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए मुख्य रूप में चिकित्सा के लिए अलग से काउंटर खोले जा रहे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से पटिट्काएं टांगी जायेंगी ताकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पत्रकार आदि सुविधा पूर्वक अपनी अपनी औषधियां प्राप्त कर सकें और संबंधित अधिकारियों को हमारी ओर से यह स्पष्ट निर्देश दे दिए गये हैं कि जब कभी वे निरीक्षण के लिए जाएं तो जिले सी0 एम0 ओ0 के दफ्तर पर बैठकर ही निरीक्षण न कर लें बल्कि गांव के उपकेन्द्रों पर ही जाएं और वहां पर जो ए0 एन0 एम0 सुनिश्चित स्थानों के लिए नियुक्त की गयी हैं, वह वहां पर हैं या नहीं और समस्त उप केन्द्रों पर इस बात की पटिट्काएं टांगी जायेंगी और उनके बिन लिखे होंगे कि फलां ए0 एन0 एम0 इस समय कहां होगी, उसका उल्लेख होगा। ताकि यदि कभी उच्च अधिकारी, उनके दर्शन करना चाहें तो उनको मदद मिले श्रीमन्, जिला स्वास्थ्य सहकारी समितियों का गठन हुआ था, लेकिन उनको अधिक कार्यशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में छोटे या बड़े होम्योपैथिक, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक जो भी अस्पताल होंगे, उनके लिये एक अलग से कमेटी बनायी जायेगी, जो उनका निरीक्षण करेगी और उनकी कार्य विधि की जानकारी करेगी।

श्रीमन्, 1989-90 में विशिष्ट चिकित्सालयी सुविधाओं के अन्तर्गत 4 स्थानों पर इन्टेन्सिव केयर यूनिट 31 बेड अस्पताल, 31 बेड अस्पताल, एक ई0 एन0 टी0 कक्ष, 17 डीजल जेनरेटर, एक आर्थोपैडिक और दो पैथालाजी इकाइयां स्थापित की जायेंगी। श्रीमन्, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में गुणात्मक सुधार करने के उद्देश्य से नये भवनों के निर्माण तथा उपकरणों की समुचित मरम्मत हेतु 7 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है। श्रीमन्, हमारे प्रदेश में रख रखाव की समस्या है, उपकरणों की। इस दिशा में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी विशेष रूप से एक सेल गठित करने का निर्देश दिया है और इसके लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें आई0 आई0 टी0, कानपुर तथा इंजीनियरिंग कालेजों के विशेषज्ञों को रखा गया है। इस कमेटी की संस्तुतियों पर रख रखाव की और समुचित व्यवस्था की जायेगी।

श्रीमन् मुख्यालय पर एक मोबाइल यूनिट का गठन किया जा रहा है जो विभिन्न जनपदों में पहुंच कर तत्काल किसी संक्रामक रोग की सूचना मिलने पर दवाओं की व्यवस्था करेगी। श्रीमन् प्रदेश में दवाओं के बारे में समय-समय पर शिकायतें मिलती रही हैं इसलिये दवाओं की क्रय नीति में आमूल परिवर्तन किया गया है। अभी तक सी० एम० ओज० की 40 प्रतिशत दवाये खरीदने का अधिकार था और 7 प्रतिशत दवायें मुख्यालय द्वारा खरीदी जाती थीं और अब यह व्यवस्था की जा रही है कि इन दवाओं के क्रय करने के लिये एक अलग से समिति बनायी जायेगी।

श्रीमन् अभी तक सी० एम० ओज० के द्वारा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी, जिससे समय समय पर काफी शिकायतें मिली हैं इसलिये अब यह व्यवस्था की गयी है कि अब सी० एम० ओ० अपने जिले में कोई नियुक्ति नहीं कर सकेगा, केवल उनकी नियुक्ति मण्डल स्तर पर की जायेगी और मुख्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी जायेगा और उसकी उपस्थिति में उनकी नियुक्ति की जायेगी, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना न मिले। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जिले के प्रभारी मंत्री से भी निवेदन किया है कि जब वह 20 सूत्री कार्यक्रम को देखने के लिये जायें, तो वह किसी न किसी चिकित्सालय का भी निरीक्षण अवश्य करें जिससे जो गड़बड़ी हो उसकी तत्काल सूचना मिल सके। श्रीमन्, प्रदेश में 85 हजार दाइयां काम कर रही हैं, जिनको प्रति प्रसव केवल तीन रुपया दिया जाता रहा है, अब भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक प्रसव के लिये कम से कम उनको 10 रुपये दिया जाये। श्रीमन्, एक लाख 37 हजार परम्परागत दाइयों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि हंसिया और खुरपा से नाल न काट कर नये उपकरणों का प्रयोग वह करें।

श्रीमन्, इलाहाबाद में संसार का सबसे बड़ा मेला हुआ है, 100 वर्षों में इतना बड़ा मेला किसी देश में और कहीं नहीं हुआ है। लेकिन आप सबकी कृपा से स्वास्थ्य विभाग ने जो सफाई और औषधि की व्यवस्था वहां पर की थी उसकी सराहना हमारे देश के अलावा विदेश के लोगों ने भी की है और पूरे मेला क्षेत्र को मिट्टी विहीन जो स्वास्थ्य विभाग ने घोषित किया था उसके लिये बड़े-बड़े बैनर्स लगाये गये थे कि यदि एक मक्खी भी कोई दिखायेगा तो उसको एक हजार रुपया पुरस्कार दिया जायेगा। एक भी व्यक्ति ने एक मक्खी लाकर नहीं दिखाई जिससे वह इनाम प्राप्त कर सकता। इसलिये श्रीमन् हमारा पूरा विश्वास है कि स्वास्थ्य विभाग पर कृपा करें और इस बजट पर माननीय, अभी जो संभवतः कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कटौती का प्रस्ताव वे वापस ले ही, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के बजट में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पेश करें। यही मेरा अनुरोध है।

श्री.राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32—चिकित्सा विभाग (ऐलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34—चिकित्सा विभाग (होम्यो-पैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि बजट में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव आना चाहिये था और कटौती का प्रस्ताव नहीं आना चाहिये था। मैं माननीय मंत्री जी और सदन को यह जानकारी दे दूं कि माननीय मंत्री जी का विभाग कुछ ऐसे में सक्षम है जो निर्धारित बजट से भी ज्यादा रकम खातों से निकाल लेता है। महालेखाकार जो राज्य सरकार के हैं उनके कार्यालय में दस्तावेज हैं उनको देखने से यह पता चलेगा कि एक विभाग माननीय मंत्री जी का ऐसा है जिसने पिछले 5 सालों में 7,41,92,145 रुपया 47 पैसा अधिक ले लिया है और जो निर्धारित बजट उसके लिये था उससे ज्यादा पैसा उसने निकाल लिया है। जो बजट खाता है मेडिकल का, उसका नम्बर है 280 और इस खाते का आपरेशन महानिदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य द्वारा होता है। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ही ऐलोपैथी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सा निदेशालयों सबका बजट अलग-अलग करता है। लेकिन शायद माननीय मंत्री जी को पता न हो कि इसमें से कौन से चिकित्सा निदेशालय ने इतनी बड़ी धनराशि निर्धारित बजट से ज्यादा निकाल ली है। आयुर्वेदिक निदेशालय को इसलिये यह कहने की जरूरत नहीं थी कि कटौती का प्रस्ताव न करके उसकी बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखा जाता।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सन् 2000 तक वह सबके लिये स्वास्थ्य देंगे। यह एक राष्ट्रीय नीति है कि सभी को स्वास्थ्य देंगे। यह बात कोई आज की नहीं है। बहुत पहले से इस चीज को दुहराते रहे हैं। 1978 में जिस समय सब को स्वास्थ्य की राष्ट्रीय नीति बनी थी उस समय से बराबर इनके मंत्रालय बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसा लगता है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा भी है कि जो सन् दो हजार में होना चाहिये उसको 10 साल पहले ही पूरा कर देंगे। तो जिस तरह के सब को स्वास्थ्य देने के कार्यकलाप हैं उनको देखते हुए 10 साल की बात तो छोड़ दीजिये मैं समझता हूं कि 10 घंटे में सब को स्वास्थ्य देने की राष्ट्रीय नीति को भी वे पूरा कर सकते हैं। जब रजिस्टर पर फर्जी आंकड़े भरने हैं तो इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है आप देखें 5 हजार की आबादी पर मैदानी क्षेत्र में और 3 हजार की आबादी पर पर्वतीय क्षेत्र में उपकेन्द्र खोलने की व्यवस्था इन्होंने की और उप केन्द्रों पर पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से स्वास्थ्य सेवा मिल सके इसके लिये मुख्य कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता प्राविधान किया गया और पुरुष कर्मकर्ता हेतु व्यवस्था के लिये प्राविधान किया गया। राज्य सरकार के बजट में और महिला के लिये प्राविधान किया गया। केन्द्र सरकार के बजट में के केन्द्र सरकार के बजट पर जो नियुक्तियों का प्राविधान है वह तो लगभग पूरा है। थोड़ा कमी है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस बात को नहीं बताया कि इनके बजट पर जो नियुक्तियां होनी चाहिये थी वह अभी तक नहीं कर पाये। इस सम्बन्ध में मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूं

स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष 7वीं योजना के अन्त तक आवश्यकता थी 22,212 की इस समय कार्यकर्ताओं की संख्या है 11,363 कमी है 10859, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला 22,212 की आवश्यकता 7वीं योजना के अन्त तक जिसमें 21 हजार 22 इस समय कार्यरत हैं, और 1,190 की कमी है।

इसी तरह से स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष 5,553 सातवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक आवश्यकता है और कार्यरत 4593 कमी कितनी है 960 की और महिला पर्यवेक्षक 7वीं योजना के अन्त तक और कार्यरत हैं 3,774 कमी है 1779। सब को पुरुष या महिला सब को समान रूप से स्वास्थ्य सेवायें देनी चाहिये थी तो उसमें यह नाकामयाब रहे हैं।

इसके बाद मान्यवर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 3-3 चिकित्साधिकारी नियुक्त हैं लेकिन इनकी घर-घर स्वास्थ्य सेवा देने की नीति खोखली है क्योंकि कोई चिकित्साधिकारी गांव में नहीं जाता है और जो उसका दायित्व है उसको वह नहीं निभाता है। इस तरह से घर-घर स्वास्थ्य सेवा एक कल्पना मात्र है उसे कोई मूर्तरूप देने की बात सामने नहीं आ रही है। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सम्वर्द्धन के लिये 12 हजार रु0 की व्यवस्था की गयी है और उपकेन्द्र के लिये दो हजार रुपये की दवाओं की व्यवस्था की गयी है। तो जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि दो हजार रुपये की व्यवस्था उप-केन्द्रों के लिये की गयी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी उपकेन्द्र पर 2 रुपये से अधिक की दवा का वितरण नहीं किया जाता है। यह दो हजार रुपये जनता की गाढ़ी कमाई का आपस में बंदर बांट हो जाती है। मान्यवर, जब बजट का पैसा जाता भी है उसमें 60 प्रतिशत तो यह दे देते हैं मुख्य चिकित्साधिकारी को और 40 प्रतिशत निदेशालय स्तर पर दवाओं की खरीद की जाती है लेकिन यह नहीं होता है बस गौज-पट्टी की खरीद में बजट खतम कर दिया जाता है।

मान्यवर, इसी तरह से कन्टेन्जेन्सी बजट यह देते हैं। 4 हजार देते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को और उपकेन्द्र पर 600 रुपये देते हैं। उसका वही हाल है कि जितना भी बजट यह भेजते हैं उसका कोई भी उपयोग नहीं हो पाता है, किन्तु स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने की बात की जाती है। प्रिवेन्सन इज बेटर देन क्योर, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का यह प्रमुख सिद्धांत है और इसके अन्तर्गत जन समुदाय को जागरूक बनाना, उनके नियमों एवं आदतों का ज्ञान कराना और स्वास्थ्य शिक्षा देना है। इनके डाक्टर गांव में जाते नहीं हैं, डोर विजिट नहीं करते हैं, और स्वास्थ्य सेवा प्रसार पर बल नहीं देते हैं बल्कि डाक्टरों का काम है प्राइवेट प्रैक्टिस करना और क्लीनिक खोल कर बैठना यह उनका काम है। उप-केन्द्रों पर जाना शान के खिलाफ समझते हैं। इसलिये न वहां स्वास्थ्य शिक्षा की बात, कर पायेंगे और न स्कूल की बात, न पोषण आदि के बारे में जानकारी दे पायेंगे। मान्यवर, ग्रामीण स्तर के जो कार्यक्रम हैं उनको भी यह कोई सपोर्टिंग सुपरवीजन नहीं दे पायेंगे, इसलिये सब को स्वास्थ्य देने की बात साकार नहीं हो पायेगी।

मान्यवर, इनकी कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या हैं? सिर्फ रजिस्टर पर चाहे मसबन्दी हो, चाहे टीके हों, चाहे लूप लगाने की बात हो, या निरोध लगाने की बात हो और चाहे गर्भवती माताओं की सेवा करने की बात हो, यह सभी चीजें शहरों में बैठकर बड़े-बड़े अस्पतालों में बैठकर रजिस्टर

पैसा कर दिये जाते हैं और गांवों में आशा, इन सेवाओं को बल देने का काम कोई इनका अधिकारी भी दौरा नहीं करता है । नतीजा है कि आज जन्म दर 10 साल के बराबर के आंकड़े देख सकते हैं जब समान मिलेंगे । कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चूंकि इनकी एप्रोच गलत है । शिशु मृत्यु दर उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबले आगे है और प्रति हजार 126 शिशु मृत्यु दर है ।

मान्यवर, मंत्री जी ने जन स्वास्थ्य रक्षकों की बात की सही है कि जन स्वास्थ्य रक्षक जनता के बीच के हैं और उन्हीं के लिये ऐसे जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिये जो आज से कई साल पहले योजना बनी थी 50 रुपये देने की, उसको मंत्री जी ने माना है कि वह भी उनको नहीं दे पा रहे हैं, उनको किट देने की बात थी वह भी नहीं दे पा रहे हैं । सभी को स्वास्थ्य देने की बात कहने वाले और जो जनस्वास्थ्य रक्षकों को 50 रुपये का मानदेय तक यह नहीं दे पा रहे हैं । दो तीन सालों का उनका बकाया है ।

मान्यवर, दाई प्रशिक्षण का काम गम्भीर है और उसको देखते हुय जो उनको रिपीटिंग फीस 3 रुपये है वह कम है लेकिन मंत्री जी ने जानने की कोशिश नहीं की कि यह फीस मिलती है कि नहीं । केन्द्र से अनुरोध करवाये कि 10 रुपये कर दिया जाय तो यह भी बट जायेगा, चूंकि 3 रुपये तो उनको मिलता नहीं है ।

मान्यवर, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रचार और प्रसार कार्यक्रम पर सबसे ज्यादा बल देना चाहिये लेकिन इसको हमेशा ही उपेक्षित रखा गया है । जो खण्ड प्रसार शिक्षक, जिला स्वास्थ्य शिक्षक, स्वास्थ्य सूचना अधिकारी और आई० इ० सी० अधिकारी हैं उनको सशक्त न करके उनकी उपेक्षा की जा रही है ।

और मान्यवर, यही लोग स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार और प्रसार का कार्य कर सकते हैं । यह परिवार कल्याण और आई० सी० आई० अनुभाग, इन दोनों को एकीकृत करने की केन्द्र सरकार की एक योजना है । केन्द्र की तरफ से इन्हें इस तरह के निर्देश दिये गये हैं कि इन दोनों को एकीकृत करके, इनसे शिक्षात्मक और प्रेरणात्मक कार्य लिया जाए । लेकिन इसको अलग-अलग रखा गया है, ताकि मनमाने ढंग से बजट का दुरुपयोग किया जा सके । परिवार कल्याण निदेशालय में एक आफसेट मशीन है । मशीन के लिए जो कर्मचारी नियुक्त हैं उनके वेतन पर एक लाख रुपया आता है, लेकिन उससे कोई उपयोगी छपाई का कार्य नहीं लिया जाता है । आज जो साहित्य मिला, वह दूसरी जगह से छपा साहित्य ही हम लोगों को बांटा गया है, और उससे मात्र एक काम लिया जाता है—नसबन्दी के फार्म छापने का । कोई दूसरा कार्य उस मशीन से स्वास्थ्य सेवाओं को बल प्रदान करने वाला या उनके प्रचार-प्रसार करने वाला नहीं लिया जाता है । अगर ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक नान मेडिकल कर्मचारियों को सुदृढ़, साधन-सम्पन्न और अधिकार-युक्त नहीं बनाया गया, तो सबको स्वास्थ्य देने की आपकी कल्पना है, वह कल्पना ही रह जायगी और यह स्वप्न आप कभी साकार नहीं कर पायेंगे । कर्मचारियों का देख लें तो उनके अनेक पद रिक्त हैं, सालों से रिक्त पड़े हैं, लेकिन निदेशकों की भरमार कर दी गयी है । परिवार कल्याण निदेशालय निदेशकों से भरपूर कर दिया गया है । आज वहां अकेले परिवार कल्याण में ज्वाइन्ट डायरेक्टर 6 हैं, और डिप्टी डायरेक्टर 6 हैं । और इनका कार्य मात्र बाबूगीरी करना है । वे यह नहीं करते हैं कि फील्ड में जाय और जिस कार्य से जुड़े हैं, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें ।

(इस समय 5 बज कर 3 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय पीठासीन हुये) ।

परिवार कल्याण के ऊपर अभी मंत्री जी ने बड़ा जोर दिया और परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में जनसाधारण अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को यह कार्यान्वित कर रहे हैं । यह एक सामाजिक कार्यक्रम है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है । लेकिन इससे मकसद क्या है ? इसका मकसद यह नहीं है कि नसबन्दी की भरमार लगाकर

केन्द्र सरकार से पुरस्कार ले ली । इसका मकसद यह है कि जन्म दर में कमी आवे । यही इसका मुख्य उद्देश्य है । लेकिन जन्म दर में 10 साल से लगातार सामानता है । इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ पा रहा है । दूसरी बात स्वैच्छिक भागीदारी की है । इसको वह कैसे लिमा पा रहे हैं ? राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग आदि प्रायः सभी विभाग इसमें लगा दिये गये हैं, केवल पुलिस विभाग बाकी रह गया है, जिनके ऊपर लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं, प्रलोभनों के आधार पर फर्जी नसबन्दी का कोटा पूरा नहीं कर रहे हैं । दूसरे इसमें एक-एक की बात है । जिन्होंने नसबन्दी करायी होगी उनके अभिलेख आपके यहां होंगे । उठा कर देख लें 60 साल और 65 साल की आयु के लोग इनको ज्यादा मिलेंगे, जिन लोगों ने नसबन्दी करायी होगी आप देखें समाज के दबे लोग जो हैं अनुसूचित जाति के लोग जो हैं उनके नामों की भरमार है, दूसरे लोगों के नाम कम मिलेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

कितना समय लगेगा ?

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय लोकपति त्रिपाठी जी को देखें यह स्वास्थ्य मंत्री थे इन्होंने नसबन्दी कराई । कानपुर के अस्पताल में देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी भी नसबन्दी करा गये, अब किस स्वास्थ्य की नसबन्दी होगी, इसका अन्दाजा सदन भी लगा सकता है और जनता भी लगा सकती है, मान्यवर, जो परिवार कल्याण विभाग है । जगह-जगह मुख्य चिकित्साधिकारी को ए० एन० एम० के चुनाव के लिये अधिकार दिया गया है । इस चुनाव में कितना भ्रष्टाचार है इसको आप देखें आज ए० एम० एम० का चुनाव 8-8 हजार 10-10 हजार रुपया लेकर किया जाता है । मान्यवर, बहुउद्देशीय प्रोग्राम चालू है या नहीं इसमें माननीय मंत्री जी चुप्पी साध गये । प्रदेश में न बहुउद्देशीय और न एक उद्देशीय कार्यक्रम चालू है ऐसी स्थिति में परिवार कल्याण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की चपेट में आ गया है । दूसरे कार्य और हैं परिवार कल्याण के कार्य उनका जिक्र करना उचित नहीं होगा क्योंकि जन साधारण के बीच में इनका कोई प्रचार न इनके बारे में कोई व्यवस्था की गई है इनका किसी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है सिर्फ डायरी और रजिस्टर भरे जा रहे हैं इसलिये मंत्री जी जितना चाहें आंकड़े ले लें । यह आंकड़े इनकी काइल की शोभा बढ़ा सकते हैं व्यावहारिक जीवन से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

मान्यवर, अब मैं औषधि उद्योग की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यहां प्रदेश में औषधि उद्योग की हालत बहुत खस्ता है चिकित्सालयों म जो औषधि आपूर्ति होती है वह दूसरे प्रदेशों से की जाती है हमारे प्रदेशों में इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है । दो एक बड़ी इकाइयां हैं । औषधि के बारे में कितनी चिन्ता है यह इस बात से पता चलता है कि कहीं से मुख्य औषधि नियंत्रक एवं निरीक्षक के पद नहीं भर पाये हैं । औषधियों की क्वालिटी के बारे में देखें उसमें जन विश्लेषक होना चाहिये वह काम नहीं हो पा रहा है । कोई जन विश्लेषक को नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। औषधि की क्वालिटी में यह पिछड़े हुये हैं दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा पिछड़े हुये हैं । मान्यवर, छोटे कर्मचारी जो हैं उनके बारे में घोषणायें तो कर देते हैं, कुछ वर्ष पहले सन् 1976 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी उस समय नारायण दत्त तिवारी थे उन्होंने घोषणा की थी । मान्यवर, कानपुर में "बी फार्मा" कोर्स खोला जायगा इसके बारे में घोषणा की गयी थी लेकिन मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बावजूद यह कोर्स चालू नहीं किया गया है । इसी तरह से वरिष्ठ हरिजनों को छोड़ कर कनिष्ठ लोगों को चीफ फार्मासिस्ट बना दिया गया है । इस अनियमितता को दूर करने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी और आश्वासन भी दिया था लेकिन उनके यह आश्वासन कोरे रह गये । इसी तरह से फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्निसियन, लैब टेक्निसियन्स इन सबके बारे में सरकार की ओर से जो आश्वासन समय-समय पर दिये गये थे उनको और शासन ने उपेक्षा बरती है और उन आश्वासनों को आज तक पूरा नहीं किया गया है ।

अब मैं चिकित्सा शिक्षा की बात कहना चाहता हूं। यहां पर संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है जिसकी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जोर शोर से तारीफ की है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जापान की सहायता मिले या उत्तर प्रदेश जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा हो, सारे पैसे का दुरुपयोग होता है। जापान से करोड़ों रुपयों की मशीनें वहां पर आयी हैं। लेकिन उन मशीनों को चलाने वाले योग्य लोग होने चाहिये जो वहां उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग वहां पर जाते हैं वह भी रुकते नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

वर्मा जी, अब आप समाप्त करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

जो प्रतिभायें वहां जाने को सोचती हैं वह वहां के जो डायरेक्टर के उनके कारनामों के कारण वहां रुकना नहीं चाहती हैं। संजय गांधी संस्थान को उन्होंने अपनी बपौती समझ रखा है जिसको जब चाहा निकाल दिया। पचासों ऐसे लोग हैं जो वहां से निकाले जा चुके हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई बार घोषणा की और वह घोषणा अखबारों में भी छपी कि ऐसे भ्रष्ट निदेशक को वहां से हटाया जायगा लेकिन वह अब तक नहीं हटाये गये हैं। मनमाने ढंग से जो वह चाहते हैं निर्णय लेते हैं और मनमाने ढंग से निर्णयों का कार्यान्वयन करते हैं चाहे निर्माण का काम हो या मरम्मत का काम हो, सबमें कमीशनखोरी होती है और भ्रष्टाचार का बोल बाला है। इस पर भी अगर संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान माननीय मंत्री जी को अच्छा लग रहा है तो यह अच्छाई उनको मुबारक रहे। लेकिन प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को ऐसे इंस्टीट्यूशन पर खर्च न करें। मान्यवर, इसी तरह से गोरखपुर और झांसी मेडिकल कालेज जहां पर चिकित्सा शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करायी गयी वहां की स्थिति अत्यन्त खराब है। वहां की ऐसी स्थिति हो गयी है कि मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया उनको डिग्रिकग्नाइज करके उनकी मान्यता को समाप्त करने वाली है। मेरी जानकारी है कि उनके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है। जो शासन की ओर से अनुसूचित जातियों का कोटा निर्धारित है उसका 2 परसेन्ट भी कोटा वहां पूरा नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो सरकार की नीति है उसको अपनाया जाय। शासन की नीतियों का पालन न करने के कारण ही आज हमारे प्रदेश के दो मेडिकल कालेज झांसी और गोरखपुर की डिग्रियों की मान्यता समाप्त होने की नौबत आ गयी है। मान्यवर, कुछ नेशनल प्रोग्राम हैं जैसे लेप्रोसी, मलेरिया, ब्लाइंडनेस, ग्वायटर आदि, 20 सूत्रीय कार्यक्रम में इनके बारे में लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं लेकिन यह जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं यह तभी तक चल पाते हैं जब तक केन्द्र सरकार से सहायता मिलती है। चूंकि यह प्लान पीरियड से जुड़े हैं इसलिये एक साल की सहायता केन्द्र से मिल जाती है और बाकी राज्य सरकार को अपने संसाधनों के आधार पर चलना पड़ता है। जब तक केन्द्रीय सहायता मिलती है तब तक यह कार्यक्रम चलते हैं लेकिन जिस समय सहायता नहीं मिलती है उस समय यह कार्यक्रम ठप पड़ जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

वर्मा जी, अब आप समाप्त करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इनकी एक परिवहन सेल है। वह बड़ी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है। 5 करोड़ का प्राविधान उसके लिये है। लेकिन मरम्मत का काम बाहर से कराया जाता है जब कि बजट का 5 करोड़ रुपया वहां पर खर्च किया जा रहा है। जो वहां पर डिपो के डिप्टी डायरेक्टर हैं कोई गुप्ता जी हैं उनके मनमानेपन की वजह से वहां की व्यवस्था खराब चल रही है। 10-12

साथ से हैं उनके विरुद्ध विजिलेन्स इन्क्वायरी चल रही है । वह मनमाने ढंग से बजट का दुरुपयोग करते हैं । मनमाने ढंग से वहां पर निर्णय लेते हैं और उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर परिवहन सेल को यह सक्रिय बनाना चाहते हैं, तो ऐसे अधिकारी से उसे मुक्त करना पड़ेगा । मान्यवर, मुख्य चिकित्साधिकारी कभी-कभी पक्षपात करते हैं, इसलिये आयुर्वेद के बजट का अलग से प्रावधान किया जाना चाहिये । दूसरी बात यह है कि जो आयुर्वेदिक जगत में काम करने वाले चिकित्साधिकारी हैं, उनके लिये पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं, इसलिये उनके लिये जिला मुख्य चिकित्साधिकारी के पद सृजित किये जाने चाहिये, ताकि उन्हें भी पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकें । मान्यवर, जो 25 या 15 शैय्याओं के एलोपैथिक अस्पताल हैं, वहां पर जिस प्रकार से अधीक्षक की नियुक्ति की जाती है, उसी प्रकार से इन आयुर्वेदिक अस्पतालों में भी अधीक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिये । मान्यवर, एलोपैथिक डाक्टर्स और आयुर्वेदिक डाक्टर्स एक ही प्रकार के कार्य करते हैं और एलोपैथिक डाक्टरों को नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स दिया जाता है, परन्तु आयुर्वेदिक डाक्टरों को नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स नहीं दिया जाता है । इस बारे में शासन खुद अपनी समान कार्य के लिये समान सुविधा नीति से अलग हट रही है । मान्यवर, शोध के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह इसके बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन यह पता नहीं है कि इसको ये कब तक साकार कर दे सकेंगे । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इस कार्य में जल्दी करें, ताकि जड़ी-बूटियों से दवाओं का काम जल्दी शुरू हो जाय । मान्यवर, जो आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी पी0 एच0 सी0 ज0 पर तैनात हैं, वहां पर आयुर्वेदिक दवाओं का काम होता है और वह काम फार्मेसिस्ट्स करते हैं, लेकिन मान्यवर, फार्मेसिस्ट्स कहीं पर भी नियुक्त नहीं किये गये हैं ।...

श्री अखिलेश—

आप समाप्त करें ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, यह कटौती का प्रस्ताव है, इसमें आप न रोकें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव में तो आपको रोकना ही नहीं चाहिये, लेकिन आप मेरे भाषण में बार-बार टोकते जा रहे हैं । अब मान्यवर, मैं 5 मिनट और लूंगा और उसके बाद छठ मिनट नहीं लूंगा । मान्यवर, आप घड़ी देख लीजिये ।

मान्यवर, होम्योपैथिक चिकित्सा दीन-दुखियों के लिये सस्ती और सुलभ चिकित्सा है । मान्यवर, हमारे यहां थोड़े दिन पहले एक रिसर्च हुई थी और यह रिसर्च मेडिकल कालेज के एक डाक्टर ने की थी । उनके अनुसार 60 फीसदी लोगों ने होम्योपैथिक के पक्ष में अपना मत दिया था, लेकिन मान्यवर, जिसके पक्ष में 60 फीसदी मत आये, उसको आप 2 प्रतिशत बजट दे रहे हैं । मान्यवर, जिन वर्गों से तीन दुखियों को सस्ती चिकित्सा सुलभ कराई जा सकती है, उसके लिये शासन नकारात्मक रवैया अख्तियार कर रहा है । उसमें केन्द्र व परिषद जो होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों और चिकित्सालयों के लिये मानक हैं, शासन की ओर से उन मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा है । मान्यवर, किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सालय, होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के पास स्टाफ, प्रयोगशालायें, पुस्तकालय भवन आदि नहीं हैं । तमाम सी0पी0एम0टी0 द्वारा छात्र छात्राओं का प्रवेश वहां पर कराया जाता है, लेकिन चूंकि होम्योपैथिक चिकित्सा के सिलसिले में समुचित व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जितने लड़कों का प्रवेश वहां होता है, कोई

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

वहां नहीं जाता है । कहीं-कहीं पर आप देखेंगे कि वहां पर अध्यापकों की संख्या एवं स्टाफ है ही नहीं । मान्यवर, बहुत से चिकित्सालय ऐसे हैं जो होम्योपैथी मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध हैं । मान्यवर, मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह जरा देखें कि होम्योपैथी मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध जो भी चिकित्सालय हैं वह बन्द क्यों चल रहे हैं ? वहां न स्टाफ दे रहे हैं

और न समुचित रूप से दवाइयां दे रहे हैं जब स्टॉफ और दवाइयां नहीं होंगी तो मरीज नहीं जायेंगे तो वह अपने आप बन्द हो जायेगा तो मान्यवर, इसे इनको देखना चाहिए। मान्यवर, आज एक दूसरी बात भी हम देख रहे हैं कि होम्योपैथी के प्रति बड़ा शासन का उपेक्षात्मक दृष्टिकोण है। मान्यवर, दो बातें और उठाना चाहता हूं एक तो मान्यवर, उनकी नियुक्तियों का सिलसिला है और नियुक्तियों के सिलसिले को जो नीति है वह बड़ी ही घातक है और भ्रष्टाचार की जननी बनी हुई है वह नीति है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियों का अधिकार है, किस तरह से वह नियुक्तियां कर रहे हैं यह किसी से छिपा हुआ तो नहीं है। एक-एक साधारण कर्मचारियों को रखने के लिए दसियों हजार रुपया लेकर नियुक्तियां करते हैं। अगर वह चाहते हैं कि नियुक्तियों के सिलसिले में एक समान नीति हो तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी से यह अधिकार छीनकर निदेशालय से एक नीति बनायी जानी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, लखनऊ स्थित स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा फार्मासिस्ट, लैब टेक्निशियन, एक्स-रे टैक्निशियनों का चयन जो सचिव, मेडिकल फैकल्टी द्वारा कराया जा रहा है वह पूर्णतया अवैधानिक है क्योंकि सचिव मेडिकल फैकल्टी को उपरोक्त सम्वर्गों के कर्मचारियों का कवल इक्जामिनेशन कंडक्ट कराने का ही अधिकार प्राप्त है, उन्हें किसी भी प्रकार का चयन करने का अधिकार नहीं है। उनके द्वारा की जा रही चयन प्रक्रिया को तुरन्त समाप्त किया जाय क्योंकि सचिव-स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा लाखों रुपये की अवैध कमाई करके अभ्यर्थियों से पैसा लूटा जा रहा है। इस संदर्भ में शासन को समय-समय पर विभाग द्वारा भी लिखा जाता रहा है, परन्तु शासन ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है।

श्री अधिष्ठाता—

वर्मा जी समाप्त करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

उपरोक्त संवर्गों के अभ्यर्थियों का चयन करने में स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा लगभग एक वर्ष में लगभग 50 लाख रुपये की अवैध कमाई की जाती है, इसलिए ऐसे भ्रष्टाचार को सिद्धान्ततः अनुमन्य नहीं है। मेरा सुझाव है कि ऐसी प्रक्रिया को निरस्त कर चयन करने की प्रक्रिया निदेशालय स्तर से अपनायी जाये ताकि उसमें किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले। इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आप सबके असली सुझावों की अपेक्षा करता हूं।

श्री प्रेम पाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र जलेसर नगर में 30 बेड का हास्पिटल शासन से स्वीकृत किया गया था। सन् 1980 में और स्वास्थ्य विभाग को जमीन भी दी गयी थी और 50 प्रतिशत वह बन भी रहा है। कुछ लोग हाई-कोर्ट से स्टे लाने गये लेकिन स्टे नहीं मिला तब वह लोग कमिश्नर स्तर पर गये, डी0 एम0 साहब के पास गये वे भी किन डी0 एम0 साहब ने खड़े होकर उस 30 बेड के हास्पिटल को बनवाया लेकिन फिर भी वहां कुछ लोगों ने जिला स्तर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से साठ-गांठ करके उसको रुकवा दिया है और मैरिज होम बनवा रहे हैं। जबकि शासन का नियम है कि 30 बेड का अस्पताल शासन स्तर पर रुकना नहीं चाहिए।

इसलिए इसका बनना आवश्यक है । मान्यवर, हमारे जलेसर में दूसरा ब्लाक आवागढ़ है वहां एक 30 बेड का महिला अस्पताल का प्रस्ताव शासन को गया था और स्वीकृत हुआ था । मान्यवर, इस प्रदेश में कोन सा ऐसा जिला होगा जहां तहसील स्तर पर 30 बेड का अस्पताल न हो लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 4 वर्ष से जब भी मौका मिलता है तो मैं मांग करता हूं कि तीस बेड का अस्पताल बनाया जाय । माननीय मंत्री जी से आर्डर करवाया लेकिन वर्तमान में आठ दिन हो गये उसका निर्माण कार्य रोक दिया गया है । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं आवागढ़ क्षेत्र में महिला अस्पताल की स्वीकृति हो गयी है उसे शासन द्वारा स्वीकृत कर कार्यालय बनवाया जाय, हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी नें स्वास्थ्य केन्द्र व उस केन्द्र को जनहित में हर ब्लाक, न्याय पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायं । उसमें भी शासन से स्वीकृति हो गयी है लेकिन नहीं बन सका । दूसरी बात जलेसर की न्याय पंचायत, सकरौली में एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र खुला हुआ है, लेकिन उसमें ताला पड़ा हुआ है । इसी तरह से ब्लाक आवागढ़ में भी ताला पड़ा है । जनहित में उस स्वास्थ्य केन्द्र को खोला जाय । अंत में ज्यादा न कहते हुए मैं शासन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि पूरे वर्ष में सिवा परिवार कल्याण के अलावा विकास के नाम पर वैसे तो परिवार कल्याण के केस मांगते हैं और ब्लाक में बी0 डी0 ओ0 हो या सहसील-दार हो, उनकी गाड़ी को पूरी तरह से पूरे वर्ष परिवार कल्याण के कार्यक्रम में लगाते हैं और परिवार कल्याण के नाम पर विकास के लिये बंधन रखते हैं कि केस नहीं दोगे तो काम नहीं करेंगे । अंत में मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करते हुए पूरे प्रदेश में हमारे मुख्य मंत्री जी ने स्वास्थ्य केन्द्र के हिसाब से चौमुखी विकास किया है लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी बोल देना चाहता हूं कि मेरे यहां 30 बेड वाला हास्पिटल अवश्य बनवा दें । इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती का विरोध करता हूं ।

श्री गोपाल दास बघेल—

अध्यिष्ठाता महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बजट पर राम आसरे वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आभारी हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि कुम्भ मेले में एक मक्खी नहीं मिली और हमने घोषणा की थी कि एक हजार रुपये देंगे। मुझे डाक्टर या अधिकारी यह बता दें कि जाड़े के दिनों में तालाब के किनारे मेढक दिखाई दें तो मैं एक हजार रुपया दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या जाड़े के दिनों में मेढक दिखाई पड़ते हैं ? यह सुशुप्तावस्था होती है। जनवरी के महीने में 6 डिग्री के टैम्परेचर के ऊपर मक्खी का लार्वा डेवलप नहीं करता। मंत्री जी ने यह बताया लेकिन मान्यवर, आज 14 डिग्री टैम्परेचर है, अभी खाना खाया है । वहां जाकर देख लें एक भी मक्खी नहीं होगी । मैं कहना चाहता हूं कि जून के महीने में या मई के महीने में मक्खी होगी। डाक्टर जो भ्रष्टाचार फैलायें, वही राय दें, तो मंत्री को को स्वयं अपने विवेक से काम करना चाहिये । 3 करोड़ रुपये मेले के नाम पर फूंक दिये गये। इसकी जांच होनी चाहिये । तीस करोड़ रुपये मक्खी मच्छर के नाम पर फूंक दिये गये और वहां दवा कौन सी थी । चोट लग जाती, वहां होता, इसकी कौन सी दवा दे दी । वहां पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, मंत्री जी उसकी जांच करावें ।

मंत्री जी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में स्वास्थ्य मुहय्या करवा देंगे। म जानना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्र और हास्पिटल में बता दें कि कितनी चीजें मुहय्या कराते हैं ? मैं पूछना चाहता हूं कि आज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की हालत यह है कि डाक्टर मुहय्या नहीं हैं । वहां पर इमरजेंसी में जितने डाक्टर चाहिये, मुहय्या नहीं हैं । सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र और अप ग्रेडेड हास्पिटल में एक्सरे और पैथालोजी की व्यवस्था नहीं है । दो हजार तक विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के अन्दर मैं कहना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी ने कहीं भी औषधि नियंत्रण की बात नहीं की । मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज कौन सी सस्ती

और गुणात्मक दवा अल्प सुलभ करायेंगे। आपने कहीं भी औषधि नियंत्रण केन्द्र को खुला नहीं पाया। आपके होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी निदेशालय हैं, लेकिन अगर औषधि नियंत्रण केन्द्र का निदेशालय अलग नहीं खोलेंगे तो स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे। जो दवाएं बाजार में मिलती हैं, निम्न स्तर की होती हैं। स्पूरियस ड्रग्स हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर 31 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, 56 जिले हैं जहां पर यह पर्याप्त नहीं है। दवाओं के निर्माता, होलसेलर्स, फुटकर विक्रेता शहर और गांव इनका यह 31 ड्रग इंस्पेक्टर्स सारा कार्य करते हैं, जो संभव नहीं है। वहां की दवाओं के सेम्पुल भरकर जांच कर सके यह संभव नहीं है। औषधि नियंत्रण केन्द्र में जो ड्रग कंट्रोलर हैं वह फार्मेसी के अध्यक्ष न होकर आई० ए० एस० हैं या इसके पहले एम० बी० बी० एस० होते रहे हैं जिनको दवाओं के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। जब तक एक सी० एम० ओ० के अन्तर्गत या एडीशनल डायरेक्टर के मातहत ड्रग इन्सपेक्टर रहेगा, तब तक उसकी हिम्मत नहीं रहती है कि वह अस्पताल के अन्दर जाकर जो निम्न स्तर की दवायें हैं जो स्पोरियस दवाये आती हैं उनके नमूने ले सके, उसकी जांच कर सके। इसकी हिम्मत नहीं रहती है कि वह सेम्पुल वहां से ले सके। क्योंकि उसकी सी० आर० सी० एस० ओ० मरता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश की जनता को सही व गुणात्मक दवा मिले तो सबसे पहले औषधि नियंत्रण केन्द्र को इंडिपेन्डेन्ट कीजिये। इसका एक अलग निदेशालय खोला जाय। सख्ती से पेश आइये। ताकि गरीबों को सस्ती और अच्छे स्तर की दवा उपलब्ध हो सके। अगर किसी को हृदय रोग हो जाय तो इलाहाबाद मेडिकल कालेज में जो इंटेंसिव केयर यूनिट है वह बड़ी दयनीय हालत में है। वह व्यक्ति केवल एनजीसेट एवं सारबीट्रेट के सहारे जीवित रहता है। वहां पर कोई भी हृदय रोग से संबंधित पेशेपेकर बाईपास सर्जरी की व्यवस्था नहीं है गरीब असहाय होकर दम तोड़ देता है।

परिवार नियोजन में करोड़ों रु० फर्जी खर्च किये जाते हैं। 94 करोड़ रु० के घपले का प्राविधान है। फर्जी आंकड़ों के द्वारा जो परिवार नियोजन पर खर्च होता है, यदि इस पर खर्च न करके, 50 करोड़ रु० केवल डायलिसिस मशीन, न्यूरो सर्जरी आपरेट्स और केटीसकोनिंग, हार्ट्स पास के यंत्र मंगा दिये जायं तो जो गरीब तड़प तड़प कर मर जाते हैं वह बचाये जा सकते हैं। लेकिन उसकी चिन्ता आपको नहीं है। आज दवा जो खरीदते हैं आवश्यक दवा न खरीद कर अनुपयोगी दवा खरीदते हैं टानिक खरीद लेंगे की सत्यानाश गरीबों तक पहुंच नहीं पाती है। जब आपको स्वास्थ्य मंत्री का मौका मिला है तो आप इस दिशा में कुछ करें गरीबों की सेवा करना सीखें। जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं उनको हटायें।

जिला इलाहाबाद में जिला हास्पिटल मोती लाल नेहरू अस्पताल में, जो अंग्रेजों के शोर का बना है, वहीं पर प्राइवेट वार्ड नहीं है कोई चिकित्सकीय सुविधा वहां है। आपने अस्पतालों में सभी तरह की बीमारियों के लिये 5 रु० इलाज के लिये फीस लेनी शुरू कर दी है जो कि उपयुक्त नहीं है। 5 रु० में आप कहते हैं इलाज करा देंगे। इसमें पंथोलाजी भी आती है, ब्लड टेस्टिंग भी आती है। बड़े-बड़े रोग जैसे-हृदय रोगों के लिये, किडनी या न्यूरो सर्जरी-यह 5 रु० में आप करा पायेंगे? 5 रु० में कौन सा इलाज करा देंगे, हृदय रोग का इलाज करा देंगे, कौन सी टेक्नीकल सुविधा अस्पतालों को दे रहे हैं। इसका अवलोकन करें। टी० बी० क्षय रोग कुष्ठ रोग-20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उसके प्रति भी सरकार लापरवाही कर रही है। टी० बी० क्षय रोग क्योरेबिल है लेकिन जो गांव का गरीब आदमी इलाज के लिये आता है। उसे 90 प्रतिशत दवा बाजार से लेनी पड़ती है। जब कि शत-प्रतिशत दवा, भोजन की सुविधापूरी चिकित्सकीय सुविधा अस्पताल से मुहैया होनी चाहिये। मजबूर होकर, दवाओं को बाहर से खरीद सकने की स्थिति में न होने के कारण, 6 महीने के बाद क्षय रोग का मरीज दवा करना छोड़ देता है और असहाय अवस्था में तड़प-तड़प कर मर

जाता है। उसे सारी चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ खाने की अच्छी डाइट अस्पतालों में देनी होगी सारी दवायें देनी होगी। छोटे-छोटे नगरों में जैसे इटावा फर्रुखाबाद में कुष्ठ रोग के लिये डिप्टी सी० एम० ओ० स्तर का डाक्टर तैनात है। लेकिन इलाहाबाद जैसे महानगर में कुष्ठ रोग के इलाज के साथ मजाक किया जा रहा है। यहां पर एक कनिष्ठ डा० सुरेश द्विवेदी नियुक्त कर दिया गया है जो कुष्ठ रोग के इलाज का मजाक उड़ा रहा है। जो कुंभ मेला में कुष्ठ रोग केन्द्र बन्द करके मेला ड्यूटी लगा लिया सारे स्टाफ के सहित इसतरह से कई सालों से यह कनिष्ठ अधिकारी मेला मना रहा है और यह कनिष्ठ अधिकारी मेला इंचार्ज था और बाहर से जो मेले में डिप्टी सी० एम० ओ० और उच्चाधिकारी आये थे। उन्हें कोई मेला का काम नहीं दिया गया वह सड़कों पर घूम रहे थे।

स्वास्थ्य विभाग में एक अच्छी एक सबल व्यवस्था कायम हो, माननीय मंत्री जी सदन की एक कमेटी बना दें और उसे बनाने के बाद डिस्कस कीजिये। जो अधिकारी भ्रष्ट हैं उनकी राय से तो आप यहां मामले पढ़ते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, इस पर ध्यान दें। दवा के क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान दें। कहीं पर भी अल्से यूनानी दवा के बारे में डिस्कस नहीं किया, आयुर्वेदिक की बात कही। यूनानी मेडिकल कालेज में सी० पी० एस० टी० की तरह परीक्षा होती है। यूनानी मेडिकल कालेज, लखनऊ और इलाहाबाद में है। आज तक 1981 से जो प्रवेश परीक्षा हुई थी, आज तक 80 छात्रों की लिस्ट पूरी नहीं कर पाये। आज तक वहां पर मेडिकल कालेजों का केवल नाम है, लेकिन न तो लेक्चरर की व्यवस्था है, न रीडर की व्यवस्था है और जिन 12 विभाग को वहां होना चाहिये, वह भी नहीं है। इसी प्रकार में निवेदन करना चाहता हूं कि जो भारतीय इलाज की पद्धति है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिये, यह मेरा मंत्री जी से निवेदन है। श्रीमन्, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि जो एलोपथ का बजट है, उसे काटकर भारतीय पद्धति के आयुर्वेद बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यादव जी, आप समाप्त करें, मैंने नेक चन्द्र पाण्डेय जी को बुला लिया है। कुछ स्पष्टीकरण में पूछ लीजियेगा। पाण्डेय जी आपके लिये 7 मिनट का समय है।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने, इस प्रदेश के मानव जीवन के उत्थान के लिये उपयोगी और सुविधाओं युक्त तथा तमाम उपलब्धियों पूर्ण बजट रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रदेश या देश का मानव स्वास्थ्य उसकी सफलता का प्रतीक होता है। माननीय, आज इस बात का यह प्रमाण है कि जब स्वतंत्रता के पूर्व हमारे प्रदेश में औसत आयुमान 27 वर्ष थी, आज इस प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की अनवरत सेवाओं के कारण, स्वास्थ्य विभाग की तमाम उपलब्धियों और सेवारत रहने के कारण वह औसत आयु 58.6 वर्ष हो गयी है। मैं इसके लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत इस बजट की सराहना करता हूं। माननीय, इसका कारण यह है कि हमारे प्रदेश के कुशल डाक्टरों ने, प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कुशल अधिकारियों ने कंट्रोल किया है, नियंत्रण किया है उन रोगों पर जो बहुत ही गम्भीर रोग थे। चाहे प्लेग हो, चाहे चेचक हो, चाहे मलेरिया हो या अन्य कोई गंभीर रोग हो। अन्यथा मानव असमय ही इन रोगों से ग्रसित होकर बीच में ही ईश्वर के पास चला जाता था लेकिन आज इन रोगों पर नियंत्रण करने के साथ-साथ बड़ी उपलब्धियां हासिल की गयी है।

माननीय, शिशु जब पैदा होता था, तब पहले ऐसे साधन उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, आदि ऐसे रोग थे, जिनकी वजह से

बाध्य को अन्त के बाद ही मृत्य हो जाती थी, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी रोगों का इलाज करने में सफलता प्राप्त की है। माध्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि यहां एक ओर मलेरिया उन्मूलन की ओर हम लोग बढ़े थे, चेचक उन्मूलन की ओर बढ़े थे और सफलता हासिल की थी, लेकिन अब यह रोग पुनः विकसित हुए हैं और पुनः बढ़ रहे हैं। मैं इन रोगों को पुनः रोकथाम करने के लिये अपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इन रोगों को अन्तिम सीमा तक उन्मूलन करने के लिये प्रयास किया जाना चाहिये।

माध्यवर, आज इस बात को लेकर हमारे प्रदेश की जनता चिन्तित है, इस ओर हमारे कुशल डाक्टरों तथा इस सरकार को प्रयास करना चाहिये। माध्यवर, आज 5 हजार की आबादी पर मैदानी क्षेत्रों में तथा 3 हजार की आबादी पर पहाड़ी क्षेत्रों में उपकेन्द्र खोले गये हैं, लेकिन वहां पर पुरुष तथा महिला कर्मचारियों के न पहुंचने के कारण रोगियों को बड़ी असुविधा होती है। माध्यवर, इनको चेक करने के लिये आपने जो स्क्वेड बनाये हैं, मैं उसके लिये आपकी विशेष रूप से सराहना करता हूं, लेकिन इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आप मानव जीवन को रोजमर्रा की दवायें आदि उपलब्ध करने के लिये इनकी व्यवस्था ठीक की जानी चाहिये। इसी प्रकार जो ऐनम केन्द्र हैं, उसके लिये मैं बल देना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उन सेन्टरों पर सभी कर्मचारियों को उपस्थित होना चाहिये। इसी तरह माध्यवर, आपने जो अस्पतालों के लिये कमेटियां बनायी हैं, यह कमेटियां प्रभावी रूप से काम करें। इस प्रदेश में तमाम ऐसे अस्पताल हैं, जहां पर डाक्टर नहीं हैं, तथा जो सुविधायें लोगों को अस्पतालों से प्राप्त होनी चाहिये और जिनके लिये इस सरकार ने प्रयास किया है, वह उपलब्ध नहीं हो रही हैं। माध्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जिन अस्पतालों में मेडिकल कालेजों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद डाक्टर्स पहाड़ी व ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिये सरकार वहां पर ऐसा माहौल पैदा करे जिससे वह पहाड़ी क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पसन्द करें। मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कानपुर देहात के सी0 एम0 ओ0 के आफिस में विगत 8 महीने से 6 गाड़ियां पड़ी हुई हैं, ड्राइवर न होने के कारण उन गाड़ियों का उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिये उन गाड़ियों को चलवाने के लिए ड्राइवरों की व्यवस्था की जाय। कानपुर देहात के चौबे विधान सभा क्षेत्र में 25 शैय्या वाला एक अस्पताल खोलने की मांग करें। इन्हीं शब्दों के साथ उत्तर प्रदेश के इस क्रान्तिकारी बजट को जो श्रीमती मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में आपने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

डाक्टर विनेश चौहरी—]

माध्यवर, आपने वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मच्छर न होने की बात कर रहे थे। आज मच्छरों की तरफ फर्जी डाक्टर बढ़ रहे हैं, जिनके बारे में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। आज ये फर्जी डाक्टर किसी डाक्टर के यहां कुछ साल काम करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। इन्सेफिलाइटिस रोग [illegible] आज का विषय कुछ नहीं कर रहा है। फर्जी डाक्टरों की तरह फर्जी [illegible] मार्केट में बिक रही हैं। 50 परसेन्ट फर्जी दवाइयां मार्केट में बिकती हैं। अभी 11 [illegible] को पोलोमीन में छापा मारा गया तो लाखों लाख रुपए की फर्जी दवाइयां 4 [illegible] स्टोर से पकड़ी गईं। तो ऐसी अवस्था में आप कैसे सन् 2000 तक सभी को [illegible] सेवायें मुहैया करवा पायेंगे। परिवार कल्याण के विषय में आपने बात कही

मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो भी नशबन्दी हो रही है, उसमें अधिकांश फर्जी हैं। 25 साल पूर्व जो जन्म दर थी, वही आज भी है। आपके जो लाबी में बैठे हुए सीनियर आफिसर हैं, वे अपने दिल में हाथ रख कर कहें कि ये फर्जी हैं कि नहीं। सारी फर्जी नसबन्दियां हो रही हैं। कापर टी को जहां तक बात है, आज 98 परसेन्ट फर्जी हैं। आपके कर्मचारी उन फार्मों में अपने हाथ व पैर की अंगुलियां लगा देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप हर विधान सभा क्षेत्र का सी0एम0ओ0 के साथ 10-10 केसों को वैरीफाई कर लें तो आप पायेंगे कि 50 परसेन्ट फर्जी नसबन्दियां हुई हैं। आप प्रदेश में सीनियर मेडिकल आफिसरों के पद रिक्त पड़े हुये हैं, उन्हें भरा नहीं जा रहा है। लखनऊ, कानपुर और बरेली में ज्वाइन्ट डायरेक्टर व सी0एम0 ओ0 आदि सीनियर आफिसर के पद रिक्त पड़े हुये हैं, उन्हें नहीं भरा जा रहा है। क्या आपके प्रदेश में पढ़े-लिखे डाक्टर्स की कमी हो गई है सी0 एम0 ओ0 का काम डिप्टी सी0 एम0 ओ0 देख रहा है। आप इसे देखें और स्थानों को भरें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 799 पद सीनियर डाक्टर्स के सृजित किये थे, किन्तु आज 6 महीने हो गये हैं, उन्हें भरा नहीं जा रहा है, इसके क्या कारण हैं ?

अभी माननीय बरार जी का प्रश्न था बरेली के विषय में 500 बिस्तर वाले अस्पताल के विषय में। बरेली क्षेत्र पूरा, जो पहले रुहेलखण्ड मण्डल होता था, पहले मेडिकल कालेज नहीं बना, बाद में बरेली और मुरादाबाद मण्डल हो गया। आपने कहा कि 500 शैय्या का अस्पताल बनेगा, लेकिन अभी तक उसके लिये आप जमीन भी नहीं ले पाये। आपने कहा था कि जमीन ढुंढवा रहे हैं, लेकिन परसों डी0 एम0 बरेली से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आर्डर नहीं है। आपने कहा था कि अप्रैल में चलेंगे जमीन ढुंढवायेंगे। मुझे बतायें कब चल रहे हैं।

जहां तक इल्जाम लगाया जाता है कि डाक्टर्स गांव में नहीं जाते हैं, पहाड़ पर नहीं जाते हैं, आप मुझे बता दें आपने उनको क्या सुविधा दी है वहां पर जाने के लिये ? क्या आपने उनको रहने के लिये घर दिया है ? जहां आपने उनको घर दिया है रहने के लिये, वहां वे चले जाते हैं। आप चाहते हैं कि डाक्टर अपनी पोस्टिंग की जगह से 30-40 मील दूर रहे, तो वह कैसे रहेगा ? उनको आप रहने की जगह दीजिये। जब तक जगह नहीं देंगे, चाहे जितने डाक्टर पोस्ट कर दें, वे गांव में नहीं जायेंगे, पहाड़ पर नहीं जायेंगे।

जहां तक आपने प्रदेश को सन् 2000 तक पूर्ण स्वास्थ्य दिलाने की बात की है, जब तक आप फर्जी डाक्टर और फर्जी नसबन्दी पर पाबन्दी नहीं लगायेंगे तब तक आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम फेल हो जायगा। इन्हीं शब्दों के साथ, स्वास्थ्य विभाग पर रखे कटौती प्रस्ताव पर फिर से बल देता हूं।

श्री सुरेश चन्द्र—

माननीय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र खटीमा के विकास खण्ड ओखल काण्डा के ग्राम गड़गड़ी के सिरायल खुटका के माध्यम एक 22 बेड के हास्पिटल की मांग चली आ रही है। मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां जनहित में एक 22 बेड हास्पिटल खोला जाय। दूसरी बात पहाड़ों में जब भी हम क्षेत्रीय दौरा करते हैं, प्रत्येक ब्लाक में डाक्टरों की कमी है। जब माननीय मंत्री जी से मिलते हैं तो कहते हैं कि भेज रहे हैं लेकिन 4 साल बाद भी अभी तक वहां पर पूरे डाक्टर्स नहीं गये हैं। निवेदन करता हूं कि डाक्टरों की शीघ्र नियुक्ति की जाय और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़े तो अतिरिक्त धनराशि दी जाय।

गांव में चलते-फिरते डाक्टरों की टीम भेजी जाय ताकि जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उनको प्राइमरी स्टेज पर रोका जा सके।

प्रत्येक ब्लाक में एक बड़ा अस्पताल खोला जाय और उसमें पूरी सुविधायें हों। अगर हड्डी टूट जाती है तो मरीज को बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ता है।

प्रत्येक अस्पताल में खास तौर से सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय। आज सफाई पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है।

फेमली प्लानिंग की ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया है, जिसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि जो मोटिवेटर्स का काम करते हैं चाहे ग्राम प्रधान हों, ब्लाक प्रमुख हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, उनका इनाम जिलाधिकारी से जाते हैं। मैं निवेदन करता हूं और मांग करता हूं जो कार्यकर्ता इस काम को करता है, उसको इनाम दिया जाय। यहां पर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष के कटौती के प्रस्ताव का डट कर विरोध करता हूं।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग के बजट में अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्र बुन्देलखण्ड की उपेक्षा की गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड की स्थिति और परिस्थिति वैसी ही है जैसी कि स्थिति और परिस्थिति पर्वतीय क्षेत्र की है। इसलिये पर्वतीय क्षेत्रों की ही भांति बुन्देलखण्ड को भी चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाय। आपके पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय लोकपति त्रिपाठी जी थे उन्होंने स्वीकार किया था कि बुन्देलखण्ड अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर उच्चीकृत चिकित्सालय स्थापित किये जायं। हर हेड क्वार्टर पर चिकित्सा के लिये एक एलोपैथिक अस्पताल होना चाहिये।

मान्यवर, बांदा में अतरी एक बहुत बड़ा कस्बा है। जहां करीब 60 या 70 हजार की आबादी है। वहां प्रति वर्ष एलोपैथिक अस्पताल को केवल 7-8 हजार रुपए का बजट दिया जाता है दवाइयों क्रय करने के लिये, जो कि बहुत ही कम है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उस कस्बे के अस्पताल को उच्चीकृत किया जाय। इसी तरह से नरैनी अस्पताल को, फतेहगंज अस्पताल को उच्चीकृत किया जाय। बांदा से झांसी और इलाहाबाद में 200-200 कि0 मी0 की दूरी है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि बांदा मुख्यालय में सिविल अस्पताल को 500 शैय्या का अस्पताल बनाया जाय।

एक बात और कहना चाहूंगा कि ए0 एन0 एम0 सेन्टर के जो उप केन्द्र हैं वहां ए0 एन0 एम0 माँ गांव में नहीं जाती हैं। अगर इनके बारे में सी0 एम0 ओ0 से शिकायत की जाय तो वे कहते हैं कि मैंने उनकी उपस्थिति के बारे में प्रभारी डाक्टर से वेरीफाई करा लिया है। इसलिये मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि जिन गांवों में ऐसे उप केन्द्र हैं वहां के ए0 एन0 एम0 की उपस्थिति का वेरीफिकेशन ग्राम प्रधान से कराया जाय। जब ग्राम प्रधान वहां पर उनकी उपस्थिति का वेरीफिकेशन दे तभी उनको वेतन दिया जाय।

इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि आपने जो डाक्टरों के अटैचमेन्ट की नीति बनायी है कि उनका एप्वाइन्टमेन्ट कहीं और होता है और वे अटैचमेन्ट अपना कहीं और करवा लेते हैं। उनको वेतन कहीं से मिलता है और वे पढ़ाते-लिखाते कहीं और हैं। इसी तरह से आयुर्वेदिक अस्पताल के डाक्टर अपना अटैचमेन्ट किसी न किसी कालेज में करवा लेते हैं इससे वहां चिकित्सा की सुविधा नहीं प्राप्त हो पाती है। इसलिये इस प्रकार की नीति को समाप्त किया जाय और

जहां पर डाक्टर की कांस्टेंट हो, वहीं पर उसे नियुक्त रखा जाय। इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं जो छात्र आयुर्वेदिक कालेजों में एडमीशन लेते हैं और इनको जो स्थानान्तरण की नीति है कि किसी एक छात्र का किसी कॉलेज में [illegible] हुआ, फिर वह किसी दूसरे अच्छे कालेज में अपना स्थानान्तरण करा लेते हैं इससे होता यह है कि एक कालेज की संख्या तो बहुत कम हो जाती है और दूसरे कालेज की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तो जिस कालेज में संख्या कम हो जाती है, वह कभी-कभी टूटने के करीब पहुंच जाता है। इसलिये इस व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिये।

दूसरे मान्यवर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के आयुर्वेदिक डाक्टरों की वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति कर प्रभारी अधिकारी बनाया जाये। 'थर्ड मेडिकल आफिसर' जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हैं, उनकी भी वरिष्ठता के आधार पर मेडिकल इन्चार्ज बनाते हुये मेडिकल लोगों के राईट्स और उसी प्रकार से कार्यों का बंटवारा समान रूप से किया जाये। अतरौ आयुर्वेदिक कालेज का फार्मेसी बिल्कुल बंद पड़ा है। जबकि वहां पर आज से कई साल पहले नयी-नयी मशीनें खरीदी गयीं थीं जो बेकार होकर सड़ रही हैं और इस प्रकार से सरकार का लाखों रुपया का धन बर्बाद हो रहा है। साथ ही मान्यवर, अतरौ आयुर्वेदिक कालेज आज कल अपराधियों का एक अड्डा सा बन गया है, वहां पर अपराधियों को पनाह दी जा रही है और कालेज का प्राचार्य कभी आता नहीं है, मात्र एक साल के लिये उसकी प्रतिनियुक्ति हुयी थी, जबकि यह प्राचार्य की योग्यता भी नहीं रखते हैं और यही नहीं यह प्राइवेट [illegible] कम्पनियों के स्वयं फर्जी बिल बनाकर स्वयं भुगतान कर लेते हैं। दूसरे मान्यवर कोल के कार्णावर में ऐतिहासिक दुर्ग में जड़ी-बूटियों की उपलब्धि को देखते हुये एक हर्बोरियम का आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान खोला जाये, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात को समाप्त कर ता हूं।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा रखे गये जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के बजट के समर्थन में बोलने का जो अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं।

मान्यवर, आजादी के बाद इस देश के अन्दर उत्तर प्रदेश एक ऐसा पिछड़ा हुआ प्रदेश था, जो गरीबी के तथा अपने पिछड़ेपन के कारण स्वास्थ्य की प्रदेश की जनता का अन्य प्रदेश की अपेक्षा भी उसका स्तर काफी गिरा हुआ था। ऐसी स्थिति में आजादी के बाद जो हमारे देश में, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में जो मृत्यु दर थी, वह भी करीब एक हजार पर 20 व्यक्तियों की थी, परन्तु 1986 तक हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने और माननीय मंत्री जी की कुशलता के कारण हमारे प्रदेश की मृत्यु दर काफी घटी, जो एक हजार पर मात्र 14.6 ही रह गयी। इस प्रकार से निश्चित रूप से लगता है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने अपने कुशल कार्यों के कारण प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य में काफी वृद्धि की जो प्रदेश की जनता के लिये एक उपलब्धि है।

मान्यवर, किसी भी देश व प्रदेश की समृद्धता और प्रगति का अंदाज वहां की जनता के स्वास्थ्य को देखकर लगाया जा सकता है, मान्यवर यह प्रदेश गरीबों का प्रदेश है जब तक गांवों व शहरों में बसने वाले गरीब मजदूरों और किसानों का स्वास्थ्य बेहतर न होगा जो इस प्रदेश की बुनियाद हैं, तब तक हम समझते हैं कि हम अच्छी तरह से चतुर्मुखी प्रगतिशील विकास प्रदेश का नहीं कर सकते हैं, आज हमारे पंडित माननीय गोपी नाथ दीक्षित जी ने जो अपना बहुमूल्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का बजट रखा है, यह निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व बजट है और प्रदेश की बेहतरी के लिये ही रखा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इनके कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मृत्यु दर 1986 में घटकर 14.6 से बढ़कर 1986 से 1991 तक करीब 58.6 हो गयी। तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का यह स्वास्थ्य विभाग की अभूतपूर्व उपलब्धि है और इस प्रकार से आज प्रदेश का स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा हुआ है, इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। और मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहूंगा कि उस तरफ के साथियों से जो विपक्ष में बैठे हुये हैं

और माननीय वर्मा जी से जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, ऐसा लगता है कि उनका लोगों के स्वास्थ्य वृद्धि की ओर ध्यान नहीं गया जिससे उन्होंने प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के विरुद्ध कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसको न रखकर उनसे आग्रह करते कि उनको यह कहना चाहिये कि स्वास्थ्य का बजट बढ़ा दिया जाये, प्रदेश के अन्दर जिससे स्वास्थ्य की सुविधायें ग्रामीणों तक और पहुंचती। अगर उनका लगाव प्रदेश के गरीब लोगों के स्वास्थ्य के प्रति होता तो वह कटौती के प्रस्ताव को न रखकर इस बजट का समर्थन करते।

माननीय सदस्य, अब में, इलाहाबाद जनपद के अपने क्षेत्र सिराथू के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। हमारा यह क्षेत्र इलाहाबाद जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहां पर तहसील स्तर पर तीस शैय्या का कोई अस्पताल नहीं है, जिससे वहां के ग्रामीण जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि सिराथू तहसील पर एक 30 शैय्या का अस्पताल इसी बजट सत्र में बनवायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः—

माननीय सदस्य अपनी बात को समाप्त करें। अगर और कुछ कहना हो तो मेज पर लिखकर दे दें।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम लाल—

माननीय, एक मिनट और दे दें। एक दूसरी और बात कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के जितने भी डाक्टर हैं, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगनी चाहिये, जिससे गरीब लोगों की चिकित्सा ठीक प्रकार से हो सके। क्योंकि प्रायः डाक्टर अस्पताल में कार्य न करके घर पर नर्सिंग होम में कार्य करते हैं इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्षता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। माननीय, माननीय वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करता हूं। माननीय, जब से माननीय मंत्री ने गृह विभाग को छोड़ा है और स्वास्थ्य विभाग में आये हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया है, लेकिन उनके बल पर सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है और आने वाले 8–10 महीने उनके स्वास्थ्य के लिये निर्णायक सिद्ध होंगे। अभी कई माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग के बारे में अपने-अपने विचार व्यक्त किये और उनको मैंने बड़े गौर से सुना। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति आय पर कितना पैसा इस सरकार द्वारा किया जा रहा है और कितना पैसा अंग्रेजों द्वारा किया जाता था, जब उनका शासन यहां पर था। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। सारे देश में सबसे बदकिस्मत उत्तर प्रदेश ही है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिये सबसे कम पैसा दिया जाता है। यह हमारे लिये बड़े लज्जा की बात है। हम अपेक्षा करते थे कि जो बजट आयेगा, उसके द्वारा माननीय मंत्री जी उदारतापूर्वक गरीबों के लिये अधिक पैसा अर्पण करेंगे। इसके साथ ही साथ दूसरा प्रश्न है कि जो पैसा दिया जा रहा है, वह क्या गरीबों तक पहुंच रहा है। इसकी क्या गारन्टी है?? इस बात की क्या गारन्टी है कि जो झुग्गी और झोपड़ी में रहता है, उस तक दवा पहुंचेगी, उस तक एक डिक्लेड पहुंचेगी, जो अपनी गरीबी के कारण इलाज नहीं करा पाता है और अपना दम

तोड़ रहा हूं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पैसे का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है । पैसा शहरों में खर्च किया जा रहा है, जिनकी जिन्दगी सुविधाजनक है, उनको और ज्यादा अच्छी चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है ।

अब मैं मान्यवर, परिवार नियोजन के बारे में कहना चाहता हूं । यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिये, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो इस कार्यक्रम के लिये दूसरे विभागों राजस्व, पुलिस, शिक्षा आदि का सहारा लिया जा रहा है, वह ठीक नहीं है । आप का स्वास्थ्य विभाग इसको करे, चाहे आपको स्टाफ बढ़ाना ही क्यों न पड़े । लेकिन इसको आप अपने विभाग से करवायें । अगर आप दूसरे विभाग से इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करेंगे तो यह कार्यक्रम कल्याणकारी कार्यक्रम न होकर अकल्याणकारी कार्यक्रम हो जायेगा और कोई ताज्जुब नहीं कि पिछले दिनों की तरह यहां पर इमरजेन्सी दुहराई जाय । मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इसकी आप जांच करवा लें । आपसे पूर्व के मुख्य मंत्री बीर बहादुर सिंह की कांस्टीटुयेन्सी मेरे क्षेत्र के बगल की है, पनियरा में परिवार नियोजन के नाम पर जो संख्या दिखाई गई है वह 90 प्रतिशत फर्जी है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र की सीमा पर एक पड़तावल गांव है वहां पर 16 नसबन्दी हुई हैं । एक भी सही नसबन्दी नहीं हुई है । इससे क्या होता है ? आपकी सरकार की छवि धूमिल होती है । सारे पनियरा के आंकड़े फर्जी हैं । जनता की निगाह हमसे और आपसे बड़ी दूर तक जाती है । जनता ने स्वीकार कर लिया है कि यह परिवार नियोजन का कार्यक्रम केवल फर्जी कार्यक्रमों का पुलिन्दा है वास्तविकता से परे है । इसलिये मेरा आग्रह है कि आप अपने विभाग में स्टाफ को बढ़ा कर उन्हें जिम्मेदारी देकर कार्यक्रम को चलावें, उसे लागू करें । इसके लिये हमारा सहयोग आपके साथ है ।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं । जनता शासन ने एक निर्णय लिया था और वह यह था कि प्रत्येक तहसील केन्द्र पर एक महिला अस्पताल हम खुलवायेंगे । वह सरकार चली गई । उसके निर्णय अपनी जगह पर हैं । हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि जब आप उत्तर भाषण दें तो प्रदेश के अन्दर अगर ब्लाक स्तर पर नहीं कर सकते हैं तो तहसील स्तर पर एक महिला अस्पताल खुलवाने की आप घोषणा करें । प्रदेश की जनता और खास तौर से महिलायें आपको याद करेंगी ।

मैं आपका ध्यान गोरखपुर मेडिकल कालेज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । आज जो भयावह स्थिति उस मेडिकल कालेज की है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है । हमें जानकारी है कि आप स्वयं वहां गये थे । वह क्षेत्र पूर्वांचल और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है । यह मेडिकल कालेज जो वहां के लोगों के लिये एक आशा का स्रोत बना हुआ था, जिस उद्देश्य से उसकी स्थापना हुई थी, उसे देखकर बड़ी निराशा होती है (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, कुछ तो कृपा हमारे ऊपर करें । दो मिनट का समय और दे दें । मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि वहां पर एक न्यूरोलोजी डिपार्टमेंट खोला गया है, बहुत अच्छी बात है । लेकिन इस विभाग के लिये जो उपकरण होने चाहिये, जो औजार आदि होने चाहिये, वह नहीं दिये गये हैं । इसलिये मेरा आग्रह है कि आप उसे इनकी व्यवस्था करा दें । उसकी एक लम्बी सूची है जिसके बारे में बार-बार डिपार्टमेन्ट को और शासन को लिखा जा रहा है लेकिन उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है । अतः आप इस पर भी ध्यान दें ।

मान्यवर, बिहार हमारे पूर्वांचल से लगा हुआ प्रदेश है । दोनों प्रदेशों के लोग गरीब हैं । उत्तर प्रदेश के जो लोग बिहार से ट्रेनिंग करके आते हैं, सस्ती शिक्षा प्राप्त करके वहां से आते हैं उन पर आपने बंदिश लगा दी है कि ऐसे लोगों को यहां पर सेवा का अवसर नहीं देंगे । बिहार भी इसी देश का एक अंग है । बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं है । अगर आप समझते

हैं कि बिहार की डिग्री फर्जी है तो उत्तर प्रदेश में भी फर्जी डिग्रियां मिलती हैं। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिये। सारे लोगों के लिये आप यह नियम बना देंगे तो यह ठीक बात नहीं है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आप उपेक्षापूर्ण तरीके से अस्पतालों को न खुलवायें। मेरा निवेदन है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र घुघली में 5 लाख रुपया मुफ्त में दिया है भवन निर्माण के लिये। भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने और स्वास्थ्य मंत्री ने इस हेतु आदेश भी दे दिये थे। वहां पर शासन जो भवन बना रहा है उसमें कुछ राजनीतिक दबाव आ गया है। अगर आपका स्वास्थ्य विभाग इस तरह से काम करेगा तो वास्तव में जो आपकी मंशा है वह पूरी नहीं होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों को आप रिक्रूट करते हैं, स डाक्टर जौहरी की इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूं, उन्हें आप देहातों में काम करने के लिये कम्पलसरी करा दें कि वह देहातों में काम करेंगे। आप देहातों में अस्पताल खुलवा दें और उनको कम्पलसरी करवा दें। जिसको गर्ज होगी वह आपकी सेवा में आयेगा और जिसको गर्ज नहीं होगी वह नहीं आयेगा। अगर वहां पर उनकी सेवा 5 वर्ष के लिये कम्पलसरी नहीं करेंगे तो देहात के अस्पताल डाक्टर विहीन हो जायेंगे। श्रीमन्, मैं ज्यादा न कह कर इतना ही निवेदन करूंगा कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उनको आप अमल में लायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर मैं बल देता हूं।

श्रीमती शशि शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करती हूं और माननीय वर्मा जी से अनुरोध करती हूं कि वे इस कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें। मान्यवर, स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है जब भी हम बीमार पड़ते हैं या आखिरी समय जब आता है तो हम डाक्टर को याद करते हैं या फिर ईश्वर को याद करते हैं तो उस मेडिकल इथिक्स को लेकर हमारे डाक्टर निरन्तर कार्य करते हैं। इस कल्याणकारी कार्य को आगे बढ़ाने के लिये प्रत्येक जिला और तहसील स्तर पर अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं और उनके माध्यम से लोगों की सेवा करने का जाल बिछाया गया है जिससे प्रत्येक गरीब परिवार तक स्वास्थ्य सेवायें पहुंच सकें और उनको स्वस्थ्य रखने का प्रयास किया जा रहा है। जो 22 करोड़ 80 लाख का बजट मेडिकल कालेज को दिया गया है इसमें मंत्री जी ने बताया कि 20 करोड़ संजय गांधी मेडिकल इन्स्टीट्यूट को दिया गया है। यह गौरव का विषय है कि जहां पहले हमें दिल्ली, बम्बई और मद्रास इलाज के लिये जाना पड़ता था आज उन दुरूह बीमारियों का इलाज इस संजय गांधी इन्स्टीट्यूट में होगा। यह एक प्रोस्टिजियस संस्थान खोला गया है यहां पर कंप्यूटराइज फाइन एपेक्स बाडी से काम हो रहा है। इसके लिये मैं उनको बधाई देती हूं और हाइ टेक्नालाजी के द्वारा यहां पर दुरूह रोगों का इलाज करने का प्रयास किया गया है। हमारे जो मेडिकल कालेज हैं उनका भी बीमारियों में बहुत अहम रोल है और सारे मरीज इन मेडिकल कालेजेज तक ही पहुंचते हैं, इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंचते हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि यह जो 2 करोड़ 80 लाख का बाकी है इस धनराशि को बढ़ाया जाय ताकि मेडिकल कालेजेज वेल इक्यूप्ड हो सकें।

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं कि यहां पर हृदय रोग की ओपन हार्ट सर्जरी की व्यवस्था की गयी है और लखनऊ, इलाहाबाद में होल बाडी स्कैनिंग की व्यवस्था भी की गयी है। इसी तरह से मेडिकल कालेज में गेस्ट्रो इंट्रोलाजी की भी व्यवस्था की गयी है इसके लिये मैं उनको बधाई देती हूं।

इसके साथ ही बाल चिकित्सा और महिला रोगियों के लिये के0 जी0 मेडिकल कालेज के क्वीन मेरी में इम्फैंटलिटी क्लीनिक खोला गया है। इसके लिये भी मैं उनको बधाई देना चाहती हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें। एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती शशि शर्मा—

दवाओं की जो पर्चेज पालिसी है उसको भी ठीक करना होगा । लाइफ सेविंग ड्रग्स को सस्ता से उपलब्ध कराने के लिये भी पर्चेज पालिसी को सही बनाना होगा ।

श्री अध्यक्षाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती शशि शर्मा—

आउट डेटेड ड्रग्स न खरीदी जाय । इसके अलावा कहना चाहती हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर । फोग स्प्रेइंग द्वारा मच्छरों को मारने की व्यवस्था की जाय ।

श्री अध्यक्षाता—

अब आप बैठें ।

श्रीमती शशि शर्मा—

हमारे यहां इंसेफलाइटिस की बीमारी फैल रही है इसको रोकने की व्यवस्था की जाय । अन्त में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहना चाहती हूं कि हमारे यहां फाजिलनगर में पी० एच० सी० में महिला डाक्टर की नियुक्ति की मांग मैं बहुत समय से कर रही हूं इसलिये मेरा अनुरोध है कि एक महिला डाक्टर वहां नियुक्त की जाय ।

इसी तरह अमहीं (पुदहीं) में स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर नहीं जाते हैं । मैं अनुरोध करूंगी कि वहां डाक्टर की व्यवस्था की जाय । मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देती हूं कि उन्होंने एक जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है और माननीय वर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वह अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के साथ-साथ प्रदेश के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिये अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री फारस नाथ यादव—

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, स्वास्थ्य ही धन है और जो इन्सान स्वस्थ है वह सही चिन्तन करके समाज का कल्याण कर सकता है । यह प्रदेश गांवों का प्रदेश है और यहां की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है । 40–41 वर्षों की आजादी के बाद सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वह हर इन्सान को स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करे लेकिन आज तक दुर्भाग्य है कि सरकार सही ढंग से हर इन्सान को यह चीज नहीं दे पायी है और गांव में रहने वालों की जिन्दगी ऐसी है जैसी कि एक मच्छर की होती है । हमारी माताओं को प्रसव के समय में जो परेशानी उठानी पड़ती है वह सभी को पता है ।

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री बजट पेश करते समय कह रहे थे कि 5 हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का हमने निर्णय लिया है । मानता हूं कि वह खोल रहे हैं लेकिन वह किराये के मकानों में खोले जा रहे हैं जहां डाक्टर जाना पसन्द नहीं करते हैं । कम्पाउन्डर जाता है तो वह जानवरों की तरह एक कोठरी में बैठकर रह जाता है । जब एक डाक्टर और एक कर्मचारी अपने स्वास्थ्य के बारे में उस कोठरी में बैठ कर सोचता है तो वह वहां जाना पसन्द नहीं करता है । तो गांव के व्यक्ति को किस तरह से वहां दवाई उपलब्ध करायी जायेगी यह सोचने का विषय है ।

मान्यवर, अब मैं मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद की ओर आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि 1985 से 1988 तक 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं जो गांव से किलो के

एक-एक कमरे में चलाये जा रहे हैं। इसलिये वहां कम्पाउन्डर है तो नर्स नहीं और नर्स है तो कम्पाउन्डर नहीं और न वे कायदे से वहां जाते ही हैं। कहा जाता है कि बड़े अधिकारी को 300 रुपये दे दिया करो तुम्हारी हाजिरी लग जावेगी। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में कोचारी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जहां डाक्टर उपलब्ध नहीं रहता है। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भवनहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1985-86 से खुले हैं, उनके भवन बनाने की योजना मंत्री जी ने नहीं बताया है, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि जो भवन विहीन अस्पताल खुले हैं उनके भवन बनाये जायं। डाक्टरों और कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था की जाये जिससे गांवों में वह जा सकें। गांव में जाने वाले डाक्टर को अतिरिक्त सुविधा दें जिससे वह वहां जायं।

मान्यवर, अब मैं मंत्री जी का ध्यान परिवार कल्याण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह परिवार कल्याण कार्यक्रम जिस तरह से आप चला रहे हैं उससे लगता है कि यह आपका फर्जी आंकड़ा केवल इनाम और पारितोषिक लेने के लिये है। परिवार कल्याण में जो लोग काम करते हैं और राजस्व विभाग के लोग लोगों को लालच देकर आपरेशन कराते हैं और फर्जी आंकड़े दे देते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 30 शैय्याओं वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरसठी में खोल करके जनता को राहत पहुंचायें। जहां 1986 में प्रस्ताव आ चुका है इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

श्री अवधेश राय शास्त्री—

अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं। प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य की समृद्धि को ध्यान में रखते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कल्याणकारी बजट रखा है, उसका मैं समर्थन कर रहा हूं और विपक्ष की ओर से वर्मा जी ने जो कटौती का बजट रखा है, उसका मैं विरोध कर रहा हूं। देश की आजादी के बाद स्वास्थ्य में जितनी प्रगति हुई है, वह कहने से न तो व्यक्त ही हो पा रहा है, लेकिन प्रगति काफी हुई है। देखा जाय तो देश के विकास और प्रगति के स्वास्थ्य को देखकर ही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि देश में कितनी प्रगति हुई है। साथ ही साथ गाजीपुर जनपद के दिलदार नगर विधान सभा क्षेत्र की ओर मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में एक गहमर गांव है, जिसकी आबादी 40 हजार के लगभग है और वहां के 10 हजार लोग आर्मी में गए हैं, लेकिन जो अस्पताल वहां बना हुआ है, उसकी बिल्डिंग बड़ी बुरी हालत में है। वहां न दवा है, न किसी तरह की व्यवस्था है और वहां मरीजों के पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है और न विद्युत् की व्यवस्था है। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां विद्युत् की व्यवस्था की जाए और मरीजों के पीने के पानी की व्यवस्था करायें। साथ ही साथ, स्वास्थ्य मंत्री जी दिसम्बर माह में गाजीपुर में गए हुए थे, वहां उतरौली एक गांव है, जहां पर 10 लाख रुपये में 84 में एक बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन वहां आज तक कोई डाक्टर नहीं है।

मैं अपने शहीदों के गांव शेरपुर की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वहां एक उच्चीकृत अस्पताल है, लेकिन वहां न डाक्टर है, दवाई की कमी है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वहां वह बिल्डिंग बनवा दें, ताकि शहीदों की आत्माओं को शान्ति मिल सके साथ ही साथ, हमारे यहां रेवतीपुर गांव है जहां ब्लाक भी है वहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जहां 10 बेड्स हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि वहां कम से कम 30 बेड्स करा दें।

साथ ही साथ बगसर में एक छोटा-मोटा अस्पताल है, उसकी ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसकी बिल्डिंग बुरी हालत में है बिल्डिंग आप बनवायें। जिला नियोजन समिति में हम लोगों को बताया जाता है कि शासन से धन लेने के लिए

स्वीकृति आ गई है, लेकिन जब हम अधिकारी से यह कहते हैं तो उसपर ध्यान नहीं दिया जाता है। धन्यवाद।

श्रीमती विजय लक्ष्मी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वास्थ्य जैसे विशिष्ट विभाग और अति उत्तम और जनहित में शरीर को स्वस्थ रखने के लिये उसे उपयोगी विभाग पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। मैं स्वास्थ्य विभाग के बजट में चन्द सुझाव देना चाहती हूं, जो स्वास्थ्य मंत्री जी भूल गये हैं। मान्यवर, मैं जनपद बलिया के बांसडीह विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, जो आपकी तहसील मुख्यालय भी है, टाउन एरिया भी है जहां की आबादी लगभग 30 हजार होगी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह इलाका बहुत ही उपेक्षित और घाघरा के कटान से निरीह है वहां सारे इलाके के लिये कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की योजना नहीं है। इसके लिये मैं गोपालनगर और वशिष्ठ नगर दो गांव के नाम देती हूं। मान्यवर जिला अस्पतालों पर निर्बल और गरीब वर्ग के भाई-जो हैं उनकी दवा और मामूली मरहम पट्टी जो होती है उन अस्पतालों में कहा जाता है कि हमारे पास स्टाक नहीं है तुम बाजार से दवा खरीद कर लाओ, तो इस पर आपके स्तर से कड़े निर्देश दिए जायं। जिनके लिए आपने विशेष संस्था खोल रखी है उनको विशेष उपचार और सहायता दी जाय। मान्यवर, मेरा कहना है कि होम्योपैथिक को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिये। बच्चों को इसकी खुराक की ज्यादा जरूरत है बच्चों के लिये यह ज्यादा कारगर है। शिशु कल्याण और मातृ कल्याण की जितनी पुस्तिकें हैं उनको जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां से वितरित की जानी चाहिए इससे गांव-गांव में शिशु कल्याण और परिवार कल्याण के बारे में उनको शिक्षा मिलेगी और सुझाव मिलेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट में अपनी बात खत्म करें।

श्रीमती विजय लक्ष्मी—

मान्यवर, पिछले वर्षों में प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाया गया था उस प्रतिबन्ध को फिर हटा दिया गया मेरी मंशा है कि उस प्रतिबन्ध को फिर से लगा दिया जाए ताकि जिला अस्पतालों में डाक्टर ध्यान लगाकर मरीजों की सेवा करें और समय से अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हों। अन्त में मान्यवर आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि विभाग में नर्स, वार्ड ब्वाय और दाइयों की नियुक्ति का अगर और प्रविधान हो जाए तो थोड़ी सी बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जायगी इसी भावना के साथ धर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूं।

श्री हनुमान प्रसाद पुरोहित—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है यह बहुत ही बढ़िया बजट है मैं कहना चाहूंगा कि आज होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक तमाम अस्पतालों की आवश्यकता है विभाग की तरफ से गांव-गांव में अस्पतालों को खोला जा रहा है। स्वास्थ्य और चिकित्सा का अच्छा इन्तजाम किया जा रहा है। मान्यवर, शासन की एक नीति है तहसील हेड क्वार्टर पर उच्चीकृत अस्पताल खोले जायं। मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे क्षेत्र में रसूलाबाद में, जो तहसील भी है वहां उच्चीकृत अस्पताल नहीं है मैं मांग करता हूं कि रसूलाबाद तहसील

में माननीय मंत्री जी उक्तवर्णित अस्पताल खुलवाने की कृपा करें। रसूलाबाद का जो 10 किलोमीटर का एरिया है जहां अस्पताल नहीं है वहां एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक अस्पताल खुलवाने की आवश्यकता है मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो बिसवन का इलाका है बिसवन के इलाके में 10-15 कि० मी० तक कोई अस्पताल नहीं है। वहांपर न आयुर्वेदिक अस्पताल है, न होम्योपैथिक अस्पताल है, न एलोपैथिक अस्पताल है। मैं निवेदन करूंगा कि बिसवन गांव में जल्दी से जल्दी अस्पताल खुलवाया जाय, ताकि वहां पर दुखी पीड़ित जनता और मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। इसी तरीके से हमारे यहां एक किंसती गांव है उसके चारों तरफ 10-12 कि० मीटर क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि किंसती गांव के अस्पताल के लिये भवन देने की व्यवस्था मैं कर चुका हूं। जिला सलाहकार समिति में इस भवन की लिखा-पढ़ी हो चुकी है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि वहां पर जल्द से जल्द अस्पताल खोला जाय ताकि ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसी तरह से मैं कैंसर के बारे में कहना चाहता हूं कि कैंसर के बारे में इस विभाग में बहुत प्रयास हो रहा है लेकिन अफसोस के साथ में यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कानपुर में जो जे० के० कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसका मैं सदस्य हूं, लेकिन आज तक कोई मीटिंग नहीं बुलायी गयी है। वहांपर जितने इंस्ट्रूमेन्ट्स की आवश्यकता है वह भेजे नहीं जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर जिन-जिन दवाओं की और मशीनों की आवश्यकता है उनको मिजवाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और यह जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूं।

(श्री फजलुल बारी नाम पुकारे जाने पर और उनके बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, यह नियम है कि जो व्यक्ति किसी डिपार्टमेन्ट के बजट पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुका हो उसके बोलने के लिए खड़े होने पर उसको छोड़कर चांस दूसरे को मिलना चाहिए। बारी साहब तो कटौती का प्रस्ताव रख चुके हैं।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, राणा जी ने नियमावली के किस नियम के तहत यह सुझाव रखा है, नियमावली या कारण के किस नियम के अन्तर्गत यह सुझाव रखा है ?

मान्यवर, मैं पालिसी पर कोई बात नहीं कर रहा हूं इसलिये कि माननीय वर्मा जी ने पालिसी को किटी साइज किया है।

मान्यवर, मैं समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं। अनेक माननीय सदस्यों ने शिकायतें की हैं, मैं भी मंत्री जी तक कुछ शिकायतें पहुंचाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक तहसील हेड क्वार्टर है, नगरपालिका है लेकिन वहां के अस्पताल का उच्चीकरण आज तक नहीं हुआ है। गोण्डा जिले में उतरौला में जो अस्पताल है वह आज तक पी०एच०सी० के स्टैंडर्ड का है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह डबल स्टैण्डर्ड क्यों ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गोण्डा मुख्यालय पर एक डफरिन अस्पताल है जो औरतों का अस्पताल है उसकी हालत इतनी खराब है कि पता नहीं किस जमाने में वह बना था और उस अस्पताल में जो लैट्रिन बनी हुयी हैं वह महिलाओं के लिये नहीं हैं।

और अनहाइजिनिक हो गये हैं, इसलिये उसका पुरन्त आप इन्तजाम करें, वरना उस अस्पताल में जाकर के ज्यादा बीमारी फैलने का अंदेशा हमेशा बना रहता है । मान्यवर, बलिया की आबादी 30 लाख के करीब है और वहां पर औरतों का अस्पताल इस आबादी की जरूरियत को पूरा करने के लिये नाकाफी है । जो जिला हेडक्वार्टरों पर सिविल अस्पताल हैं, वहां पर बहुत से उपकरण रखे हुये हैं, वह अस्पताल किसी जमाने में 70 बेड का बना हुआ था, लेकिन आज उसके जमाने में, कमरों में वार्डों में, हर तरफ मरीज बिछाये पड़े रहते हैं, वहां पर गंदगी इसलिये रहती है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या अधिक और इन्तजाम बहुत कम है । मान्यवर, वहां पर इन्तजाम ठीक प्रकार से कराने की कृपा करें । मेरा अनुरोध है कि कुछ इस अनुपात से काम होना चाहिये । आखिर में एक बात यह कहना चाहता हूं कि आप दवाइयां मंगवाते हैं, डाक्टर इसमें कमीशन ले लेते हैं, लेकिन हमें इस पर एतराज नहीं है, यह तो कमीशन की परम्परा बनी हुई है, लेकिन दवा बहुत जरूरी चीज है, दवा कम से कम जायज और असली मंगाकर मरीजों को दी जाय । इसी बात के साथ मैं माननीय राम आसरे वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अफसर यू0 अहमद—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये उत्तर प्रदेश के सीमित संसाधनों में से जो उपलब्ध संसाधन थे, उसमें जो स्वास्थ्य विभाग का बजट उन्होंने रखा, उसका मैं मजबूती से समर्थन करता हूं और वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, वह बिलकुल सही है, जिसका विरोध होना ही चाहिये, मैं भी करता हूं । जनस्वास्थ्य के बारे में जिन लोगों ने बातें कही, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता । परिवार नियोजन के बारे में मैं कहना चाहता

(इस समय 6 बजकर 36 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

हूं और सभी माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि यह एक ऐसी राष्ट्रीय समस्या है, जिस पर हम सभी जनप्रतिनिधियों को गौर से सोचना चाहिये । मान्यवर, मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होने के नाते, यह कहना चाहता हूं कि परिवार नियोजन आज के राष्ट्र में सबसे बड़ी आवश्यकता है । इसको सुचारू रूप से लागू करने के लिये मेरी बुद्धि में जो बातें आई हैं, उसे मैं रखना चाहता हूं । मान्यवर, सबसे पहले हमारे प्रदेश में जितने जनप्रतिनिधि हैं, आज के दिन के बाद अगर वे तीन बच्चे से अधिक संतान उत्पन्न करते हैं, चाहे कोई ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे लोक सभा का चुनाव हो या विधान सभा का चुनाव हो, उसमें उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाय । यह मान्यवर, एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें सभी लोग आ जायेंगे जब हम यह जनप्रतिनिधियों पर लागू कर लें, तो हम इसको सरकारी कर्मचारियों, गैर सरकारी कर्मचारियों, अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों, किसानों और प्रदेश की समी सम्मानित जनता के ऊपर लागू कर सकते हैं । मान्यवर, यह बहुत जरूरी है । इसे प्रयोग करके देखा जाय । मान्यवर, इस प्रयोग से अगर लाभ होता है, तो निश्चित रूप से इसका प्रयोग किया जाय । मान्यवर, मैं भारतीय चिकित्सा में विश्वास रखता हूं । मैं इस पर जोर देना चाहूंगा । मैं आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सा पद्धति पर बल देता हूं । उनको आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाय । इनको अतिआधुनिक बनाया जाय और इसके माध्यम से ही प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाया जाय ।

मान्यवर, बस्ती जनपद बहुत ही पिछड़ा जनपद है । वहां पर कोई भी आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय नहीं है । मान्यवर, गोरखपुर मण्डल के पिछड़ेपन को देखते हुये, बस्ती जनपद में और यदि सम्भव हो सके, तो मेहदावल में एक यूनानी और एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय का प्रावधान किया जाय ।

मान्यवर, शल्य चिकित्सा पर भी ध्यान दिया जाय माननीय शिशु कल्याण केन्द्र के जो निरीक्षक और निरीक्षण करने की बात हमारे एक साथी ने कही थी, वह बहुत ही आवश्यक है

निरीक्षण के लिये जन प्रतिनिधियों को पूरा मौका दिया जाय । मान्यवर, पूर्वांचल के लोग बहुत ही गरीब हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है इसलिये पूर्वांचल के अस्पतालों में दवाओं की विशेष व्यवस्था की जाय और खासकर टी0बी0 के मरीजों के लिये, कुष्ठ रोग से पीड़ित मरीजों के लिये और मर्मवती मां बहिनों के कल्याण के लिये। मान्यवर, पूर्वांचल में इनकी विशेष व्यवस्था की जाय । क्योंकि पश्चिम के लोग तो सक्षम हैं सबल हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप अब समाप्त करें ।

श्री अफसर मु0 अहमद—

मान्यवर, डाक्टरों के बारे में कहना चाहता हूं ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ आप बैठें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं । मान्यवर, स्वस्थ्य मानव स्वस्थ्य समाज का निर्माण करता है लेकिन हमारा समाज रुग्ण हो गया है । माननीय मंत्री जी ने 2000 तक सबके स्वास्थ्य की घोषणा की है जो सम्भव नहीं लगता है यही हाल रहा तो सन् 2600 तक कहीं सबकी मौत की खबर न हो जाय ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

[illegible] कितनी बोलने के लिये कहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अनुग्रह नारायण जी को कहा है, अभी आपको बुलाऊंगा 2–2 मिनट सबको [illegible] ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, 2 मिनट में क्या होगा ?

मान्यवर, एलोपैथिक चिकित्सा के सम्बन्ध में हमारे बहुत से साथियों ने काफी बताया ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक मिनट सुन लें । आप जो कह रहे हैं कि 2 मिनट में क्या होगा तो अभी 10–15 लोग बोलने वाले हैं अगर 2–2 मिनट देंगे तो भी काफी समय लग जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, लिखकर दे दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं लिखकर नहीं, सुझाव दे दें ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय, हमारे देश की जो प्राचीन पद्धति रही है आयुर्वेदिक, यूनानी योग और प्राकृतिक योग चिकित्सा केन्द्र, यह नष्ट कर दिये गये और एलोपथिक को बढ़ाया गया माननीय, आप जानते हैं कि पूरी एलोपैथिक इस समय मल्टी नेशनल कम्पनी के खूनी चंगुल में फंसी हुई है । दो पैसे की दवा की बहुत ज्यादा कीमत लेकर इस मुल्क को लूटा जा रहा है । आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी पुरानी पद्धति को जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा है आयुर्वेद और यूनानी है उसको बढ़ाया जाय । माननीय, आज इन पद्धतियों की उपेक्षा की जा रही है । माननीय, रीवर बैंक कालोनी में एक नेशनल कालेज आफ नेचुरोपैथी एण्ड रिसर्च है, केन्द्र सरकार से उसको 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है किन्तु निदेशक केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा नई दिल्ली के द्वारा बार-बार लिखने के बावजूद किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता नहीं दिलायी जा रही है जिससे वह बन्द होने की कगार पर है । इसके लिये गठित समिति ने निरीक्षण करके अभी तक अपनी रिपोर्ट भी नहीं दी है जिसके कारण अवरोध उत्पन्न हो रहा है । माननीय, आयुर्वेद चिकित्सा के निदेशक डा० ए०एस०पी० गुप्ता हैं जो माननीय मंत्री जी के आदेश को भी नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि माननीय मंत्री जी ऐसा आदेश करते ही रहते हैं ।

माननीय, आयुर्वेद दवाओं के सारी घोटालों में भी उनका हाथ है । इसी प्रकार से होम्योपैथी को भी उचित संरक्षण नहीं दिया जा रहा है जो चिकित्सा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत ही अनुकूल साबित हो रही है । माननीय मंत्री जी ने अभी कुम्भ मेले में स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी बड़ाई की । हम लोग तो किसी की बुराई करने के आदी नहीं हैं लेकिन उस सम्बन्ध में 2-3 बातें माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं यह वास्तविकता है वे कुछ लिखी हुई रिपोर्टों पर ध्यान देकर बड़ाई कर रहे हैं ।

तो उसकी गहराई में जाकर जांच करें । माननीय, मैंने और आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल ने संयुक्त रूप से स्वास्थ्य विभाग जांच की । किसी भी अस्पताल में डाक्टर नहीं मिले । कुम्भ मेले की सप्लाई की डेढ़ लाख की दवायें सराय ममरेजगंज करने के अंतर्गत पकड़ी गयीं । कुम्भ मेले के अस्पतालों में जो दवायें बंट रही हैं वे इलाहाबाद हास्पिटल सप्लाई और ई०एस० आई० की हैं । इसी प्रकार से 7 हजार सफाई कर्मचारी नियुक्त किये गये लेकिन सेक्टर मैजिस्ट्रेट और थाने के माध्यम से जांच कराई गयी तो लगभग 3 हजार कर्मचारी (सफाई) पाये गये और उनका भी वेतन आज तक शासनादेश के अनुसार नहीं दिया गया । यह जो कुम्भ मेले में गड़बड़ी हुई है . . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र शर्मा—

माननीय, माननीय मंत्री जी ने प्रदेश में स्वास्थ्य के लिये . .

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय, कुम्भ मेले में जो दवाओं की चोरी और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में घपला हुआ है, मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि जवाब देते निष्पक्षता के लिये उसकी जांच के आदेश देने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र शर्मा—

माननीय, माननीय मंत्री जी ने जन स्वास्थ्य के लिये जो बजट रखा है मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में प्रदेश के गांव और शहरों दोनों में आम जनता के

स्वास्थ्य के लिये जो योजनायें बनाई हैं, निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरठ मेडिकल कालेज की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। माध्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेडिकल कालेजों के लिये एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की घोषणा की है, उससे पूर्व मैं चाहता हूं कि मेरठ मेडिकल कालेज के अन्दर जो पूर्व घोषणा की गयी थी, उसको पूर्ण करने की कृपा करें। मेरठ मेडिकल कालेज में प्राइवेट वार्ड, दो वर्ष पूर्व बने थे साज-सज्जा एक नया ट्यूबवेल और बनाया जाय कर्मचारियों के अभाव में चल नहीं पा रहा है इसके साथ साथ सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो एक करोड़ रुपया देने को कहा गया था, केवल 10-15 लाख रुपये ही दिये गये अतः सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि दी जाय। माध्यवर, मेरठ मेडिकल कालेज दिल्ली के पास का कालेज है। दिल्ली की आबादी का दबाव कम करने के लिये सरकार बराबर प्रयास कर रही है, मैं निवेदन करूंगा कि इस संदर्भ में मेरठ मेडिकल कालेज को सारी साज-सज्जा की सुविधा और तकनीक उपलब्ध कराने की कृपा करें। इसके अलावा माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मेरठ जनपद में बड़ौत की आबादी एक लाख के आस-पास है। जो दिल्ली और मेरठ से दूर पड़ता है। मेरा निवेदन है कि वहां पर महिलाओं का एक अस्पताल खुलवाने की कृपा करें। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि मेरठ मेडिकल कालेज को सभी सुविधायें प्रदान करने की कृपा करें। मैं माननीय वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री मया प्रसाद वर्मा—

माध्यवर, आपने मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

माध्यवर, 18 सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार दिये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां से घर चले जाने की खबर दी है। सबके विचार महत्वपूर्ण हैं। यदि उचित समझें तो माननीय सदस्यगण मुझे लिखकर दे दें तो उनके विचारों को यहां पर कहा हुआ मान लिया जाय, ताकि सबके विचार आ जायं।

श्री मया प्रसाद वर्मा—

माध्यवर, मेरा भाषण शुरू हो गया है। माध्यवर, मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र लखना बिल्कुल बीहड़ में बसा हुआ है। वहां पर एक अस्पताल का भवन है और एक आप गांव है।

श्री उपाध्यक्ष— I

अभी आप लिख कर दे दें तो कार्यवाही का अंग मान लिया जायगा। आप सब मेरी बात सुन लें। अभी आप लिख कर दे देंगे तो वह कार्यवाही का अंग मान लिया जायेगा।†

श्री मया प्रसाद वर्मा—

माध्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि लखना कस्बे में कई सालों से 6 शैय्या का अस्पताल स्वीकृत है, लेकिन अभी बनाना शुरू नहीं किया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि लखना कस्बे में अब से जल्द अस्पताल बनाना शुरू किया जाय। दूसरा यह है कि जो फार्मेसिस्ट ट्रेनिंग करके जाते हैं, उनको 2 साल 3 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है उनका वेतन साधारण कम्पाउन्डर के बराबर है। जो ट्रेनिंग करके फार्मेसिस्ट जाये उसका ग्रेड दूसरा होना चाहिये। इसके अलावा

† सुझावों के लिये देखिये मत्तरी 'घ' आगे पृष्ठ 110 पर।

माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अड़ावा हमारे यहां का सबसे इंटीरियर का गांव है 10 हजार की आबादी का गांव है वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री हरदेव—

मान्यवर, दो मिनट हमें भी सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

जो भी सुझाव हो आप लिख कर के दे दें अभी दे दें, कार्यवाही का अंग मान लेंगे।

(श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री गोपीनाथ वर्मा आदि के खड़े होने पर और यह अनुरोध करने पर कि उन्हें 2-3 मिनट सुन लिया जाय)।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर के दे दें, अब तो बात हो गयी।

श्री सुखपाल पाण्डे—

कल लिखकर के दे देंगे। जल्दी न करें।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यवाही अभी हो सकती है, कल नहीं। कल पर कुछ नहीं होगा जो सुझाव देने हैं लिख कर के अभी दे दें। माननीय गोपीनाथ वर्मा जी मैं कह रहा हूं कि जल्दी लिख कर के दे दीजिये कार्यवाही का अंग हो जायेगा। अब मैंने माननीय राम आसरे वर्मा जी को बुला लिया है, आप लोग बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर जो विचार इस सदन में मेरे कटौती के प्रस्ताव पर प्रकट किये गये हैं उनके लिये मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर पुनः आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, जहां सबको स्वास्थ्य देने की बात कह रहे हैं उसके लिये पूरे प्रदेश में एक जाल जैसा फैला रखा है उप केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का। जो जाल फैला रखा है और उसमें जो स्थिति है इससे सबको स्वास्थ्य मिल जाय मान्यवर यह सम्भव नहीं है। वहां दवायें नहीं होगी डाक्टर नहीं होंगे तो मरीज नहीं जायेंगे यही कारण है कि देहातों से मरीज शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहरों के अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं। स्वास्थ्य समीक्षा में आप ने स्वयं लिखा है "इस निर्णय के फलस्वरूप अस्पतालों में लिये जा रहे शुल्क में वृद्धि की गयी है।" शहरों के अस्पतालों में शुल्क में वृद्धि भी कर दी गयी है। एक तरफ तो आप सबको स्वास्थ्य देने की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ शुल्क में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की कितने मिसालें दूं। यहीं सचिवालय की नाक के नीचे सचिवालय डिस्पेंसरी है वहां की मिसाल अकेली है। 50 लाख की ग्रान्ट वहां दी जाती है और उसमें कितनी हेराफेरी किन तरीकों से हो रही है इसके लिये सचिवालय के कर्मचारी आन्दोलन हो गये हैं। कर्मचारी कह रहे हैं कि यही स्थिति रही तो वह नौबत भी आ जायेगी जिस दिन वह स्वयं इस डिस्पेंसरी में ताला डाल देंगे।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा था मैं उस सिलसिले में बताना चाहूंगा कि वहां पर मनमाने ढंग से अनापशनाप नियुक्तियां की गयी, सामग्रियों की खरीद

करोड़ रुपये की गयी निर्माण कार्य में निरन्तर घटोत्तरी किये जा रहे हैं । मान्यवर, जिस को जब चाहते हैं तब निकाल देते हैं वहां के डायरेक्टर । संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के लिये जब जमीन ली गयी थी कहा गया था कि उस जमीन के बदले में किसान के परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे लेकिन आज तक उन परिवारों में से किसी को नौकरी नहीं दी गयी, जिनकी जमीन उससे ली गयी थी । मान्यवर इनका परिवहन सेल है उसकी तरफ इनका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा डाक्टर जो हैं वह इंजीनियरिंग का काम करें । बरेली में जो रीजनल वर्कशाप है वहां पर डाक्टर ही वाहन की मरम्मत करा रहे हैं जहां पर डाक्टर इंजीनियर का काम करेंगे, यह इंजीनियर नियुक्त नहीं कर पायेंगे, उन्हें लखनऊ से सम्बद्ध रखेंगे, किस तरह से यह काम चलायेंगे । अपने वायदों को कैसे पूरा कर पायेंगे ?

मान्यवर, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालयों की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है । इस समय प्रदेश में आयुर्वेदिक कालेज के अलावा 2 यूनानी चिकित्सालय भी हैं, जिनका स्तर दिन-प्रति दिन गिर रहा है, उनमें गुणात्मक सुधार करने की आवश्यकता है । मंत्री जी द्वारा यह कहा गया कि अनेक चिकित्सालय वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों की देख-रेख में स्थापित किये जायेंगे । इस सम्बन्ध में मैं बल देकर कहना चाहूंगा कि और सुझाव देना चाहूंगा जिसमें सरकार का कोई खास पैसा खर्च नहीं होगा कि प्रदेश में नेचरोपैथी को प्रोत्साहन देने के बारे में अगर प्रदेश सरकार दिलचस्पी लेकर नेचरोपैथी कोर्स को मान्यता दे दे और किसी विश्वविद्यालय से उसको सम्बद्ध कर दे, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है । इसमें इनको केन्द्र सरकार से 85 फीसदी का अनुदान मिल जायेगा और बाकी 15 प्रतिशत का अनुदान इनको देना पड़ेगा । मैं मान्यवर, लखनऊ मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है और हमारे माननीय देव कुमार जी का लड़का काफी समय से वहां भर्ती है, उसका भी इलाज नहीं हो पा रहा है । मान्यवर, इसी तरह की स्थिति सिद्धार्थ नगर की बांसी तहसील में है, जहां 8 लाख की आबादी है, वहां वर्ष 1986-87 में अस्पताल स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज तक उसके बनने की शुरूआत नहीं हुई ।

इसी प्रकार हरदोई में भी एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय 25 शैय्याओं का वर्ष 1986 में स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज तक उसके बनने के लिये भी कोई जमीन आदि उपलब्ध नहीं हो पायी है । यह ऐसी चीजें हैं, जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये । मैं अपनी इन्हीं बातों को रखते हुये पुनः यह चाहूंगा कि जो सबको स्वास्थ्य सेवा देने की बात कही गयी है और जो राष्ट्रीय नीति है, उसको साकार करने के लिये शासन द्वारा ठोस उपाय निकाले जायें, केवल कागजी उपायों से काम नहीं चलेगा और अगर ठोस उपाय नहीं निकाले जाते और केवल दफ्तर में या बड़े-बड़े अस्पतालों में बैठ कर कागजों में का पेट भर लिया जाता है, तो उससे सबको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा । इसी के साथ मैं पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री—(श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

मान्यवर, आज स्वास्थय विभाग के बजट के सिलसिले में पक्ष और विपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण और तात्कालिक सुझाव दिये हैं, उनमें बहुत सी बातों को जिनको मैं प्रारम्भ में ही चर्चा कर चुका था, फिर से दोहराया गया है । मैं सम्मानित सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि उनके द्वारा सुझाये गये अमूल्य सुझावों पर स्वास्थ्य विभाग निश्चित रूप से ध्यान देगा और सीमित संसाधनों को देखते हुए उन्हें पूरा करने का भी प्रयास करेगा । बिन्दुवार बहुत सी बातें हैं और हमारे 20 सदस्यों ने अपने विचार यहां प्रकट किये हैं । इसमें 2-1 के बारे में कहना चाहूंगा कि अधिकांश सदस्यों ने तहसील स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की बात कही है । श्रीमन्, शासन ने यह निश्चय कर लिया है कि प्रदेश की प्रत्येक तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल जायेंगे । इस समय दिनांक 1 अप्रैल, 1988 तक 142 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

खोले जा चुके हैं और वर्ष 88-89 तक 28 और स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे । श्रीमन् सम्मानित सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में 7 करोड़ की त्रुटियां पायी गयी हैं, जिनका संबंध आयुर्वेद से है । श्रीमन् मुझे इस प्रकार की जानकारी तो नहीं थी, लेकिन अभी पता चला है कि इस तरह की कोई भी महालेखा परीक्षक द्वारा सूचना नहीं दी गयी है । मान्यवर, जहां तक औषधि नियंत्रक की नियुक्ति का सवाल है, लोक सेवा आयोग द्वारा उसका चयन कर लिया गया है और उनकी संस्तुति प्राप्त हो गयी है । शासन तत्काल इस पर कार्यवाही करेगा । श्रीमन् छपाई के बारे में कहा गया है कि परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत आफसेट मशीन लगी हुयी है, लेकिन उसके द्वारा छपाई का काम नहीं किया जाता है ।

मान्यवर, भारत सरकार का निर्देश है कि नसबन्दी संबंधी सामग्री न छापी जाय, बल्कि परिवार कल्याण संबंधी जितनी भी सामग्री प्रचार और प्रसार की है, उसे छापा जाय ।

यहां चेचक के बारे में कहा गया कि इसके उन्मूलन की ओर विशेष ध्यान दिया जाय । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी माता चेचक विश्व में अब कहीं भी नहीं है और इसकी वैक्सीन बनना भी अब समाप्त हो गया है लेकिन फिर भी जहां तक मलेरिया उन्मूलन की बात कही गयी, या खसरा के संबंध में कहा गया । मैं इसके लिये कहना चाहूंगा कि जहां कहीं से भी इस प्रकार की सूचना मिलेगी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसको दूर करने के लिये पूरा प्रयास किया जायगा । इसके अतिरिक्त तमाम सम्मानित सदस्यों ने सुझाव दिये हैं । [समय सायं 7.00 बजे] मस्तिष्क ज्वर के बारे में कहा गया । इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर के मेडिकल कालेज में इसके लिये भारत सरकार ने एक रीजनल सेन्टर खोलने का निश्चय कर लिया है और प्रदेश सरकार ने इसके रोक-थाम के लिये 20 करोड़ रुपए देने का निश्चय किया है । अन्य सुझाव भी माननीय सदस्यों के आये हैं । उन पर भी ध्यान दिया जायेगा । औषधि पर प्रति वर्ष क्या खर्च होता है ? मैं बताना चाहता हूं कि एलोपैथी पर नगर क्षेत्र में 10.78 ग्रामीण क्षेत्र में 6.98 खर्च होता है आयुर्वेदिक व यूनानी पर क्रमशः .90 व 1.5 खर्च होता है । यह बात सही है कि आयुर्वेदिक व होम्योपैथी पर अधिक व्यय होना चाहिये लेकिन संसाधनों के अभाव में ये सारे कार्य जैसा हम चाहते हैं, उस तरह से नहीं हो पा रहा है । हमें विश्वास है कि अगले वर्षों में इस दिशा में और प्रयास किया जायेगा कि और अधिक खर्च हो । माननीय सदस्यों ने और सुझाव दिये हैं, उसके अनुरूप शासन प्रयास करने की कोशिश करेगा । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय श्री वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसे वे वापस लेने का कष्ट करेंगे ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । संजय गांधी इन्स्टीट्यूट, लखनऊ जो खोला गया है, उसके लिये किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहीत कर ली गई है । इससे पूर्व इस सदन में आश्वासन दिया गया था कि जिन किसानों की जमीन ले ली गई है, उनके परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी में अवश्य लिया जायेगा । माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह इसे कब तक पूरा कर लेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने इस संबंध में पहले भी कहा था । जिन किसानों की जमीन ली गई है उसमें से 10 लोगों को वहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में रख लिया गया है, और वहां पर जो उच्च कोटि के दूसरे पद हैं, जो स्पेशलाइज्ड हैं, उस श्रेणी

में आने के लिये वहां पर निवासी नहीं मिल पा रहे हैं। जिन किसानों को नहीं रखा गया है, उनको रखने का हम प्रयास करेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत करने की स्वीकृति आज से बहुत पहले मिल गया है, जिनकी बजट आवंटित हो चुका है और जिनकी बिल्डिंग बन गई है। जैसे मेरे जनपद बस्ती में डुमरियागंज के इटवा में बिल्डिंग बन गई है परन्तु आज तक उसमें कोई डाक्टर पोस्ट नहीं किया गया है, वहां पर एक्स-रे मशीन नहीं गई है। यह 1979 का स्वीकृत उच्चीकृत अस्पताल है। अभी तक वहां पर डाक्टर व एक्स-रे मशीन स्थापित न करने के क्या कारण हैं?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

माननीय, इटावा में जो अस्पताल बनाया गया है, वहां पर डाक्टर व एक्स-रे मशीन तथा अन्य सामग्रियों की, और जैसा माननीय सदस्य बतायेंगे, तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय, मेरे यहां जिला अस्पताल का भवन अपूर्ण है। उसे पूरा कब तक करा देंगे? इसका उत्तर विलम्ब है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आप कृपा करके बैठ जायं। माननीय श्री वर्मा जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

(श्री राम आसरे वर्मा व श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय के एक साथ खड़े रहने पर)

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

माननीय, मैंने प्रारम्भ में कहा था कि जिन सम्मानित सदस्यों को कोई स्पष्टीकरण चाहिये या सुझाव देना है, वे कृपा पूर्वक लिखकर दे दें, जहां तक संभव होगा प्रयास करके पूरा करेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा—

एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा—

कृपया यह बता दें कि प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देने के सिलसिले में क्या नीति आपकी है? इसको मान्यता देंगे या नहीं?

(मंत्री जी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री उपाध्यक्ष—मद संख्या 8—

(श्री राम आसरे वर्मा द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिये खड़े होने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1, 24, 22, 61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33—चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा, के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,88,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,18,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,16,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,03,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,53,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या 9 और 10 पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारा गया। उनकी अनुपस्थिति के कारण आगे की मदें ले ली गयी।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1989

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समर पाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, संशोधन प्रस्तुत करें ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के सदन में अनुपस्थित होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 7 तक खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1989

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा।

(2) धारा 2 दिनांक 1 अप्रैल, 1989 को प्रवृत्त होगी, धारा 3 और 5, दिनांक 28 दिसम्बर, 1988 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी, धारा 4 दिनांक 7 जनवरी, 1989 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1966 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 को जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(झ) 'सहकारी वर्ष' का तात्पर्य किसी वित्तीय वर्ष के पहले दिन से प्रारम्भ होकर अगले मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष से है;"

धारा 29 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (4) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1989" रख दिये जायेंगे।

धारा 34 का प्रतिस्थापन

4—मूल अधिनियम की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

प्रबन्ध कमेटी में सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने

"34—(1) यदि राज्य सरकार ने—

(क) अध्याय छः के अधीन किसी सहकारी समिति की अंशपूंजी में प्रत्यक्ष रूप से अंशदान दिया हो, या

(ख) किसी सहकारी समिति को अंशपूंजी के निर्माण या वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी हो, जैसी कि अध्याय छः में व्यवस्था की गयी है, या

(ग) किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम दिया हो या किसी सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये ऋण-पत्रों के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो या किसी सहकारी समिति को ऋण या अग्रिम के मूलधन के प्रतिदान और ब्याज के भुगतान के लिये प्रत्याभूति दी हो, तो राज्य सरकार को ऐसी समिति की प्रबन्ध कमेटी में दो से अनधिक व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा, जिसमें से एक सरकारी सेवक होगा, किन्तु सरकारी सेवक समिति के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन में मत नहीं देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति सरकार के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार को सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी कोई प्रत्यावृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्यावृति समझी जायेगी ।"

धारा 35 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1989" रख दिये जायेंगे ।

धारा 103 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 103 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति

7—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1988 और उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18, सन् 1988 और संख्या 1 सन् 1989

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध के अधीन हुआ कोई काम या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के समतुल्य उपबन्धों के अधीन हुआ या किया गया समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कमल पाल सिंह—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से श्री हृदय नारायण दीक्षित की सूचना वक्तव्य के लिये स्वीकार की गयी और श्री शफीकुर रहमान बर्क की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है, शेष सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है ।

जनपद बांदा के संभाग कर्वी को एक नया जिला बनाये जाने के संबंध में राजस्व मंत्री का वक्तव्य

एक सदस्य—

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

राजस्व मंत्री(श्री माता प्रसाद)—

[जिलाधिकारी बांदा से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बांदा में कर्वी को पृथक् जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में, कर्वी क्षेत्र के अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में, दिनांक 24 दिसम्बर, 1988 से आन्दोलन चलाया जा रहा है । दिनांक 9 जनवरी, 1989 को आन्दोलनकारियों द्वारा कर्वी में सम्पूर्ण बन्द रखने का आवाहन किया गया । बंद के दौरान लगभग 1,000 आन्दोलनकारी रेलवे स्टेशन कर्वी पर एकत्रित हो गये। करी ब 10 बजे 522 अप इलाहाबाद, झांसी पैसेन्जर ट्रेन को रोका, लगभग 50 आन्दोलनकारी रेलवे लाइन पर लेट गये । पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्वी एवं परगना मजिस्ट्रेट, कर्वी द्वारा लगातार अनुरोध करने पर भी जब आन्दोलनकारी नहीं हटे तो उन्हें बल, पूर्वक हटा दिया गया । आन्दोलनकारी पुनः एकत्रित हो गये और उन्होंने रलवे सिगनल के पास रेल पटरी पर पत्थर तथा लोहे की छड़ व स्लीपर डालकर लाइन को अवरुद्ध कर दिया । सिगनल के तार काटकर सिगनल को गिरा दिया । पुलिस ने रलवे लाइन से अवरोधों को हटाना प्रारम्भ किया तो आन्दोलनकारियों ने उन पर पत्थरों की वर्षा की । पुलिस ने आन्दोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिये साधारण केन चार्ज किया । एक छोटी पुलिस पार्टी जो आन्दोलनकारियों के बीच घिर गयी थी, उसने पत्थर फेकने वाली हिंसक भीड़ को हटाने हेतु 3 हवाई फायर किये जिससे कोई घायल नहीं हुआ । 30 आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया । आन्दोलनकारियों द्वारा की गयी पत्थर वर्षा से पुलिस/पी0 ए0 सी0 के 15 कर्मचारी घायल हो गये, जिनमें पुलिस इन्सपेक्टर, कर्वी तथा थानाध्यक्ष, जी0आर0पी0, मानिकपुर भी शामिल हैं । इसके अलावा पत्थर वर्षा से 4 होम गार्ड्स तथा 2 अन्य कर्मियों को भी चोटें आयीं पत्थर वर्षा से घायलों में से एक सब-इन्सपेक्टर तथा 2 कान्सटेबुलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था । इसके अतिरिक्त जनता के 9 व्यक्तियों ने भी अपनी डाक्टरी परीक्षा कराई, जिसमें से 8 को प्राथमिक चिकित्सा के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी, एक छात्र सुरेश कुमार को कर्वी से लाकर बांदा अस्पताल में दाखिल किया गया और उसे दिनांक 10 जनवरी, 1989 को छुट्टी दे दी गयी । बन्द के दौरान दिनांक 9 जनवरी, 1989 को कर्वी, रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के गार्ड का कुछ सामान भी आन्दोलनकारियों द्वारा लूट लिया गया । विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत आन्दोलनकारियों के विरुद्ध थाना कर्वी एवं जी0आर0पी0 में केस दर्ज किये गये ।

कर्वी को जिला बनाओ मांग के समर्थन में भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, दिनांक 20 फरवरी, 1989 से तथा श्री उमा शंकर तिवारी दिनांक 21 फरवरी, 1989 से आमरण अनशन पर बैठे । दिनांक 26 फरवरी, 1989 को इन दोनों व्यक्तियों की स्थिति चिन्ताजनक महसूस हुई । अतः 26/27 फरवरी, 1989 को इन्हें संयुक्त चिकित्सालय कर्वी में दाखिल करा दिया गया और दोनों व्यक्तियों ने स्वेच्छा से ही शांतिपूर्वक अपना अनशन समाप्त कर दिया । पूरी स्थिति पर प्रशासन द्वारा कड़ी दृष्टि रखी जा रही है ।

3—जिलों के क्षेत्रफल, जनसंख्या, भौगोलिक, सामाजिक तथा औद्योगिक विकास की स्थिति का परीक्षण करते हुये प्रभावी प्रशासन हेतु नये जिलों के सृजन पर विचार करने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में 1976 में जिला पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था । समिति ने

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बस्ती, मेरठ, मिर्जापुर, आगरा, गोरखपुर को विभाजित कर नये जिलों के सृजन की संस्तुति की थी। समिति ने बांदा को विभाजित कर कर्वी में नया जिला स्थापित करने की संस्तुति नहीं की थी।

4—समिति की संस्तुति के अनुसार मेरठ को विभाजित कर गाजियाबाद में बस्ती, को विभाजित कर सिद्धार्थनगर में आगरा को विभाजित कर फिरोजाबाद में, मिर्जापुर को विभाजित कर सोनभद्र में नये जिलों की स्थापना की जा चुकी है, तथा महाराजगंज(गोरखपुर) में नया जिला स्थापित करने का मामला विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुये मऊ तथा हरिद्वार में नये जिलों की स्थापना की गयी है। आजमगढ़ की जनसंख्या 35, 44,000 तथा सहारनपुर की जनसंख्या 26,74,000 है, जबकि बांदा की जनसंख्या 15,34,000 है।

5—कर्वी में प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये अपर जिलाधिकारी, संयुक्त पुलिस अधीक्षक तथा अपर जिला जज नियुक्त है। अतः जिला स्तरीय अधिकांश कार्य कर्वी में सम्पन्न हो जाते हैं।

6—नये मंडलों/जिलों/तहसीलों के सृजन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसकी संस्तुतियां प्राप्त होने पर यथा-समय यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

वर्णित परिस्थिति में कर्वी में नया जिला स्थापित करना संप्रति संभव नहीं है।]

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आपने जो इसमें कहा है कि बन्द के दौरान दिनांक 9 जनवरी, 1989 को कर्वी रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के गार्ड का कुछ सामान भी आन्दोलनकारियों द्वारा लूट लिया गया। विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत आन्दोलनकारियों के विरुद्ध थाना कर्वी एवं जी0आर0पी0 में केस दर्ज किये गये। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन सी धारायें हैं जिनके अन्तर्गत मुकदमें दर्ज हुए ?

श्री माता प्रसाद—

रेल रोकने के कार्य से बाधा पंहुच रही थी इसलिये उनको उन धाराओं में गिरफ्तार किया गया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया मैंने यह प्रश्न किया था कि किन-किन धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है, मान्यवर होता यह है कि जब कोई आन्दोलन होता है तो पुलिस सारी धाराओं को लगा देती है, मैं स्वयं ऐसे ही एक मामले में भुक्तभोगी हूं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह धारायें कौन-कौन सी हैं जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है ?

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी कि कौन-कौन सी धारायें हैं ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर फिर इसको स्थगित कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है यह वक्तव्य स्थगित किया गया। मद-संख्या—15

जनपद आजमगढ़ की अतरौलिया क्षेत्र में शारदा सहायक के ठेकेदारों द्वारा फर्जी निर्मित करायी गयी गूलों(कुलाबों) के निर्माण व्यय किसानों से जबर्दस्ती वसूलने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

एक सदस्य—

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है । इसे पढ़ा हुआ माना जाये ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री(श्री श्याम सुन्दर उपाध्याय)—

[शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना का मुख्य उद्देश्य सृजित सिंचन का पूर्ण उपयोग कराना सिंचन क्षमता के बीच के अन्तर को कम करना, हर खेत को सिंचाई हेतु जल पहुंचाना व अधिकतम कृषि उत्पादन करना है। प्रक्षेत्र विकास कार्यों का निष्पादन उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 तथा उसके अन्तर्गत बनी उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (भूमि विकास) नियमावली, 1979 के अन्तर्गत कराया जाता है। नियमावली के अनुसार समादेश प्राधिकारी स्वयं प्रेरणा से अथवा प्रदेश सरकार के निर्देश पर विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी के सभापतित्व में जिला समिति का गठन करती है जिसमें पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी और उसके सदस्य अपर जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक (भू0सं0) शारदा सहायक, अधिशासी अभियन्ता (शारदा सहायक नहर प्रणाली) व जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अधिकारी (कृषि विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध हो) होते हैं । जिला समिति जिले में पड़ने वाली नहर प्रणालियों के कुलाबा समादेश क्षेत्र के लिये योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये निर्देश देती है। योजना का प्रारूप तैयार करने के पश्चात् उसे सम्बन्धित जिला समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है जो उसे देवनागरी लिपि में किसी स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित करने के लिये आदेश देती है । प्रकाशन के बाद परियोजना निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी प्रपत्र 7 में नोटिस तैयार करता है जिसमें स्थान व समय दिया जाता है, जहां जन साधारण के निरीक्षण के लिये योजना का प्रपत्र निःशुल्क उपलब्ध होता है । इस नोटिस को जिलाधिकारी सम्बन्धित कार्यालयों (परियोजना निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, तहसीलदार, विकास खण्ड अधिकारी) को सहज स्थान पर चिपकाया जाता है तथा सम्बन्धित गांवों में भी डुग्गी पिटवाकर अधिसूचित किया जाता है। प्रत्येक कुलाबा पर एक चक समिति का गठन किया जाता है जिसमें 5 सदस्य उस कुलाबे में पड़ने वाले लाभार्थी कृषकों में से चयन किये जाते हैं । योजना की एक प्रति उस कुलाबे के स्थिति क्षेत्र में भेजी जाती है जहां निर्माण कार्य प्रस्तावित होता है । चक समिति इस प्रयोजन के लिए एक विशेष बैठक बुलाकर चर्चा करती है और प्रपत्र की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर परियोजना निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी को लिखित आपत्ति, यदि कोई हो, तो कर सकती है । यदि निर्धारित समय के भीतर कोई आपत्ति नहीं की जाती है तो जिला समिति द्वारा यथा प्रस्तावित योजना का प्रारूप प्राधिकारी को विचारार्थ भेज दिया जाता है। प्रक्षेत्र विकास के सभी कार्य सामयिक होते हैं जिसका निष्पादन किसी लाभार्थी विशेष के द्वारा कराना संभव नहीं होता है। अतः क्षेत्रीय विकास अधिनियम, 1976 तथा उसके अन्तर्गत बनी नियमावली, 1979 के अन्तर्गत कृषकों को व्यक्तिगत रूप से यह सूचित करना कि उनके खेतों में क्या-क्या कार्य होगा तथा उसमें कितनी लागत आयेगी ऐसा सूचित करने का प्रविधान नहीं है और न कोई नोटिस किसानों को अलग-अलग दिया जाता है ।

नोट--[ ] इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

आजमगढ़ जनपद में प्रक्षेत्र विकास कार्य 7 भूमि संरक्षण इकाइयों के माध्यम से निष्पादित कराया गया था/जा रहा है जो जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक नहर परियोजना के अन्तर्गत पड़ते हैं।

निर्मित कराये गये कार्यों पर आये व्यय का भुगतान करने से पहले कार्यों का मापन, मापन पुस्तिका में अंकित किया जाता है जिसका शत-प्रतिशत सत्यापन विभिन्न स्तरों पर भूमि संरक्षण निरीक्षक, अवर अभियन्ता, प्राविधिक सहायक तथा इसके अतिरिक्त भूमि संरक्षण अधिकारी व मण्डल के प्राविधिक अधिकारी/उप कृषि निदेशक (भू० सं०) द्वारा भी समय-समय पर किया जाता है। इकाई के कार्यालय में भी भुगतान करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि जिस कार्य का भुगतान प्रस्तावित है वह जिला समिति के द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार है। अतएव यह कहना कि फर्जी कार्य हुआ है, उचित नहीं है। वास्तव में कराये गये कार्य की ही लागत कृषकों से वसूल की जाती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शारदा सहायक कमान्ड परियोजना के अन्तर्गत पड़ने वाले जिलों में प्रक्षेत्र विकास कार्य का निष्पादन ठेकेदारों के माध्यम से न कराकर बल्कि सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कराया जाता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 व उसके अन्तर्गत बनी नियमावली 1979 में किए गये प्राविधानुसार प्रक्षेत्र विकास कार्य के निर्माण पर आने वाली लागत जो प्राधिकारी द्वारा निष्पादित कराये जाते हैं, उस निर्माण कार्य से प्रत्येक लाभार्थी को भूमि को हुए लाभ या लाभान्वित लाभ को ध्यान में रखने के पश्चात ऐसे अनुपात में वसूल किए जाने योग्य होगी जैसा प्राधिकारी नियत करेगा। ऐसी वसूली कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व की भांति की जाती है। वर्तमान में कुलाबा विशेष के समादेश क्षेत्र में निष्पादित कराये गये प्रक्षेत्र विकास कार्य की लागत सभी कृषकों से उनकी जोत के अनुपात में वसूल की जाती है। चाहे उसके खेत में अथवा खेत से होकर इस कार्य का निर्माण कराया गया हो अथवा नहीं। क्योंकि इन कार्यों से सीधे एवं परोक्ष रूप में सभी को लाभ मिलता है। अधिनियम तथा नियमावली में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कृषकों को सूचित किया जाता है और उनसे आपत्ति प्राप्त होने पर प्रारूप में संशोधन करके अन्तिम रूप दे दिया जाता है। सभी लाभार्थी कृषकों को वर्ग समिति के माध्यम से समय-समय पर कार्य के नियोजन, निष्पादन तथा उस पर आई लागत के विषय में सूचित किया जाता है। वर्ग समितियों को समय-समय पर नियोजन निष्पादन तथा कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री पर नियंत्रण रखने के लिये आमंत्रित किया जाता है। अतः कृषकों का यह कहना कि उनसे इस विषय में परामर्श/सहमति नहीं लिया गया एवं उन्हें इसकी सूचना नहीं दी गई थी कि उनसे लागत की वसूली की जायेगी, न्यायोचित नहीं है।

समादेश क्षेत्र विकास परियोजनायें केन्द्र सरकार द्वारा पोषित हैं वर्ष 1980-81 से कुलाबा विशेष के समादेश क्षेत्र में निष्पादित प्रक्षेत्र विकास कार्य की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में सभी कृषकों को मिलती है, शेष 50 प्रतिशत धनराशि समान किस्तों में ब्याज सहित वसूल की जाती है, इसमें से भी लघु एवं सीमान्त कृषकों को 25 प्रतिशत एवं 33 1/3 प्रतिशत जैसी भी स्थिति हो, को अनुदान दी जाती है। इस प्रकार कुल लागत का केवल 50 प्रतिशत बड़े कृषकों से तथा 37 1/2 प्रतिशत लघु एवं लगभग 33 प्रतिशत सीमान्त कृषकों से वसूल किया जाता है जो कि लाभ को देखते हुए काफी कम है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि आजमगढ़ जनपद में शारदा नहर प्रणाली पर लगे कुलाबों के समादेश क्षेत्र में शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी द्वारा जो प्रक्षेत्र विकास कार्य कराया जा रहा है वह उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 व उसके अन्तर्गत बनी उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (भूमि विकास) नियमावली, 1979 में दी गई प्रक्रिया

के अनुसार किया जा रहा है । कार्यों पर आय-व्यय की वसूली हेतु व्यय विवरण (देय ग्रान्ट व अनुदानों को घटाकर) वसूली प्रपत्र 15 जिलाधिकारी व लाभार्थी कृषकों को नियमानुसार भेजा जा रहा है । इसमें दर्शायी गई ब्याज की दर वही है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है । वसूली की जाने वाली धनराशि में संग्रह खर्च को नहीं जोड़ा गया है । वसूली नियमानुसार समान किस्तों में की जाती है जिसकी संख्या वसूल की जाने वाली धनराशि पर निर्भर करती है । धनराशि की वसूली नियमानुसार करने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है ।]

श्री बलराम यादव—

मान्यवर, जिन क्षेत्रों में फर्जी कुलाबों के निर्माण पर पैसों की वसूली की जा रही है, ऐसे क्षेत्र लगभग 40–50 गज हैं, माननीय मंत्री जी ने इस पर तो कोई सूचना दी नहीं (इस समय 7 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए) लेकिन अपने विभाग के जितने भी नियमावली समादेश हैं, उनकी प्रतियां एक पुलिन्दे के रूप में छपवाकर यहां बंटवा दिए हैं, जिससे कोई मामला हल होने वाला नहीं है । मान्यवर, हमारे गरीब किसानों की भावनाओं व हम सबकी भावनाओं को देखते हुए जो यह वक्तव्य स्वीकृत हुआ था, उसको ध्यान रखते हुए माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, प्रश्न आप देखें लगभग 40–50 गांवों की सूचना दी गयी है जबकि एक-एक गावों में 15–15 व 20–20 काश्तकारों के कुलावे व नालियां होती हैं, कहां पर फर्जी निर्माण हुआ है; इसकी कोई पर्टिकुलर सूचना अगर दे दी जाती तो आसानी से जांच हो जाती । माननीय सदस्य जिस गांव की सूचना चाहते हैं, वहां की स्पेसफिक सूचना दे दें तो मालूम करा लिया जायगा ।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, इसमें स्पेसफिक ही गांव दिए हुए हैं, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इस काम के लिए 5 आदमियों की एक कमेटी बनायी गयी है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किसी भी गांव की किसी कमेटी के पांचों सदस्यों का नाम बता दें । किसी एक कमेटी के सदस्यों के नाम . . .

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, इनकी सूचना के अन्दर बहुत से गांवों के नाम दे दिये गये हैं, यदि किसी एक गांव की सूचना यह मांगे तो वह तो दी जा सकती है ।

(व्यवधान)

कई सदस्य—

हां, मान्यवर किसी गांव की एक कमेटी के ही पांचों सदस्यों का यह नाम बता दें ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद मसूद खां—

हां, मान्यवर किसी एक कमेटी के सदस्यों के ही यह नाम बता दें नहीं तो फिर यह प्रश्न स्थगित कर दें । अभी एक हफ्ते की सदन की छुट्टी है, यह हमारे साथ आजमगढ़

नोट—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के इलाके में चले, और वहां चलकर स्वयं देख लें कि कितनी नालियां और कुलाबे बनी हैं, इन्हें स्वयं सारी चीजें नजर आ जायंगी फिर में इनके ऊपर छोड़ूंगा, जो भी कार्यवाही करें, मुझे स्वीकार होगी।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय यह किसी एक गांव की सूचना कहें तो मैं मंगा दूंगा जांच कराकर।

(घोर व्यवधान)

कई सदस्य—

माननीय इसे भी स्थगित करा दें।

(व्यवधान)

जवाब नहीं आ रहा है, माननीय मंत्री जी की ओर से....

(घोर व्यवधान)

(समय 7 बजकर 20 मिनट)

श्री शारदा नन्द अंचल—

माननीय, माननीय मंत्री जी का वक्तव्य गुमराह करने वाला है, जिस प्रकार की चीज अतरौलिया, जिला आजमगढ़ में हुई है, उसी प्रकार की चीज बलिया जनपद में गूलों के निर्माण के सम्बन्ध में हुई है। गूलों के निर्माण के सम्बन्ध में फर्जी कार्य दिखाया गया है और उसका फर्जी तरीके से भुगतान किया गया है और इस समय किसानों से उसकी बेरहमी के साथ वसूली की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता—

वक्तव्य का एक तरीका है। जो शब्दावली वक्तव्य में दी गयी है, उसमें अगर त्रुटि है, तो उस बारे में आप स्पष्टीकरण कर लें।

श्री शारदा नन्द अंचल—

जिस प्रकार की शिकायत अतरौलिया की है, उसी के समान बलिया में भी फर्जी कुलाबों का निर्माण दिखाया गया है और फर्जी भुगतान हुआ है और वसूली में उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है। तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि फर्जी निर्माण के बाद वसूली जो उत्पीड़न के साथ की जा रही है, उसको रोकेगी और जो ऐसा अधिकारी कर रहे हैं, उनको दण्डित करेगी ?

श्री अधिष्ठाता—

यह इससे नहीं उठता है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसके दूसरे पेज पर लिखा है कि निर्मित कराये गये कार्यों पर आय-व्यय का भुगतान करने से पहले कार्यों का मापन, मापन पुस्तिका में अंकित किया जाता है जिसका शत-प्रतिशत सत्यापन विभिन्न स्तरों पर भूमि संरक्षण निरीक्षक, अवर अभियन्ता, प्राविधिक सहायक तथा इसके अतिरिक्त भूमि संरक्षण अधिकारी व मण्डल के प्राविधिक अधिकारी/उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, द्वारा भी समय-समय पर किया जाता है तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन-जिन गांवों को संबन्धित किया गया था, वहां पर किन-अधिकारियों ने सत्यापन का काम किया है, उनके नाम बता दें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

माननीय, शासन का इरादा किसी गलत अधिकारी को संरक्षण देने का नहीं है। माननीय सदस्य ने 40-50 गांवों के नाम दे दिये और कह दिया कि वहां पर जो नालियां बनायी गयी हैं,

वह फर्जी हैं । माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक बता दें कि कहां पर गड़बड़ी हुई और कहां के सत्यापन से वह सन्तुष्ट नहीं हैं, तो मैं उसकी जांच करा लूंगा । अगर कहीं पर गूल फर्जी पायी जायेगी और उसके लिये जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जायेगा, उसको अवश्य ही दण्डित किया जायेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जब गांवों की सूचना दे दी गयी, तो उससे सम्बन्धित सारी सूचना माननीय मंत्री जी को मंगानी चाहिये थी । माननीय मंत्री जो बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और वह हमारे परम मित्र रहे हैं, सही-सही बात को बताव ?

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कोई भी निश्चित जानकारी नहीं दे पा रहे हैं; फर्जी नालियां बनी हैं । वह यह नहीं बता पाये कि किस गांव में नालियां फर्जी बनायी गयी और उनका फर्जी भुगतान हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की बिना सहमति के उनकी जमीन से नालियां निकाली गयीं और उनको उस जमीन के लिये मुआवजा भी नहीं दिया गया । मैं अपने क्षेत्र टांडा की बात आपको बताना चाहता हूं, वहां पर वसूली कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि जो उत्पीड़न की कार्यवाही के साथ वसूली की जा रही है, उसको रोकने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

यह प्रश्न आजमगढ़ के सम्बन्ध में है, टांडा के सम्बन्ध में नहीं है ।

श्री फजलुल बारी—

माननीय मंत्री जी ने 5 सदस्यों की बात कही, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नाऊपुर में जो 5 सदस्यों की समिति बनी है, उन सदस्यों के नाम क्या हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैंने तो एक सिद्धान्त बताया है, कि चक समिति बनायी जाती है । अगर कहीं पर नहीं बनी है, तो माननीय सदस्य सूचित कर दें, मैं उसकी जांच करा लूंगा ।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

एक स्पेसिफिक केस रखा गया है और वह नियमावली पर उतर आये और बता दिया कि एक चक समिति का गठन किया जाता है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं और उनका चयन उस कुलाबे में पड़ने वाले लाभार्थियों से किया जाता है । यह तो नियमावली के शब्द रखे गये हैं । किसी स्पेसिफिक केस की अगर आपको जानकारी नहीं है ... (व्यवधान) एक तरफ तो जिन किसानों के कुलाबे नहीं बने हैं । ... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी मार्च में या अप्रैल में जब भी उनको समय हो किसी भी स्पेसिफिक गांव में चले जायं और देख लें । हमने नियम 56 में यह प्रश्न उठाया था । आप उस समय हमारे आजमगढ़ के सभी विधायकों के साथ मौके पर चलें और जो आपने बयान दिया है उसको देख लें और जानकारी हासिल कर लें ...

श्री अधिष्ठाता—

जब मंत्री जी उधर जायं तो आप भी उनके साथ ....

श्री मोहम्मद मसूद खां—

साल भर से नहीं जा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप उनको दिखवा लें ।

मद संख्या 16 स्थगित की गई है । मद संख्या 17 में चूंकि बरार साहब नहीं है ... (व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

माननीय, 17 में मेरा नाम है । आप दिखवा लें ।

श्री अधिष्ठाता—

सिर्फ बरार साहब का नाम है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

हमने भी दिया है ... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

दिखवा लेते हैं । अगर आपका नाम है और रुचि है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

नाम भी है और रुचि भी है । हमने नियम 49 के अन्तर्गत यह दिया है । ....

(व्यवधान)

श्री बलराम यादव—

श्रीमान्, 15 वाला क्या हुआ ? उसे भी आपने स्थगित कर दिया ?

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या 15 वाला स्थगित नहीं हुआ । मंत्री जी दौरे पर जायेंगे तो आपको भी साथ ले जायेंगे । दिखवा देंगे... (व्यवधान)

(श्री बलराम यादव, श्री गौरीनाथ वर्मा तथा श्री शारदा प्रताप एक साथ बोलते हैं जिससे व्यवधान हो गया ।)

यह स्थगित नहीं हुआ है । मंत्री जी आप लोगों को लेकर वहां जायेंगे । यह तय हो गया ।

श्री बलराम यादव ने वक्तव्य की प्रति फाड़ दी और वे सदन के फ्लोर में आ गये और अध्यक्ष पीठ को तरफ जाने लगे जिन्हें विधान के संगत रक्षकों ने रोक लिया । इससे सदन में और व्यवधान पैदा हो गया ।

श्री बलराम यादव—

यह सरकार किसानों से पैसा वसूल रही है । इसकी जांच करा लें अगर यहां किसी भी गांव में एक भी गूल सही पायी जायेगी तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा...

(व्यवधान)

[× × ×] में इस्तीफा दे दूंगा...

(× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता—

इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है । आपके पास और भी नियम हैं । उसके अन्तर्गत कहें । आपने दस-बीस-पचास ऐसे गांव दे दिये हैं । इसलिये ऐसा हुआ है ।

(श्री गोपीनाथ वर्मा भी सदन के बेल में आ गये और श्री बलराम यादव तथा श्री गोपीनाथ वर्मा एक साथ बोलने लगे) ।

कृपया अपने स्थान पर जायं । आसन ग्रहण करें ।

(श्री शारदा नन्द अंचल सदन के फ्लोर पर आकर श्री बलराम यादव तथा श्री गोपीनाथ वर्मा को वापस उनके स्थान पर ले गये ।)

श्री बलराम यादव—

पता नहीं कैसे चलाना चाहते हैं ?

31 अक्तूबर, 1988 तक पेय जल समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या तथा इन ग्रामों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत की गई सूचना पर चर्चा

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, आज प्रदेश के अन्दर पेय जल की समस्या गम्भीर बनी हुई है । अभी भी उत्तर प्रदेश के 50 हजार गांव ऐसे है जहां पेय जल की समस्या गम्भीर है । शुद्ध पेय जल के अभाव में हजारों की तादाद में प्रति वर्ष हैजा और गैस्ट्रो से लोगों की मृत्यु हो रही है । इसलिये इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा प्रारम्भ करते हुये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है कि समस्याग्रस्त गांवों के लिये वह कोई मानक तय करें । ऐसे समस्याग्रस्त गांवों के लिये कोई मानक न तैयार किये जाने के कारण विभागीय अधिकारी मनमाने तरीके से वहां पर काम करते हैं । समस्याग्रस्त गांवों का फिर से पुनर्निधारण कराया जाना आवश्यक है क्योंकि सरकार द्वारा दिये गये आंकड़े सही नहीं हैं उदाहरणस्वरूप मूल प्रश्न के उत्तर में जो माननीय नगर विकास मंत्री जी ने इस संदर्भ में जो विधान सभा में उत्तर दिया गया है उस उत्तर के पेज 3 की ओर, जिसमें देवरिया जनपद की बात है उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर सिर्फ एक गांव समस्याग्रस्त दिखाया गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां सैकड़ों लोगों की तमाम गांवों में हैजा और अन्य तमाम बीमारियों से मृत्यु हुई है । बनारस में भी लोग मरे हैं और आजमगढ़ में भी जहां के माननीय सदस्य अभी उत्तेजित हो गये थे वहां पर भी लोगों की मौतें हुई हैं । वहां पर पेय जल की गम्भीर समस्या है । इसी तरह से पश्चिमी जिलों में खारे पानी की समस्या है । अधिकारियों और इंजीनियरों के स्तर पर मनमाने ढंग से काम होता है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के सदस्यों से भी सुझाव लिये जायं तथा गांवों के लोगों को भी समीक्षा की बैठकों में मांग लेने के लिये बुलाया जाय और उनके सुझाव लिये जायं । उसी आधार पर समस्याग्रस्त गांवों का चयन हो । मैं अपने जिले के पथरदेवा की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं वहां पर 1980 में पेय जल की टंकी का निर्माण होना था जिससे 12 समस्याग्रस्त गांवों को पानी की सम्पूर्ति पाइप लाइन बिछाकर होनी थी लेकिन आज 9 साल हो गये हैं वहां पर इसका निर्माण नहीं हो पाया है । माननीय बीर बहादुर सिंह पूर्व मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये थे कि वहां पर टंकी का निर्माण कराया जाय । नगर विकास मंत्री ने आदेश भी दे दिया था उसके बावजूद सरकार द्वारा उसको न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया जिससे उसका निर्माण जल निगम अब तक प्रारम्भ नहीं करपाया है उसे शीघ्र प्रारम्भ करवा दें तथा बाढ़ ग्रस्त तथा हैजा आदि बीमारियों से ग्रस्त तथा नदियों के किनारे बसे गांवों में हैण्ड पम्प लगाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय शाही जी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

देवरिया के पेयजल समस्या ग्रस्त क्षेत्रों का समाधान किया जाय ।

श्री फजलुलबारी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी वक्तव्य पर माननीय बलराम जी यादव ने रोष प्रकट किया तो आपने कुछ कहा कि दूसरे भी साधन हैं जिसमें यह उठाया जा सकता है । तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मार्ग दर्शन करें कि वह किस नियम में दें तो आपकी महानता होगी किस नियम में आपके सामने रखें ?

दूसरी व्यवस्था यह चाहता हूं कि आपने कहा कि मंत्री जी जायेंगे तो आप निश्चित कर दें कि जलनिगम के तमाम विधायक कब उनके साथ जायेंगे और कब वह जांच करेंगे तारीख बता दें ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है वह शीघ्रातिशीघ्र जायेंगे ।

श्री फजलुल बारी—

आप मार्ग दर्शन दीजिये कि किस नियम में लायें ?

श्री अधिष्ठाता—

नियम 52 में दें 49 में दें । 52 में दें अच्छा रहेगा ।

(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, इसी सदन में यह प्रश्न उठा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था के लिये जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं कुछ ग्राम ऐसे हैं जहां हस्तपम्प खराब हो गये हैं उनको ठीक कौन करेगा तो इसका एक तरीका निगम ने निकाला कि हर ग्राम प्रधान को पोस्ट कार्ड भेज दें और जल निगम को वह सूचित कर दें कि हमारे यहां हस्तपम्प खराब हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह सिर्फ इतना पूछ लें कि किसी एक अवधि में जिले में निगम के पास कितने पोस्ट कार्ड आये हैं और उनके सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गयी है ? कहना चाहता हूं कि वे पोस्ट कार्ड आते हैं लेकिन उन पर कोई कार्यवाही जल निगम के स्तर पर नहीं होती है । मैं अपने बांसी क्षेत्र के खैरहा तीन गांव खैरहा पगार, मलवा पुरैना का उदाहरण दे रहा हूं । वहां के नल एक वर्ष से खराब हैं ।

अनेक ऐसे गांव हैं जहां हैंड पम्प बिगड़ कर खराब हो गये हैं लेकिन उनको ठीक करने का कोई प्रबन्ध नहीं हो रहा है ।

मान्यवर, दूसरा निवेदन है कि सिद्धार्थ नगर के बांसी विकास खंड के 12 गांवों का एक इलाका है, वे गांव हैं—मंडही उर्फ मिश्रौलिया, नरकटहा, कोइरी, धरहरा, गांव सभा पिपरा में खिरिया—मदावा, तारा गुजरौलिया, सतवाढो, काहरिया बुजुर्ग, मटोली, काहरिया खुर्द, चान्द बहिया, और नरायनपुर, इनका एक इलाका है जहां एक भी हैंड पम्प जल निगम का नहीं लगा है, इस लिये

इस पूरे इलाके में पेयजल का गम्भीर संकट है । मंत्री जी वाराणसी के निवासी हैं और मिर्जापुर से चुनकर आते हैं । समाचार में है कि इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी जिलों में भारी पेयजल का संकट आ गया है । नौगढ़ बनारस में है जहां पेयजल का संकट है जिसकी जानकारी मंत्री जी को स्वयं होगी । ऐसे अनेक स्थान हैं जहां संकट है । मैं चाहूंगा कि इन जिलों की उन जगहों का पता कर पेयजल की व्यवस्था की जाय । जिन गांवों में हस्त पम्प नहीं लगे हैं वहां लगाये जांय और जहां खराब हैं उनको ठीक कराने का प्रबन्ध किया जाये ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

अध्यक्षता महोदय, होना चाहिये था कि जब श्री शाही जी ने वक्तव्य दिया था तो मंत्री जी का संक्षिप्त जवाब हो जाता और हम भी तथ्यों से अवगत हो जाते लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा । मान्यवर, 1971 की जनगणना के अनुसार जो सूची पेयजल अभाव ग्रस्त गांवों की तैयार की गयी थी उसमें केन्द्र और प्रान्त सरकार के 52 हजार गांवों में आपस में विवाद हो गया था और उसमें मानक यह है कि जहां 40 फीट गहराई पर पानी मिलता है और जिसमें वह गुण नहीं जिससे स्वास्थ्य ठीक हो सके, यह आधार बनाकर अभाव ग्रस्त गांवों की सूची बनाई गयी थी लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यहां उन मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया और जिला मुख्यालय में बैठकर अधिकारियों ने लिस्ट लेकर अपने अनुसार पेयजल अभावग्रस्त गांवों को चुन लिया । नतीजा हुआ जहां पेयजल की जरूरत है और हैण्ड पम्प लगने चाहिये वह गांव उनकी लिस्ट में नहीं हैं । जब हम लोग कहते हैं कि इन-इन गांवों में पानी की व्यवस्था की जाये तो कह दिया जाता है कि 1971 की जनगणना के आधार पर अभावग्रस्त गांवों को पूरा कर रहे हैं और वह पूरा हो जायेंगे तब 1981 की जनगणना के आधार पर पेयजल अभावग्रस्त गांवों में व्यवस्था की जायेगी । मान्यवर, जिस व्यक्ति को शुद्ध जल नहीं मिलेगा तो स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा ? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि गंगा मैली हो गयी है उसको शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हैण्ड पम्प आपके अनुसार 10 हजार रुपये में किन्तु मेरे आधार पर 4 हजार रुपये में बन रहे हैं तो कम से कम इतने के लिये आप वित्तीय व्यवस्था करा दें । चाहे वर्ल्ड बैंक से या अन्य स्रोतों से व्यवस्था करा दें । जिससे प्रत्येक गांव जो तराई बेल्ट के हैं जहां पानी प्रदूषित मिलता है वहां कम से कम एक-एक हैण्ड पम्प दिला दें ।

एक सुझाव और है कि पम्प जो आप लगवा रहे हैं एक गांव में 250 जनसंख्या पर, अधिक होने पर दो लगवा रहे हैं, और इसी तरह से 4 लगने पर 40 हजार रुपये खर्च आता है । मेरा निवेदन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोंडा, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बहराइच आदि जो तराई के जिले हैं वहां 10 हजार रुपये में बोरिंग हो जाती है तो एक-एक नलकूप लगवा दें जिससे शुद्ध पानी आप आसानी से सप्लाई कर सकते हैं और गांव के एक कोने में बोरिंग कराकर टंकी बनवा दें तो गांवों में अच्छा पानी उपलब्ध हो जायेगा ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में पानी की समस्या है और हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड शाहपुर और बुढ़ाना में तो पेयजल का भीषण संकट है । इन विकास खण्डों का कोई भी गांव इस पीने के पानी की समस्या से अछूता नहीं है । वहां पर ग्राउण्ड वाटर लेवेल 50–60 फिट नीचे चला गया है । अभी हमारी प्रदेश सरकार में 85 की गणना के हिसाब से समस्याग्रस्त गांवों की जो सूची केन्द्र सरकार को भेजी थी, उसको सहमति केन्द्र सरकार से नहीं मिल रही है । इसलिये वह गांव लाभान्वित होने से वंचित पड़े हैं । वह सूखाग्रस्त क्षेत्र है और सूखा पड़ा था, पीने के पानी का अत्यन्त अभाव बना हुआ था । वहां जो नदियां बहती हैं उनकी वजह से हमारा ग्राउण्ड वाटर लेवेल बहुत नीचे चला गया है और वहां के लोगों को विवशता में प्रदूषित पानी पीने से तरह-तरह की बीमारियां और संक्रामक बीमारियां हो रही हैं । उन्हें इन

बीमारियों का बराबर सामना करना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार को 85 की जनगणना के अनुसार, राज्य सेक्टर द्वारा अभावग्रस्त गांवों को जो सूची भेजी गयी है, उनको अवश्य कराया जाय, चाहे उनको एन0आर0ई0पी0 में लिया जाये अथवा एल0आर0ई0पी0 में लिया जाये। आप इन गांवों को लाभ पहुंचाने की अवश्य कृपा करें।

मंत्री जी से इस सम्बन्ध में हमारी बात भी हुई थी, उनसे आश्वासन भी मिला था, अतः वह पेयजल की समस्या को अविलम्बनीय समझते हुये उसको तुरन्त कार्यान्वित कराने की कृपा करें। हमारे जनपद में 4 टैंकों का कार्य शुरू हुआ है। यहां चार गांव-समूह को टैप वाटर से जोड़ने की बात है। इसके लिये कहा जाता है कि यह कार्य जिला योजना में होगा। यह राज्य का मामला है। कहीं भी जिला योजना में इतना पैसा नहीं है कि वह एक प्रोजेक्ट का कार्य भी करा सके। जो योजनायें आपने ली हैं उनको पूरा करें और जिनको डार्क घोषित कर दिया गया है वहां पर किसी सर्वे की जरूरत नहीं है। जो वह कहते हैं कि वाटर लेबल नीचे चला गया है, इसलिए नलकूप लगाना संभव नहीं है।

(व्यवधान)

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां पर शाहपुरा और दुधाना जो गांव हैं, उनको टैप वाटर से जोड़ दें और जो यहां स्वीकृत हैं उन्हें तुरन्त कराने की कृपा करें। एक बात यह है कि हर जगह जल निगम में उच्च अधिकारियों में परस्पर झगड़ा चल रहा है, जिससे कार्य अवरुद्ध होता है। जहां अन्तिम वर्ष होता है एम0 डी0 का चीफ इंजीनियर और एम0 डी0 में झगड़ा शुरू हो जाता है। चीफ इंजीनियर सोचता है कि यह जाएं किसी तरह तो हमें एम0 डी0 बनने का मौका मिले। तो हमारे यहां भी इसके चलते कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। इसमें मंत्री जी हस्तक्षेप करें। हमारे यहां के एम0 डी0 के ईमानदार और सख्त होने के बावजूद इसके चलते योजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। (व्यवधान) पानी को भीषण समस्या है सरकार योजनाओं में राज्य स्तर से धन उपलब्ध कराकर उनको विभिन्न योजनाओं में जुड़वाने का कष्ट करे।

श्री हरदेव—

माननीय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र रसड़ा, जनपद बलिया की ओर इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां हमारे सूखा क्षेत्र में हैन्ड पम्प्स लगवाने के लिए मंत्री जी ने 85 में सर्वे कराया है। उसमें 698 गांव रसड़ा के प्रभावित रहे, जिनको 402 ग्राम सभाओं में 86-87 में हैन्ड पम्प्स लगाने थे, लेकिन वह नहीं लग सके। इसके लिए 8 लाख रुपया गया, फिर 9 लाख रुपया भेजा गया 87-88 में और फिर 18 लाख रुपया भेजा गया, परन्तु हमारे दुर्भाग्य से उसको अल्पबचत में डाल दिया गया। अब तक हैन्ड पम्प्स नहीं लग सके हैं, लोगों को वहां काफी परेशानी रहती है। उसके बाद यह घटना हुई, 71-72 में, जांच करके लिस्ट बनी थी, तब से परिस्थितियां बदल गई, बहुत से गांव बढ़ गये, और उनका पानी का तल नीचे चला गया। इसलिए विषम परिस्थितियों में आवश्यक हैन्ड पंम्प की आवश्यकता ज्यादा पड़ी। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अऊ, जनपद बलिया में रसड़ा का सर्वे कराकर अधिक से अधिक हैन्ड पम्प लगवाने की कृपा करें। जहां-जहां लगवाएंगे, उसकी लिस्ट मंगवा लें और वह हमें भी दिखा दें।

(व्यवधान)

श्री हरदेव —

माननीय, चकराता में भी पीने के पानी की समस्या है उसको भी दूर करने की व्यवस्था की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देव कुमार यादव—

माननीय, मैं बुन्देलखण्ड से आता हूं जो कल अभाव का क्षेत्रिक...

श्री अधिष्ठाता—

आप संक्षेप में अपनी बात कहें, 79-80 की बातों को बार-बार न दोहराएं। क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में कहें, कुछ सुझाव देने हों तो दें।

श्री देव कुमार यादव—

माननीय, बांदा जनपद में ललितपुर है। माननीय, 1987 में बांदा के बारे में सवाल किया था इसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि 1,207 रवन्यू गांव हैं। जिसमें माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि 1,000 गांव जल अभाव से ग्रस्त हैं वहां सूखे की स्थिति पैदा हो गई है यही स्थिति दूसरे जनपदों की हो गई है। कुएं सूखने वाले हैं जो टंकियां बनी हैं वह पानी नहीं दे रही हैं आपका सिस्टम फेल हो गया है। पाठा पेयजल योजना का 9 जनवरी, 1974 में स्वर्गीय श्रीमती गांधी ने उद्घाटन किया था। 240 गांव को पयजल उपलब्ध करायेंगे, लेकिन पाठा एक-एक बूंद पानी को तरस रहा है। माननीय, दो मिनट का समय और दे दें। 1971-81 की जनगणना के आधार पर यह हिसाब लगाया जा रहा है। मेरी जानकारी है जो रिग मशीनें और ब्लास्टिंग मशीनें भेजी गई हैं हमें सूचना मिली है कि उसको बांदा से हटा दिये गये हैं जिससे हमारे क्षेत्र में बोरिंग नहीं हो सकेगी।

श्री अधिष्ठाता—

यादव जी समाप्त करें।

श्री देव कुमार यादव—

मैं आग्रह करूंगा कि बांदा में 78 में 8 ट्यूबवेल बोर करायेंगे?

श्री अधिष्ठाता—

दो मिनट का समय दे दिया गया उसके बाद अगर आपको कुछ कहना है तो आप लिखकर दे दें।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी का नाम पुकारने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने तिवारी जी को बुला लिया है।

श्री देव कुमार यादव—

माननीय, मुझे आधा मिनट और दे दें।

आठ ट्यूबवेल 78 में बोर हुए थे उसमें मैंने मांग की थी कि केन नदी पर सेल्फ सफिसिएन्ट योजना बनवायें इसके अलावा रुऊ जमुना नदी पर पेयजल योजना लगाएं, तो आधे बांदा जनपद को पानी मिल सकता है। खाना नहीं, पानी नहीं, जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। अगर कुछ न किया गया तो हमारे यहां भी चित्रकूट जैसी स्थिति आ जायगी, जैसे कि चित्रकूट में 200-300 आदमी पेयजल के अभाव में मर गये थे।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय यादव जी अब समाप्त करें।

श्री देव कुमार यादव—

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप कितने गांव सूबे भर में पेय जल के अभाव से ग्रस्त मानते हैं और पयजल उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री प्रकाश नारायण अवस्थी—

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। माननीय, मैं अपने जनपद फतेहपुर के संबंध में कहना चाहता हूं। वहां पर जो धन इसके लिये था उसमें 30 प्रतिशत धन की कटौती कर दी गयी है। मैं जिले के अधिकारियों से मिला था तो उन्होंने कहा कि एक भी हैण्ड पम्प नहीं लग सकता है क्योंकि जो रुपया था उसमें 30 प्रतिशत की कटौती हो जाने के कारण हमारे ऊपर 10 लाख रुपये की लायबिलिटी आ गयी है और हम उसके लिये सामान खरीद चुके हैं। तो माननीय, यह जो कटौती के कारण लायबिलिटी आ गयी है उसको अगले वर्ष पूरा कर दें तो समस्या का समाधान हो सकता है। इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर पेयजल योजना में टंकियां बनवायी जाती हैं तो जो नम्बरी गांव होते हैं उनमें तो पानी की व्यवस्था हो जाती है लेकिन जो नंबरी गांव के मजरे होते हैं वह छूट जाते हैं और वहां पर हैण्ड पम्प नहीं लग पाते हैं और न वहां पर पाइप लाइन जा पाती है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं जैसे मासी मजरा, हरी खेड़ा, बबई मजरा, बाबूपुर, मोतीपुर, कपिल मजरा, गढ़रियनपुर, बरहर मजरा के उदरा, कंजरनेखेड़ा मजरे कुम्हारखेड़ा, बाबूपुर, पांडेपुर मजरा—बलिया बाग, सेवाकन, मजरा कंजरनेखेड़ा, यह जो मजरे हैं इनमें पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पायी है। इसी तरह से मैं पेयजल योजनाओं के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां कपिल, गोरारो, आजमतपुर योजनाएं बनायी जायं। इन योजनाओं को पूरा करवा दें इन्हीं शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं।

आवास एवं नगर सम्पत्ति राज्य मंत्री (श्री श्रीनाथ सिंह)—

माननीय, माननीय शाही जी ने जो यह कहा कि समस्याग्रस्त गावों का चयन ठीक से नहीं होता है तो जो विभाग के मानक हैं उसके अनुसार हुआ है। हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटियां रह गयी हों। उन्होंने कहा कि हमारे यहां एक पेयजल समूह योजना बनवा दी जाय तो उसके लिये मंत्री जी ने कह दिया है और मैंने भी लिख दिया है, उसका परीक्षण करवा लिया जाय और लगाने की आवश्यकता होगी तो अवश्य लगा दिया जाय। माननीय माता प्रसाद पान्डेय जी ने भी सुझाव दिये लेकिन साधनों के बारे में नहीं कहा। साधन हमारे पास सीमित हैं। माननीय तिवारी जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं उन्होंने पूछा कि कितने गांव समस्याग्रस्त हैं तो 72 और 85 की जो सूचना है उसके अनुसार 7,830 गांव थे जिनमें से 6,169 गांव शेष रह गये हैं। सन् 87 की सूखा राहत योजना में जो सूचना बनायी गयी थी उसके मुताबिक 19936 गांव थे जिसमें से 3631 गांव शेष रह गये हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पेयजल समस्या बहुत गंभीर है। माननीय सदस्य मांग करते हैं कि हमें हैण्ड पंप दे दीजिये लेकिन यह जो जनप्रिय योजना है उसके लिये साधन कम है। साधनों की उपलब्धता पर यह निर्भर है। जैसा कि माननीय सदस्य हरोज जी ने कहा, मेरे जिले गोंडा में पानी का स्तर नीचे जा रहा है। इसी तरह से चाहे पाठा हो,

मथुरा या आगरा हो, पानी की समस्या गंभीर है। साधन सीमित हैं इसीलिये इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे और परीक्षण करवायेंगे जितना ही सकेंगे संसाधन जुटाने की कोशिश की जायगी कि गावों की पेयजल योजनायें सुनिश्चित की जायं। जहां पैसा उपलब्ध है वहां निश्चित रूप से हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, यह तो माननीय मंत्री जी भी मानते हैं कि हवा और पानी यह दोनों चीजें बहुत आवश्यक हैं। कोई वेलफेयर स्टेट हो या समाजवादी स्टेट हो उसका सर्वप्रथम कर्त्तव्य होता है कि कम से कम पेयजल अवश्य उपलब्ध कराये। खाने की कमी हो सकती है लेकिन पेयजल न मिले तो जीना दुस्वार हो जाता है। हजारों गावों में अभी भी शुद्ध पेयजल की कमी है यह सरकार मानती है। तो क्या आपकी मंत्री परिषद् प्राथमिकता देकर इस काम के लिये स्पेशल फण्ड एलाट करेगी या केन्द्र से मांगेगी या वर्ल्ड बैंक से मांगेगी ?

श्री श्रीनाथ सिंह—

आप लिख कर दे दीजिये और आ जाइयेगा, जो हो सकेगा, वह मैं करा दूंगा।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, जो इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पाइप लगाने हेतु स्थल चयन किया जाता है, उसके बारे में मेरी जानकारी है कि जल निगम के अधिकारी जो जाते हैं, वे प्रधानों के द्वारा स्थल चयन कराते हैं। असुविधा यह शिकायत है कि प्रधान अपने दरवाजों पर हैण्ड पाइप लगवा लेते हैं, जैसे किशुनपुर कोड़िया, वहां के प्रधान ने अपने दरवाजे पर हैण्ड पाइप लगाने के लिये रखा लिया है, वहां पर चार हरिजन कोरियों के परिवार हैं, जहां पर हैण्ड पाइप लगाना नितान्त आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय विधायकों से भी उस स्थल चयन की पुष्टि कराने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीनाथ सिंह—

माननीय शुक्ला जी ने जो पूछा है, इस सम्बन्ध में स्थल-चयन की जो प्रक्रिया है, वह अभी तक ग्राम प्रधानों के माध्यम से होती है और जहां पर कोई झंझट होता है, तो वहां पर जिलाधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी को बैठाल लिया जाता है और उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है।

श्री शारदा प्रताप—

क्या माननीय विधायकों के सुझाव पर भी स्थल चयन कराने की कृपा करेंगे ? माननीय सदस्यों का भी स्थल चयन में सहयोग लेंगे ?

श्री श्रीनाथ सिंह—

माननीय विधायक तो अपने क्षेत्र का सर्वोसर्वा होता ही है, उसकी बातों पर ध्यान दिया जाता है और ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री फजलुल बारी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुछ गांव ऐसे हैं कि जिनकी आबादी 6 हजार से ऊपर है, जैसे हमारे क्षेत्र में दो गांव ऐसे हैं, जिनकी आबादी 8 हजार और 6 हजार है, वे गांव इटई रामपुर और गजपुर गंज हैं। इटई रामपुर में 85 परिवार हैं। इस पर इतने

वित्तीय वर्ष में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिये कोई योजना बनायेंगे ? नल वाला तो काम वहां पर हो ही नहीं सकता, तो कैसे उनको स्वच्छ जल मिल सकेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

आप इसे अलग से लिख कर भेज दीजिये, उसकी व्यवस्था माननीय मंत्री जी करा देंगे ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, वहां पर नल लग ही नहीं सकता है, तो वहां पर स्वच्छ जल पहुंचाने की क्या योजना बनायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री श्रीनाथ सिंह—

जैसे-जैसे साधन जुटेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वहां पर पेय जल की व्यवस्था हो जाय ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं दो चीजें जानना चाहता हूं । माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि परीक्षण करवाने के बाद देवरिया में पथरदेवा में पेयजल टंकी का निर्माण कराया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी मशीनें पथरदेवा में पहुच गयी हैं, किन्तु दीवानी मे विवाद के कारण उस समय कार्य आरम्भ नहीं हो सका, माननीय मन्त्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश भी कर दिया है, तो अब परीक्षण की कोई चीज रह भी नहीं गयी है ।

(समय रात्रि 8-00 बजे)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसको अतिशीघ्र लगवाने की व्यवस्था कर दें पथरदेवा टंकी की ।

श्री श्रीनाथ सिंह—

साधन उपलब्ध होते ही तुरन्त लगवा दिया जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, एक अंश रह गया है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 8 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊः

9 मार्च, 1989

मालचन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नमूना प्रति

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11 पर)

1988-89 में कृषकों को वितरण हेतु उपलब्ध कराये गये गेहूं बीज की जनपदवार मात्रा :

क्रम सं0	जनपद का नाम	उपलब्ध कराये गये गेहूं बीज की मात्रा
1	2	3
		(मैट्रिक टन में)
1	सहारनपुर	521.3
2	मुजफ्फरनगर	618.4
3	मेरठ	598.3
4	बुलन्दशहर	781.5
5	गाजियाबाद	437.8
6	अलीगढ़	614.4
7	मथुरा	624.8
8	आगरा	482.1
9	मैनपुरी	562.2
10	एटा	544.2
11	बरेली	721.8
12	बदायूं	694.4
13	शाहजहांपुर	872.6
14	पीलीभीत	449.5
15	बिजनौर	651.4
16	मुरादाबाद	1022.0
17	रामपुर	479.8
18	फर्रुखाबाद	534.3
19	इटावा	428.3
20	कानपुर (नगर)	112.0
21	कानपुर (देहात)	456.7
22	फतेहपुर	469.5
23	इलाहाबाद	526.0
24	झांसी	287.3
25	ललितपुर	138.2
26	जालौन	327.3
27	हमीरपुर	302.5
28	बांदा	247.8
29	चित्रकूट	631.0
30	मिर्जापुर	326.3
31	बीरपुर	620.5
32	गाजीपुर	522.1
33	बलिया	615.5
34	गोरखपुर	918.2

1	2	3
		(मैट्रिक टन में)
35	बेकलिया	824.7
36	बस्ती	768.1
37	आजमगढ़	797.9
38	लखनऊ	351.7
39	उन्नाव	567.0
40	रायबरेली	587.6
41	सीतापुर	716.0
42	हरदोई	608.0
43	खीरी	593.1
44	फैजाबाद	702.1
45	गोण्डा	470.3
46	बहराइच	468.7
47	सुल्तानपुर	332.5
48	प्रतापगढ़	378.2
49	बाराबंकी	337.9
50	नैनीताल	446.1
51	अल्मोड़ा	78.4
52	पिथौरागढ़	62.3
53	चमोली	62.6
54	उत्तरकाशी	60.0
55	टिहरी	89.2
56	पौड़ी	70.7
57	देहरादून	121.1

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर))

वर्ष 1987-88 में मरम्मत कार्य

	रुपया
1—महिला चिकित्सालय, हरदोई के मेन गेट के मरम्मत का कार्य लगत रु0	4,305.40
2—महिला अधीक्षिका निवास की दीवाल में मरम्मत का कार्य	3,854.10
3—महिला चिकित्सालय के मेन गेट के फाटक मरम्मत का कार्य	4,601.95
4—महिला अधीक्षिका के निवास में चाहार दीवारी के मरम्मत का कार्य	1,754.55
5—महिला चिकित्सालय में मेन गेट के प्लास्टर का कार्य	2,530.00
6—मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में दीवाल का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य	4,141.80
7—महिला चिकित्सालय के जनरेटर रूम की मरम्मत का कार्य	1,466.00
8—महिला चिकित्सा अधीक्षक के निवास में दरवाजा मरम्मत का कार्य	3,729.20
9—मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में मरम्मत कार्य	1,384.10
10—मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के पीछे ड्रेन का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य	4,263.20
11—मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के पीछे मिट्टी भराव एवं फर्श मरम्मत का कार्य	2,465.20
12—प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, हरपालपुर के डा0 निवास में मरम्मत का कार्य	1,220.45
13—प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, हरपालपुर के डा0 निवास के पीछे बरामदा मरम्मत का कार्य	2,631.65
14—महिला चिकित्सालय हरदोई के मेन गेट के चाहार दीवारी मरम्मत का कार्य	2,478.60
15—महिला चिकित्सा, हरदोई में पी0 पी0 सेल्टर के सामने शिक्षशेड का एवं मरम्मत का कार्य	4,798.00
16—प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, पिहानी के चाहार दीवारी का मरम्मत कार्य	5,100.00
17—महिला चिकित्सालय, हरदोई के मेन गेट के दीवाल मरम्मत का कार्य	4,524.80
18—प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, मरखमी के भवनों के विशेष मरम्मत का कार्य	11,774.80
19—महिला चिकित्सालय, हरदोई के फार्मेसिस्ट निवास में मरम्मत कार्य	4,174.85
20—मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में लैटरीन रूप में मरम्मत का कार्य	4,755.80
21—महिला चिकित्सालय, हरदोई के सरजिकेल वार्ड में छत की विशेष मरम्मत का कार्य	25669.05
22—महिला चिकित्सालय, हरदोई के प्राइवेट वार्ड सं0—2 के मरम्मत का कार्य	1956.80
23—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कछाना की बिजली फिटिंग्स मरम्मत का कार्य	3500.00
24—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिहानी की बिजली फिटिंग व मरम्मत का कार्य	4755.00

	रुपया
25—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहाबाद की बिजली फिटिंग व मरम्मत का कार्य	4000.00
26—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरपालपुर की बिजली फिटिंग व मरम्मत का कार्य	4798.00
27—मु0चि0अ0अधि0 के कार्यालय के बरामदा में मरम्मत का कार्य	2259.00
28—महिला चिकित्सालय, हरदोई के दूसरे गेट की मरम्मत का कार्य	5149.50
29—महिला चिकित्सालय, हरदोई में ब्रिकसोलिंग एवं मरम्मत का कार्य	5834.15
30—महिला चिकित्सालय, हरदोई के महिला वार्ड के बरामदें में मरम्मत का कार्य	4096.30
31—उपकेन्द्र कौडा (प्रा0स्वा0 बावन) के भवन की विशेष मरम्मत का कार्य	16401.60
योग ..	162745.75

1987–88 में निर्माण कार्य

1—महिला चिकित्सालय, हरदोई के सामने ब्रिक सोलिंग का कार्य	20522.40
2—महिला चिकित्सालय, हरदोई के आउट डाक्टर ड्यूटी रूम में पंटेशन वाल का निर्माण	3049.80
3—महिला चिकित्सालय, हरदोई के प्रांगण में ब्रिक सोलिंग का कार्य	31747.50
4—कार्यालय उप मु0चि0अधिकारी (3) के सामने एक पेशाब घर का निर्माण	5066.70
5—कार्यालय उप मु0चि0अधि0 (3) के सामने टीनशेड का निर्माण	5100.00
6—उप केन्द्र बघौली (प्रा0स्वा0 केन्द्र अहिरौली) के चाहार दीवारी का निर्माण	27937.80
7—उप केन्द्र रारा (प्रा0स्वा0 केन्द्र बावन) के चाहार दीवारी का निर्माण कार्य	34578.00
योग ..	128002.20

नत्थी "ग"

(देखिये अता० प्र० स० 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

जिला चिकित्सालय, बस्ती में स्वीकृत पदों की संख्या एवं मानक के अनुसार स्वीकृत होने वाले पदों की संख्या—

क्रम-संख्या	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	मानक के अनुसार, जो पद स्वीकृत होन हैं
1	2	3	4
1	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक	1	1
2	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	3	3
3	सीनियर फिजीशियन	1	1
4	सीनियर सर्जन	1	1
5	सीनियर आर्थोसर्जन	1	1
6	सीनियर पैथोलोजिस्ट	1	1
7	सर्जन	1	1
8	फिजीशियन	1	1
9	पैथालोजिस्ट	1	1
10	ई0एम0ओ0	2	2
11	जी0डी0एम0ओ0	1	1
12	डेन्टल सर्जन	1	1
13	नेत्र शल्यक	1	1
14	ई0एन0टी0सर्जन	1	1
15	आर्थोपैडिक सर्जन	1	1
16	बालरोग विशेषज्ञ	1	1
17	सीनियर आर्थोसर्जन	1	1
18	मातृकी	1	4
19	सहायक मातृका	2	6
20	सिस्टर एवं वार्ड मास्टर	10	15
21	नर्सेज	30	30
22	ओ0टी0 सुपरवाइजर	1	1
23	फार्मेसिस्ट	13	23
24	वार्ड ब्वाय एवं वार्ड आया	30	30
25	स्वीपर एवं स्वीप्रेस	20	30
26	कुक	4	30
27	कहार	6	30
28	धोबी	5	6
29	मिस्ती	3	6

1	2	3	4
30	टेलर	1	1
31	चौकीदार	3	5
32	माली	3	4
33	प्यून	2	3
34	लैब अटेन्डेन्ट	2	2
35	डार्क रूम अटेन्डेन्ट	1	1
36	क्लीनर	1	1
37	ड्राइवर	2	2
38	वार्ड ब्वाय ई0एन0टी0	1	1
39	वार्ड ब्वाय (आई सेक)	1	1
40	वार्ड ब्वाय (आर्थो)	1	1

महिला चिकित्सालय, बस्ती में स्वीकृत पदों की संख्या एवं मानक के अनुसार स्वीकृत होने वाले पदों की संख्या—

1	2	3	4
1	वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक	1	1
2	सीनियर गायनोकोलोजिस्ट	2	2
3	डी0डी0एम0ओ0	1	1
4	ई0एम0ओ0	2	3
5	निश्चेतक	1	1
6	मात्रिका	..	1
7	सहायक मात्रिका	..	1
8	सिस्टर	6	8
9	उपचारिका	11	15
10	ओ0टी0सुपरवाइजर	..	1
11	सिस्टर ओ0टी0	..	1
12	उपचारिका ओ0टी0	..	1
13	उपचारिका (लेबररूम)	..	2
14	चीफ फार्मासिस्ट	2	2
15	फार्मासिस्ट (ओ0पी0डी0)	4	4
16	आया	11	14
17	स्वीप्रेस/स्वीपर	12	16
18	धोबी	2	2
19	माली	1	1

1	2	3	4
20	कुक	3	4
21	कहार	3	4
22	भिस्ती	2	2
23	वार्डरली पीओन	..	2
24	स्वीपर्स ओ0टी0	..	1
25	आया लैबररूम	2	2
26	चौकीदार	2	3
27	चिकित्सा अधिकारी	1	1
28	वार्ड आया	1	1
29	पैथोलोजिस्ट	1	1
30	लैब टेक्नीशियन	1	1
31	अटेन्डेन्ट	1	1
32	ड्राइवर	..	1
33	क्लीनर	..	1

सत्यमेव जयते

"नत्थी ध"

(माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों के आदेश के लिए देखिए पीछे पृष्ठ सं0 77 पर)

श्री सतीश चन्द्र—

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा बजट पर उन्हें बधाई देना चाहता हूं। साथ ही उनका ध्यान आगरा नगर की कुछ स्वास्थ्य व चिकित्सा संबंधी समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आगरा मेडिकल कालेज का स्थानान्तरण का मामला बहुत अरसे से लम्बित है और राज्य सरकार उस पर अन्तिम निर्णय लेने से कतराती रही है। वर्तमान भवन के रास्ते अत्यन्त संकरे हैं तथा उन पर आवागमन की अत्यन्त असुविधा है। अतः वर्तमान इ0 एस0आर0 अस्पताल भवन से मेडिकल कालेज को स्थानान्तरित किया जाय और इ0एस0 आर0 अस्पताल वर्तमान कालेज भवन में खोल दिया जाय।

मेडिकल कालेज में चार नये विभाग को खोलने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है। चर्म रोग, क्षय रोग, हृदय रोग तथा मनो रोग। परन्तु उनकी साज-सज्जा तथा पैरा मेडिकल स्टाफ नियुक्त नहीं किया गया है।

आगरा अस्पताल से सम्बद्ध पोस्टमार्टम कमरे की हालत अत्यन्त खराब है और उसमें बदबू तथा गंदगी रहती है। यहां भी विभाग द्वारा दो लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत कर दिया है परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है।

आगरा में एक स्वेच्छिक संस्था ने रामबाबू चैरिटेबिल अस्पताल का 12 लाख रुपये की लागत पर भवन निर्मित कर राज्य सरकार को स्थानान्तरित कर दिया है। परन्तु उसकी साज-सज्जा तथा स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष औषधि रूप से सम्बन्धित है। इस संबंध में एक चिन्ताजनक स्थिति यह है कि औषधियां सार्वजनिक इकाइयों द्वारा निर्मित होने पर भी डीलरों से क्रय की जाती है जिन्हें 20 से 25 प्रतिशत कमीशन मिलता है। इस कमीशन का कुछ भाग अन्य क्षेत्र को भी दिया जाता है। फलस्वरूप विभाग से संसाधन का आय-व्यय होता है। विभाग को अविलम्ब यह निर्देश देना चाहिए कि कोई भी औषधि जो सार्वजनिक क्षेत्र में बनती है, बीच के बिचौलिये के माध्यम से नहीं खरीदी जायगी वरन उन्हें सीधे इन्डेन्ट दिये जायेंगे। इससे विभागीय व्यय का सम्यक् उपयोग होगा।

मैं इन सुझावों के साथ कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अशोक वाजपेयी—

मान्यवर, मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं।

1—प्रदेश में दवाओं पर लगने वाला बिक्री कर 6.6 प्रतिशत है जबकि अन्य सूबों में 4 प्रतिशत है। दवाओं की दर वैसे भी बहुत अधिक है अतः दवाओं पर से बिक्रीकर कम किया जाय।

2—तम्बाकू एवं पान मसाला के बढ़ते साम्राज्य पर रोक लगाने हेतु कारगर उपाय किया जाय लगभग 5 लाख लोग प्रतिवर्ष कैन्सर से मरते हैं यह चिंता का विषय है।

3—3 से कलाइटस प्रदेश में इस वर्ष 5000 लोग मरे हैं। अतः इसे रोकने के लिये स्थायी योजना बनायी जाय।

4—डायरिया से प्रतिवर्ष 5 लाख बच्चों की मृत्यु होती है प्रदेश में प्रति मिनट एक बच्चा प्रदेश में मर जाता है। इसे रोकने का उपाय करना चाहिए।

5—आन्ध्र प्रदेश को रोकने को प्रदेश में प्रभावी व्यवस्था की जाय।

6--पूर्वी उत्तर प्रदेश में निरंतर आयोडीन की कमी से उत्पन्न घेंघा इत्यादि रोगों के उपचार की समुचित व्यवस्था की जाय ।

7—नर्सों की ट्रेनिंग गतवर्ष से बंद है उसे प्रारम्भ किया जाय ।

8--आयुर्वेद राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना प्रदेश में की जाय ।

9--पिहानी, हरदोई में सामुदायिक विकास केन्द्र खोलने की कृपा करें ।

10--हरदोई में 500 शैय्या का अस्पताल खोलने की कृपा की जाय ।

श्री मल चन्द—

उपाध्यक्ष जी, सुरक्षित क्षेत्र भदोही, जनपद वाराणसी के विकास खण्ड, सुरियावां में एक महिला डाक्टर अति आवश्यक है निम्नलिखित स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण की आवश्यकता है--

1--अमोली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।

2--महजूदा ग्राम सभा में स्वास्थ्य केन्द्र ।

3--अमियां ग्राम सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।

4--दुर्गागंज बाजार में 15 शैय्या का अस्पताल ।

5--सुरियावां बाजार में 15 शैय्या का अस्पताल ।

6—कुढ़वा में आयुर्वेदिक 15 शैय्या का अस्पताल ।

यह क्षत्र कालीन औद्योगिक क्षेत्र है कालीन क बुनकर प्रत्येक घर में कालीन बनाते हैं कालीन बनाते समय उसको जब ठोंकते हैं तो गर्दा निकल कर नाक, कान ,आंख में जाता है तो तरह-तरह की बीमारियां फैल जाती है, गरीबों की जिन्दगी खराब हो जाती है । यह मेरा क्षेत्र, जिसमें हरिजन पिछड़े लोग ज्यादा हैं अब तक गरीबों के हित में आपके द्वारा कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि जनहित में व्यवस्था कराने का कष्ट करें ।

श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट---

मान्यवर, देश की सबसे बड़ी विधान सभा में सर्वाधिक उपयोगी, बहुजने हिताय स्वास्थ्य विभाग के कल्याणकारी बजट पर बोलने का अवसर दिया है मैं आपका आभार प्रकट करते हुए "सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया" की भावना से प्रेरित बजट का समर्थन करता हूं । विद्वान माननीय विधायक श्री रामआसरे वर्मा द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव का विरोध इस कारण कर रहा हूं, क्योंकि श्री वर्माजी ने कल्याण का बजट का पहलू नहीं देखा, न हीं उन्होंने वे उपलब्धियां देखी और न ही सराही जिनके द्वारा 519 प्रा0 स्वा0 केन्द्र व 559 उप केन्द्र खोले जाने का विवरण है न ही मस्तिष्क ज्वर नियंत्रण हेतु खोले गए अनुसंधान केन्द्र को ही सराहा, एवं बीमार गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं को ही सराहा मैं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र छिबरामऊ में निम्न बिन्दुओं पर भी जावे छिबरामऊ प्रा0 स्व0 की बाउन्ड्री वाल बनवाई जावे तथा 30 शैय्या के स्वीकृत चिकित्सालय का अविलम्ब निर्माण प्रारम्भ कराया जावे एवम् पुनः बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय---

मान्यवर, आपने स्वास्थ्य के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन में श्री वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । श्रीमन माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में आंकड़ों का जाल बिछाकर स्वास्थ्य विभाग में हुई प्रगति को बतलाने का

असफल प्रयास किया है । माननीय मंत्र जी प्रदेश की जनता को भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं श्रीमन् धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलधर्म सार्धनम स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है । मान्यवर प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी खराब है गांव और नगर के 80 प्रतिशत से अधिक लोग जो गरीब हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं वे भयंकर रोग से ग्रसित हैं। और अपने को भगवान भरोसे छोड़कर जी रहे हैं। माननीय मंत्री और इनकी सरकार को इन 80 प्रतिशत लोगों के स्वास्थ्य की न कोई जानकारी है और न ही इनके पास कोई व्यवस्था है । ऐसे लोग जब इलाज के लिये चिकित्सालय जाते हैं तो चिकित्सालय में न तो उन्हें चिकित्सकों की सेवा प्राप्त होती है और न तो दवा। वे आज भी गांव के अनुभव हीन डाक्टरों के ऊपर और ओझा इत्यादि के ऊपर जो मंत्र से रोग ठीक करने का दावा करते हैं उनके पर अपने को छोड़ देते हैं । असमय में अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में 4050 डाक्टर है इनकी किताब इनके कार्यालय में या इनके आंकड़े में उक्त तथ्य सत्य हो सकता है लेकिन प्रदेश के सैकड़ों चिकित्सालय जहां पर डाक्टर होने चाहिए वे डाक्टर विहीन है । आज भी मेरी जानकारी के अनुसार 20 हजार लोगों पर एक डाक्टर है । मान्यवर, मैं बलिया विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वहां पर जनपद चिकित्सालय को गत वर्ष 300 बिस्तर का विस्तार करने की बात तत्कालीन मंत्री जी ने स्वीकार किया था लेकिन अब तक इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं हुयी कृपया आशवासन के अनुसार 300 बिस्तरों का विस्तार करें । बलिया में ब्लड बैंक नहीं है इसके लिये गरीब लोगों को वाराणसी जाना पड़ता है । छोटे मोटे रोग के लिये बलिया के गरीब लोग वाराणसी भेजे जाते हैं। चिकित्सालय में एम्बुलेन्स नहीं है काफी खर्च करके जाना पड़ता है । कृपया ब्लड बैंक और एम्बुलेन्स की तत्काल व्यवस्था करें । एक सरे मशीन विद्युत के अभाव में कार्य नहीं करता कृपया बड़े जैनरेटर का व्यवस्था करें । छाता में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और हनुमानगंज में उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है जमीन भी उपलब्ध हो गयी है जनहित में इसका निर्माण करायें । जब ही दियार शिवपुर दियार जो गंगा के उस पार पड़ते हैं वहां चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है । शिवपुर दियर नयी बस्ती, परसिया, में आयुर्वेदिक चिकित्सालय चल रहे हैं वहां पर डाक्टर और भवन दोनों नहीं है कृपया नाम के चिकित्सालय खोलकर आंकड़े को न बढ़ावें और जनता को बेवकूफ न बनावें । सरकार की यह नीति सबको स्वास्थ्य, यह तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक आप गरीब और पिछड़े लोगों के लिये मुफ्त दवा की व्यवस्था न करें । बलिया के पिछड़ेपन एवं आजादी के लिए लड़ाई में किये त्याग को देखकर शहीद मंगल पाण्डेय के नाम पर एवं मेडिकल कालेज खोलें । यह कार्य शहीद के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना होगा और पूर्वान्चल के पिछड़े लोगों की सेवा भी होगी । परिवार नियोजन के नाम पर गलत नसबन्दी जो हो रही है और निर्धारित कोटा को पूरा करने के लिये बूढ़े, बूढ़िया बालक, विधवा और विधुर का भी आपरेशन हो रहा है । गत वर्ष बलिया में यह कार्य बहुत हुआ । मैंने स्वयं इसकी शिकायत की है कृपया इसकी जांच करें । मैं पुनः कटौती पर बल देता हूं ।

श्री देवता दीन—

माननीय उपाध्यक्ष जी 'आज आपने बोलने का मौका दिया आपका बड़ा आभारी हूं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से बताना चाहता हूं मेरे जिले के जिला चिकित्सा प्रमुख अधिकारी ने लगभग 1986-87 में मस्तिष्क दवा के बजाय तेल खरीदे जिसकी जांच कराई जाय इसके अलावा अपने विधान सभा क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक अस्पताल रायबोझा में 4 वर्ष से कोई दवा नहीं है डाक्टर अस्पताल में बेकार बैठे रहते हैं इस तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अम्बावा हुसेनपुर डाक्टर नहीं जाते हैं कृपया आप जांच करवाने का कष्ट करें आपका बड़ा आभारी हूंगा ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

1—मान्यवर, प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सकों की अत्यन्त कमी है। यहांपर अंशकालिक चिकित्सक भर्ती किये गये हैं। यह व्यवस्था अत्यन्त अव्यवहारिक है इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसलिए वहांपर अंशकालिक चिकित्सकों की स्थाई नियुक्ति कर दी जाय ।

2--वर्तमान चिकित्सालयों को दवाई खरीदने के लिए बहुत कम धनराशि अनुदान के रूप में मिलती है उसे बढ़ाया जाय।

3--जनपद पिथौरागढ़ में 200 शैय्याओं का चिकित्सालय शीघ्र खोला जाय।

4--टिहरी जनपद का मुख्यालय नरेन्द्र नगर से स्थानान्तरित होकर न्यू टिहरी जा रहा है इसतरह प्राप्त भवनों व स्थान का सर्वोत्तम उपयोग वहां पर एक मेडिकल कालेज खोलकर किया जाय।

5--पर्वतीय क्षेत्र में वर्तमान मानकों को शिथिल करते हुए अधिकतम संख्या में प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं डिसपेंसरियां खोली जायं।

6--विशेषतया स्थान पीपली (कनालीछीना) नरायण नगर (कनालीछीना) सौन पट्टी (भूनाकोट) आदि स्थानों पर डिसपेंसरियां खोली जाय।

7--पिथौरागढ़ जनपद के हिमालयी क्षेत्र में जड़ी-बूटियां की व्यापकता वहां पर जड़ी बूटी की खेती की उत्तम संभावना को देखते हुए जनपद के डीडीहाट नामक स्थान पर आयुर्वेदिक शोध संस्थान व औषधि कारखाना खोला जाय।

8--जनपद पिथौरागढ़ में आयुर्वेदिक चिकित्सालय बलुवाकोट, बरम (धारचूला) तथा मदकोट (तनुनस्यारी, का उच्चीकरण कर उन्हें कम से कम 12-12 शैय्याओं वाला चिकित्सालय बनाया जाय।

श्री हरदेव--

1--मान्यवर प्रा0 स्वा0 केन्द्र ब्लाक रसड़ा को जो 24 शैय्या है 30 शैया में बदल दिया जाय तथा यहां भवन बन चुका है इस अस्पताल पर अधीक्षक की नियुक्ति की जाय।

2--रतनपुरा प्रा0 स्वा0 केन्द्र 30 शैय्यों का बन चुका है अधीक्षक की नियुक्ति शीघ्र की जाय।

3--(क) 25 शैय्या का आयुर्वेदिक राजकीय अस्पताल तहसील मुख्यालय रसड़ा पर स्वीकृत है। धन देकर शीघ्र बनवाया जाय।

(ख) हृदय रोग के विशेषज्ञों की तथा मशीन और इलाज की व्यवस्था बलिया तथा मऊ जनपद पर किया जाय।

4--मऊ जनपद में सी0 एम0 ओ0 की जगह खाली है वहां पर ओ0 पी0 गुप्ता उप निदेशक नेत्र उपचार निदेशालय की पोस्टिंग की जाय।

6--डा0 एम0 पी0 गुप्ता बदनाम हैं और मऊ के निवासी है उन्हें मऊ न रखा जाय।

6--एक्सरे मशीन रसड़ा की खराब है शीघ्र ठीक करा दी जाय।

7--जनरेटर, रसड़ा पी0 एच0 सी0 तथा रतनपुरा पी0 एच0 सी0 पर शीघ्र दिया जाय।

8--विद्युत् उपकरण तथा बच्चों की इलाज की मशीन रसड़ा पी0 एच0 सी0 में लगाया जाय।

(1) माननीय, मांग करता हूं कि 7500 रुपये से 8500 रुपये वार्षिक आमदनी वाले सभी कमजोर वर्ग के मरीजों को, प्रयेक अस्पतालों से मुफत दवाएं एवं

भोजन तथा आपरेशन की मदद की जाय । जो 1985 में पास हैं शीघ्र जी० ओ० जारी किया जाय ।

(2) बलिया गड़वार मेडिकल कालेज तथा मऊनाथ भंजन जनपद में राजकीय होम्योपैथिक कालेज खोले जायं ।

(3) कुष्ठ ईकाई रसड़ा में खोली जाय ।

(4) बलिया के सराय भारती प्रा० स्वा० केन्द्र को सामुदायिक स्वा० केन्द्र में 30 शैय्या का बना दिया जाय ।

(5) टीका देवरी नगपुरा में प्रा० स्वा० केन्द्र तथा पहसा ब्लाक रतनपुरा में अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्र खोला जाय तथा ब्लाक सीयर के पूरा पतोई में एलोपैथिक अतिरिक्त स्वा० केन्द्र खोला जाय ।

(6) मरे विधान सभा क्षेत्र में 8 उपकेन्द्र की आवशयकता है लिस्ट सी० एम० ओ० बलिया को दे दिया हूं खोला जाय ।

(7) 6 आयुर्वेदिक अस्पताल तथा होम्योपैथिक अस्पताल की मेरे क्षेत्र में जरूरत है खोला जाय ।

(8) रसड़ा तहसील मुख्यालय में रा० होम्योपैथिक अस्पताल खोला जाय ।

स्वास्थय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट पर आज मैं समर्थन करते हुए निम्न सुझाव तथा मांग करता हूं ।

1--राजस्व विभाग द्वारा नसबन्दी न करायी जाय । क्योंकि जमीन का आवंटन फर्जी नसबन्दी कराकर अपात्र व्यक्ति ले रहे हैं ।

2--जनपद बलिया में वर्ष 1987-88 में की गई नसबन्दी जो 1000 से अधिक की है फर्जी की गई है उसकी जांच मेडिकल बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा कराया जाय तथा रसड़ा तहसील में भू० पू० एस० डी० एम० श्री दूबे, चरौवां ग्राम में 60 नसबन्दी, रेवती ब्लाक में 500 से ज्यादा नसबन्दी फर्जी कागज पर दिखाई गई तथा मार्च, 88 को झूठा आंकड़ा प्रस्तुत करके इनाम बलिया के सभी अधिकारी लिए हुए हैं रसड़ा तहसील में फर्जी नसबन्दी को उत्तर प्रदेश मेडिकल बोर्डद्वारा जांच कराने की स्वीकृति प्रदान की जाय ।

3--सन् 1987-88 में लखनऊ सिविल अस्पताल में आंख विभाग में जितनी आंखें बनायी गई हैं । उसमें 40 प्रतिशत गरीब एवं निर्धन वर्ग के तथा अनुसूचित जाति के आंख का आपरेशन करके खराब कर दिया गया है या पैसे फीस या घूस न पाने के कारण अधिकतर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की आंखें डा० बी० कुमार और डा० मनराज सिंह ने फोड़ डाली हैं । उदाहरणार्थ श्री राम अवध चौकीदार ए ब्लाक दारुल शफा, 2-श्री शिवदेनी पुत्र सखराज पूरा-भुजैनी, बलिया सिविल अस्पताल के पास की एक धोबिन महिला आदि उत्तर प्रदेश मेडिकल बोर्ड से जांच उक्त 87-88 वर्ष की लिस्ट मंगाकर जांच कराई जाय । निष्पक्षता हेतु इन दोनों डाक्टरों को पर्वतीय क्षेत्र में या कहीं दूर हटाकर जांच कराई जाय । जिनकी आंख फोड़ी गई है उन्हें छंटनी पूर्ति 50-50 हजार रुपये की देने की मांग करता हूं ।

श्री सुख पाल पान्डे--

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग के कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं । बस्ती जिले के जिला अस्पताल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं गरीबों को

दवाइ.ां नहीं दी जाती हैं, डाक्टर फीस के बिना लिय इलाज नहीं करते हैं मरीजों के खाने के समान का टेन्डर असामाजिक लोगों द्वारा लिया जाता है और साढ़े तीन रुपये किलो की दर से दूध मरीजों को देते हैं उस दूध में पानी व पाउडर मिला कर दिया जाता है जो बहुत ही अनुचित है कई बार मैने स्वयं निरीक्षण किया है। हरैया अस्पताल में एक्सरे मशीन 1984 में लगाई गई थी आज तक उस एक्सरे मशीन को चालू नहीं किया गया और दो दो मंत्री इस कार्यकाल में बदल भी गये। जिला अस्पताल में मानक के अनुसार कर्मचारी नियुक्त नहीं हैं। फर्जी नसबन्दी की होड़ लगी हुई है। लाखों रुपया फर्जी नसबन्दी कर डाक्टरों ने सरकारी धन लूटा है परन्तु इस लूट में सरकार तथा उच्चाधिकारियों का भी आर्शीवाद उन डाक्टरों को प्राप्त है जिसके कारण वह खुली लूट कर रहे हैं। प्रा0 स्वा0 केन्द्र गावों में खोलते चले जा रहे हैं परन्तु आप अस्पताल के भवन की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। शेर बहादुर सिंह प्रसार शिक्षक प्रा0 स्वा0 केन्द्र जलालपुर में कार्यरत हैं और उसी प्रा0 स्वा0 केन्द्र के निवासी भी हैं। महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग का सरकुलर है कि कोई भी प्रसार शिक्षक अपने गृह जनपद में नहीं रह सकता है परन्तु शेर बहादुर सिंह प्रसार शिक्षक का बार-बार स्थानान्तरण हो जाने के बाद भी रोक कर अपने गृह जनपद के गृह प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर ही कार्यरत हैं।

आर्युवेदिक चिकित्सालयों की उपेक्षा की जाती है मामूली दवा देकर केवल अस्पताल के आंकड़े तैयार किये जाते हैं। प्रा0 स्वा0 केन्द्र जो अतिरिक्त खोले गये हैं उन पर न समय से दवा दी जा रही है और न डाक्टर हैं, और नही कम्पाउन्डर ही हैं और नहीं अस्पताल के भवन की उचित व्यवस्था है जो किराया ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों के भवन के लिये दिया जाता है वह बहुत ही कम है। बस्ती जिले में परिवार कल्याण के लिये दो लाख रुपया नसबन्दी कराने वालों को कम्बल खरीद कर दिये जाने के लिये दिया गया है। परन्तु गांधी आश्रम से कम्बल न खरीद कर बर्तन दिये जा रहे हैं जिसमें भारी कमीशन लिया जा रहा है। बस्ती जिले में नसबन्दी के नाम पर करोड़ों रुपया फर्जी भुगतान डाक्टरों ने मिलकर किया है। लेकिन अब तक संबंधित डाक्टरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

टी0 बी0 अस्पताल में मरीजों को खुराक कम दी जा रही है इसको दूना करना चाहिए। डाक्टर चौरसिया तथा डा0 त्रिपाठी अपने क्वार्टर पर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और फर्जी नसबन्दी करके नाजायज सरकारी धन कमाते हैं। इनके विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही की जाय तथा दन्डित किया जाय। प्रदेश स्तर पर अस्पतालों का निर्माण दूसरे विभागों द्वारा कराया जाता है। वह निर्माण कार्य के लिए स्वास्थ्य विभाग में इंजीनियरों का एक निदेशालय बनाया जाय जिसमें नियुक्ति करके स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ही अस्पतालों का निर्माण कराया जाय। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वर्ष 1984 में हरैया में एक्सरे मशीन लगाई गई थी परन्तु अब तक वर्ष 1989 तक चालू नहीं की जा सकी। मैं तो समझता था कि मा0 मंत्री जी विभाग पर स्वयं चढ़े हुए हैं परन्तु विभाग मंत्री जी के ऊपर चढ़ा हुआ है और माननीय मंत्री जी की बात सुनने को तैयार नहीं है स्वास्थ्य निदेशालय में एक-एक सेक्शन में अधिकारी व कर्मचारी पांच-पांच दस-दस वर्षों से कार्यरत रहकर एक ही विभाग की डीलिंग करके खुली लूट कर रहे हैं। इनका स्थानान्तरण करके कार्यवाही की जाय में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम कृष्ण—

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बछरेहरा सीतापुर में चिकित्सा का अभाव है यह क्षेत्र हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है। पिछड़े क्षेत्र गोदलामऊ में तीन वर्षों से पी0 एच0 सी0

बन रही है अभी तक धनाभाव में नहीं पूरी हो सकी है तथा 20 कि0मी0 तक कोई भी अस्पताल नहीं है एवं भूड़का क्षेत्र होने से रास्ता भी नहीं है मरीज अस्पतालों तक पहुंचते मर जाते हैं दवा की व्यवस्था नहीं ह गोदलामऊ में पी0 एच0 सी0 पर कोई डाक्टर एवं दवा भी नहीं उपलब्ध है। मेरे क्षेत्र के सन्दना कस्बे में 30 शैय्या वाला चिकित्सालय बनाया जाय एवं औरंगाबाद में भी पी0 एच0 सी0 खोली जाय परसदा में चिकित्सा हेतु एक अस्पताल खोला जाय तथा पिछड़े क्षेत्र के ग्राम मधवापुर व लौली एवं सहोली कुचलाई में आयुर्वेदिक डिस्पेसरी तुरन्त खोली जाय जिला योजना से मधवापुर में पास होम्योपैथिक डिसपेंसरी 88, 89 की अभी तक नहीं खोली गई है।

अतः मान्यवर सभी मांगे मानकर इस वर्ष व्यवस्था करने की कृपा करें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर मेरे क्षेत्र एवं जनपद गोन्डा में जो जिला चिकित्सालय है उसका भवन अधूरा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि जिला चिकित्सालय का भवन पूरा कराया जाय और हमारे इस सुझाव को बजट में सम्मिलित किया जाय।

श्री महरम सिंह--

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं तथा निम्नलिखित सुझाव प्रेषित कर अनुरोध है कि आप राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा करें।

1--फतेहगढ़ जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत करके 300 सौ शैय्याओं का अस्पताल बनाया जाये। इस अस्पताल का इस जनपद तथा पड़ोसी जनपदों के लिये अतिप्रभावी सुविधा प्रदान करने की भूमिका निभाने वाला अस्पताल है।

2--जिला अस्पताल फतेहगढ़ में एक नलकूप तुरन्त लगाये जाये जो पहले से स्वीकृत है ।

3--पोस्टमार्टम का भवन बहुत ही गिरी दशा में है तथा पास पड़ोस में धूप और बरसात में कहीं बैठने की जगह नहीं है इसलिए इस भवन का नया निर्माण तथा आने वालों की बैठने के लिये नया टीन शेड डालकर स्थान बनाया जाये ।

4--जिला चिकित्सालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा डाक्टरों के लिये आवास भवन चिकित्सालय एरिया के अन्दर ही बनाया जाये ।

5--जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उप मुख्य अधिकारियों के कार्यालय, चिकित्सालय क्षेत्र में ही नये बनाये जाये ।

6--जिला महिला चिकित्सालय में प्राइवेट वार्डों के कम से कम 4 कमरे बनाये जाये और महिला चिकित्सा अधिकारियों के लिये भवन निर्मित कराये जाये।

7--फर्रुखाबाद के लिजी गंज चिकित्सालय को उच्चीकृत किया जाये।

8--कमालगंज तथा गुरुसहायगंज चिकित्सालयों को उच्चीकृत किया जाये और महिला डाक्टर भेजे जाये ।

9--जिला परिषद् व अन्य संस्थाओं द्वारा चलाये गये औषधालयों का प्रान्तीयकरण कर दिया जाये और फर्रुखाबाद जनपद के रजीपुर तथा अन्य औषधालयों को तुरन्त प्रान्तीयकरण की सूची में घोषित किया जाये।

10--आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का नियंत्रण जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा जाये।

11--फतेहगढ़ जिला चिकित्सालय तथा महिला चिकित्सालय में एक-एक जनरल वार्ड और बनाया जाये।

12--फतेहगढ़ चिकित्सालय में चिकित्सा हेतु बने नवीन भवन में सभी संबंधित यंत्रों को व चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराये।

श्री शारदा प्रताप--

1--मान्यवर, संजय गांधी आयुर्वेदिक संस्थान, लखनऊ के निर्माण में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गयी है पुन प्रभावित परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति को संजय गांधी के संस्थान में नौकरी दिलाये जिससे उनकी भुखमरी की समस्या सुलझ सके तथा शासन की नीति का पालन हो सके।

2--विगत वर्ष लखनऊ जनपद एवं प्रदेश आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को प्रा0 स्वा0 केन्द्र में परिवर्तित कर दिया गया है परन्तु आयुर्वेदिक डाक्टर एलोपैथिक डाक्टरों को चिकित्सालयों में बैठने नहीं देते इस मामले को अविलम्ब तय किया जाय। दखिना शेख पुर प्रा0 स्वा0 केन्द्र, चन्द्रावल स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर वहां कभी जाते ही नहीं हैं।

मैं अपने क्षेत्र के ग्राम रहीमनगर पड़ियाना तथा भटगांव पांडे गांव सभायें सही नहीं है दूसरी तरफ उन्नाव जिले के सीमा पर स्थिति है जिसकी आबादी 10 हजार से ऊपर है मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह रहीम नगर पड़ियाना में इसी वर्ष 1989-90 में प्रा0 स्वा0 केन्द्र खोलने की व्यवस्था करेंगे।

श्री बद्री सिंह--

मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं जो आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया है। मैं माननीय श्री गोपीनाथ दीक्षित मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं तथा कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मान्यवर स्वस्थ नागरिक ही सबल राष्ट्र के प्रतीक है और स्वास्थ्य सब प्रकार की कल्याणकारी कार्यों का प्रारम्भिक बिन्दु है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अन्तर्गत प्रदेश में मैदानी जनपदों में 30, 000 की जनसंख्या वाले तथा पर्वतीय जनपदों में 20,000 की जनसंख्या वाली जगहों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा क्रमश: 5,000 एवं 3,000 की आबादी पर एक उपकेन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है इसके लिये हमारी सरकार व मुख्य मंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं तथा आगामी वर्ष 1989-90 में शेष 519 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 559 उप केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है इसके लिये भी सरकार बधाई की पात्र है।

मस्तिष्क ज्वर की भयंकर बीमारी का सरकार बड़ी सूझबूझ से मुकाबला कर रही है, घातक बीमारियों के लिये रीजनल रिसर्च सेन्टर की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है, प्रशंसनीय है।

गर्भवती महिलाओं को टिटनेस व शिशुओं को पोलियों से बचाने के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, प्रशंसनीय है ।

होम्योपैथिक ड्रग रिसर्च इन्सटीट्यूट की स्थापना की गई है सरकार बधाई की पात्र है ।

मैं अपने क्षेत्र की समस्यायें रख रहा हूं । मैं कालपी क्षेत्र जनपद जालौन से विधायक हूं । मेरा क्षेत्र बड़ा विस्तृत, उबड़, खाबड़ व दस्यु प्रभावित क्षेत्र है मेरे क्षेत्र में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, मेरे क्षेत्र के नगर कालपी की आबादी लगभग 60,000 है, कालपी नगर में 50 शैय्याओं का अस्पताल बनाया जावे और मेरे कालपी नगर में जो अस्पताल है उसकी बड़ी दयनीय दशा है उसमें सुधार किया जावे ।

मेरे क्षेत्र के ग्राम परासन, केठौदा बुजुर्ग, न्यामतपुर, पाली फसमरिया, भेंड़ीखुर्द, बसरेही ग्रामों में उपकेन्द्र खोले जावे ।

कालपी अस्पताल में एक एम्बुलेन्स बस भेजी जावे ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान जनपद गाजीपुर एवं जनपद बलिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं ।

1—जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड कासिमाबाद में 30 बेड का अस्पताल स्वीकृत है, जिसका भवन नहीं बनाया गया है । यह भवन भूमि के अभाव में नहीं बन रहा है । आप भूमि उपलब्ध कराकर भवन बनवाने की कृपा करायें ।

बरेसा में एक अस्पताल अति आवश्यक है ।

मरदह के अस्पताल में स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल पाता है । क्योंकि उस स्थान पर नलकूप का मोटर एवं अन्य चीजें बहुत दिनों से खराब हैं ।

निम्न स्थानों पर स्वयं बलिया जायिसथा ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है । वहां पर भूमि विभाग द्वारा क्रय किया जाना अति आवश्यक है । इस जनपद में कई अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं । वहां पर डाक्टर की व्यवस्था की जानी चाहिये । गाजीपुर की सदर अस्पताल में बहुत ही गन्दगी रहती है । वहां पर जेनरेटर चलाया जाना चाहिये । आयुर्वेदिक अस्पतालों में डाक्टर नहीं है । उस स्थान पर डाक्टर नियुक्त करके पोस्टिंग की जानी चाहिये ।

जनपद बलिया में विकास खण्ड रसड़ा के ग्राम मुडेरा में 6 बेड का अस्पताल स्वीकृत है । मुडेरा में कोई डाक्टर की पोस्टिंग नहीं की गयी है । यहां पर मेडिकल इक्यूपमेन्ट सीमित है । इस अस्पताल का अपना भवन नहीं है । आपसे निवेदन है कि उक्त भवन को बनवाने के लिये धन आवंटित कराकर उसका भवन बनवाने की कृपा करवाने का कष्ट करें ।

श्री बलराम यादव—

मान्यवर, आज चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की चल रही चर्चा में मेरे अधोलिखित सुझाव सम्मिलित कराने का कष्ट करें ।

1—मेरे निर्वाचन क्षेत्र अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत निर्माणाधीन उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र अतरौलिया का निर्माण अबिलम्ब कराने का कष्ट करें ।

2—नवस्थापित प्रा0स्वा0 केन्द्र सेनपुर, बढ़वा नटियांव विकास खण्ड अतरौलिया तथा दियापार, अतरैठ गोपालगंज विकास खण्ड कोयलसा तथा मेंहौरा तथा कुसम्हरा विकास अहरौला मेंभआज तक डाक्टरों, नर्सों की नियुक्ति नहीं हुई है । अबिलम्ब नियुक्ति कराने का कष्ट करें ।

श्री गोपी नाथ वर्मा---

माननीय, जनपद फैजाबाद के स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत चिकित्सालयों व कार्यालयों में व्याप्त गम्भीर भ्रष्टाचार एवं राजस्व क्षति के अति महत्वपूर्ण विशिष्ट मामलों विषयक कहना चाहता हूं:--

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये मुझे आपके संज्ञान में लाना है कि जनपद फैजाबाद के चिकित्सालयों प्रेशर डिलीवरी से होने वाली मृत्युओं, फर्जी नसबन्दी के मामलों, स्वास्थ्य विभाग हेतु निर्मित एवं निर्माणाधीन आवासीय भवनों पर स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मचारियों द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जों आदि के बारे में विशिष्ट उद्धरण सहित शिकायतें किये जाने अनेक समाचार पत्रों में इन विषयों का खुलासा होने के बाद भी जिलाधिकारी, फैजाबाद से लकर शासन स्तर तक से सम्बन्धित दोषी लोगों को न केवल बचाया जाता रहा है बल्कि संरक्षण भी दिया जाता रहा ह ।

पत्र के साथ संलग्न मुद्रित पर्चों विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित स्वास्थ्य विभाग फैजाबाद से सम्बन्धित समाचारों और इन समाचारों में दिये गये विशिष्ट उद्धरणों के अवलोकन से स्वत: आपको स्पष्ट हो जायेगा कि यहां भ्रष्टाचार किस सीमा तक है ।

कुछ मुख्य-मुख्य बातें पुन: एक बार आपके संज्ञान में लायी जा रही हैं जैसे--

1--भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम परिवार कल्याण के फर्जी आपरेशन दिखाकर गम्भीर राजस्व क्षति किये जाने सहित राजपत्रित अधिकारियों द्वारा शासन को गुमराह करने और राष्ट्रद्रोह योग्य कृत्य किया गया है ।

इस बारे में जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद को स्टाम्प ड्यूटी अदा करके दिये गये प्रार्थना-पत्र व शपथ-पत्र पर जिलाधिकारी श्री राम शरण श्रीवास्तव ने मजिस्ट्रेट से जांच कराकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया । पर चूंकि जिलाधिकारी भी इस बड़े घोटाले में शामिल है इसलिये उन्होंने लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक कुछ नहीं किया ।

इसी मामले से सम्बन्धित एक चिकित्साधिकारी डा0 कर्ण सिंह का निदेशालय स्तर से तबादला हुआ पर शासन स्तर से हस्तक्षेप करके तबादला रोक दिया गया, जांच की कार्यवाही भी दबा दी गयी ।

2--फैजाबाद के राजकीय महिला चिकित्सालय में प्रेशर डिलीवरी से होने वाली मृत्युओं की लड़ाई चल रही थी कि इसी बीच एक श्रीमती शकुन्तला पाण्डेय की भी मृत्यु इसी तरह हो गयी ।

जिलाधिकारी फैजाबाद ने नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करायी और जांच आख्या आने पर स्वयं कोई कार्यवाही न करके विभागीय कार्यवाही के लिये जांच आख्या भेज दिया जो कहीं चली गयी पता नहीं .... ?

दिनांक 28 जून, 1986 को इन शिकायतों को विधान परिषद् में सदस्य माननीय श्री लालजी वर्मा द्वारा उठाया गया था और सभापति द्वारा कार्यवाही का आश्वासन देने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और शकुन्तला भी इसकी शिकार हुयी ।

श्रीमती पवा कुमारी की मृत्यु के बारे में माननीय श्री अवधेश प्रसाद को भी विधान सभा में भ्रामक उत्तर देकर खानापूरी कर ली गयी ।

3--राजकीय महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में कार्यरत कुछ स्टाफ नर्सों ने भौगोलिक रूप से मिले हुये जिला चिकित्सालय में स्थानान्तरण होने पर अनेक अनियमितता बरत कर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगनादेश ले लिया है और जमी हैं । इन्हीं के विरुद्ध अधिकांश शिकायतें ह पर विभाग मूक दर्शक बना है ।

इस याचिका पर शासन की ओर से पैरवी करने का आश्वासन माननीय अवधेश प्रसाद के एक प्रश्न के उत्तर में गत 2 सत्र पूर्व विधान सभा में दिये जाने के बाद भी आज तक कुछ नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि याचिका संख्या 3992/87 पर पैरवी नहीं हो रही है जब कि इसी जनपद की एक याचिका 5222/87 पर शासन/सरकार की ओर से पैरवी करके उसे निरस्त कराया जा चुका है ।

4—गवर्नमेन्ट पूल स्कीम के अन्तर्गत तथा अन्य योजनाओं द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों हेतु निर्मित/निर्माणाधीन आवासीय कक्षों पर एक लम्बे अन्तराल से अवैधानिक कब्जे कर लिये गये हैं वह भी स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मचारियों द्वारा, पर इस मामले में भी स्वास्थ्य विभाग/जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन आज भी मूकदर्शक बनकर कर्मचारियों के दुस्साहसपूर्ण कृत्य को संरक्षण दे रहा है और अनुमानतः 1,50,000 प्रतिवर्ष की राजस्व क्षति को बर्दाश्त कर रहा है ।

उल्लेखनीय है कि फैजाबाद में ही एक लम्बे अन्तराल से कार्यरत महिला/पुरुष कर्मचारियों द्वारा ऐसे कब्जे किये गये हैं । परम्परानुसार अवैध कब्जेदारों को ही आवासीय कक्ष आवंटित किया जाता आया है इसलिये भी कर्मचारियों में ऐसी हरकत का साहस हुआ ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम में लगे एक भी कर्मचारी को आवासीय कक्ष आज तक आवंटित नहीं किये गये हैं और न ही इच्छुक अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची बनाकर यह त्रुटियां अपनायी गयी हैं।

5—महानिदेशक, चि0 स्वा0 एवं परिवार कल्याण की ओर से भेजे गये विभागीय आदेश पत्र संख्या 4—एफ0/1ए—12401—98, दिनांक 4 अप्रैल, 1987 जो निदेशक, प्रशासन द्वारा हस्ताक्षरित है, में कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशों तथा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश होते हुये भी फैजाबाद में इस सरकुलर का अनुपालन नहीं किया गया ।

इसी तरह कर्मचारियों को मुख्यालय से अटैच करके सेवायें लिये जाने के बारे में पूर्व स्वास्थ्य सचिव श्री शयाम सुरी द्वारा जारी शासनादेश संख्या 8762/5-7-382/85, चिकित्सा अनुभाग, दिनांक 15 अक्तूबर, 1985 का खुला उल्लंघन करके कर्मचारियों का अटैचमेन्ट होता आया और आज भी है ।

6—विभिन्न प्रकार की नियुक्तियों में भीषण मनमानी की जाती रही है जो आज भी जारी है । फर्जी प्रमाण-पत्रों तक के आधार पर मनमाने तरीके से आयु सीमा समाप्त कर चुके लोगों तक को सेवा में रखा गया है ।

अभी गत दिनों सेवा-निवृत हुये अपर निदेशक, चिकित्सा स्वा0, फैजाबाद मण्डल ने सेवाकाल के अन्तिम दिनों में मृतक के आश्रित होने का आधार लेते हुये एम0एस0 डब्लू0 के पद पर कु0 रीता देवी को मृतक दाई श्रीमती राम प्यारी की आश्रिता दिखाकर भर्ती कर लिया गया है । एम0 एस0 डब्लू0 का पद केवल पुरूषों के लिये है ।

इससे पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/लिपिकों की नियुक्ति में गम्भीर स्तर मनमानी की गयी है, ऐसे एक दर्जन से ज्यादा मामले हैं ।

6—एक ही वर्ग के लोगों (पी0एस0एस0 सेवा के लोगों) की मनमानी को नियमित/नियंत्रित करने तथा विभागीय लेखा कार्य एवं राजस्व विषयक मामलों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालयों पर नियुक्त "प्रशासनिक अधिकारियों" के कार्य व अधिकार का निर्धारण शासनादेश संख्या 3394/16-11-87-1122/1972, दिनांक 26 अगस्त, 1987, चिकित्सा अनुभाग-11 द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार किया गया जिसमें कहा गया है कि यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या ए0-2-1701/दस-1414/1973, दिनांक 28 जुलाई, 1963 में निहित शर्तों के अनुसार किये गये हैं । पर चिकित्सा सेवा के लोगों ने अतिरिक्त चार्ज एवं मनमानी के ऊपर लगाये जाने वाले इस आदेश की पाबन्दियों के विरुद्ध पहले/

प्रभाव/संख्या का दुरूपयोग करके 6 माह के अन्दर-अन्दर शासनादेश संख्या 492/16-11-88-1122/ 1972, दिनांक 18 मार्च, 1988 द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के अति महत्वपूर्ण कार्यों को हटवाकर नये अधिकार और कर्त्तव्य विषयक सूची जारी कर दी ।

यह गम्भीर भ्रष्टाचार शासन स्तर पर चिकित्सा सेवा संघ के नाजायज दबाव पर किया गया है ।

उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों को आपके संज्ञान में इस आशय से लाना चाहता हूं कि यह गम्भीर-तम भ्रष्टाचार के मामले हैं इन पर तात्कालिक प्रभावी कार्यवाही करायी जानी चाहिये । मान्यवर, आज चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग पर श्री राम आसरे जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये कहना है कि फैजाबाद के अन्तर्गत तहसील टाण्डा में नगर पालिका टाण्डा के अन्तर्गत 1977 से प्रस्तावित औरैया अस्पताल निर्माण हेतु अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है जबकि उक्त अस्पताल निर्माण हेतु भूमि भी उपलब्ध है । परन्तु स्वास्थ्य विभाग जानबूझ कर उक्त अस्पताल का निर्माण नहीं करना चाहता है । मान्यवर, टाण्डा नगर पालिका अस्पताल में कोई महिला डा0 नहीं है तथा उपचार व्यवस्था नहीं है । मान्यवर, औरेयू में स्वास्थ्य चिकित्सा भवन निर्माण में काफी अनियमिततायें की गई और घटिया निर्माण होने के कारण अभी से दीवालें गिर रही हैं छत टूट रही है । प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त दाइयों को 50 रुपया प्रति माह मानदेय कम है । कम से कम 400 रु0 प्रतिमाह मानदेय दिया जाना चाहिये और सरकार को इस दिशा में तत्काल कार्यवाही भी करनी चाहिये । मान्यवर, टाण्डा में बुनकरों की आबादी अधिक है जो पावरलूम पर कार्य करने मजदूर श्रम से ग्रसित हो जाते हैं जिनका उपचार हेतु कोई व्यवस्था नहीं है जहां एक टी0 टी0 अस्पताल निर्माण कराया जाना चाहिये तथा जन स्वास्थ्य रक्षकों का मान देय बहुत कम है उन्हें कम से कम 600 रु0 दिया जाना जनहित में है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाण्डा में दवायें व अन्य व्यवस्था कराने की मांग बराबर जनता करती रही है परन्तु कोई प्रयास स्वास्थ्य विभाग नहीं कर सकी है, करना चाहिये ।

पी0 एच0 यू0 पी0--14 वि0 सभा- 26-7-1989—813 (पी0 डी0) ।